

1

CWJC No. 3709/2021

Appendix A(i)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
PRESENTATION FORM FOR CIVIL MATTERS  
Columns in dark to be filled in by the Registry

Case Title	Code	
Filed Under Sections	Article 226	
District	Code	
Before Single Judge / Division Bench / Spl. Bench		

Subject Matter	
Pay fixation / Univ. Service	
Code	
Act Code	

Petitioner's/Appellant's/Applicant's  
(Original Party Name, Age & Gender)  
*Bihar Rajya Vishwavidyalaya  
Kamachali, Samastipur, Bihar*

Mobile No., E-mail ID & Address (with pin code)  
*adhrivastava.p@gmail.com*

Advocate's Name Code  
*Ashwin Chandra* 01732

Versus

Respondent's/ Opponent's (Original Party Name, Age & Gender)  
*The State of Bihar & others*

Mobile No., E-mail ID & Address (with pin code)

Advocate's Name Code

Particulars of the Court / Authority below		Code
Case Type	Number	Year
Date of impugned decision/order		

Particulars of the Court / Authority of first instance		Code
Case Type	Number	Year
CWJC	3709/2021	2020
Date of decision / order of Court / Authority of first instance		

In case of group, particulars of lead/other matter/s:-

Advanced Copy Served to Otherside/Caveator /G.P.

Presented With Court Fee Stamp:

On the Memo  Rs.

On the Vakalatnama  Rs.

On the Certified Copies  Rs.

On the Affidavit  Rs.

Total Rs.

Total (in words) Rupees  
Advocates' Welfare Fund Stamp  Rs.

Presented for  
Presented by *Ashwin Chandra* (Sign.)  
(*Ashwin Chandra*) Name  
This *20* day of *20*

Received By	
Entries Made By	
Checked By	
Received additional Court Fee Stamp of Rs.	
Total (in words) Rupees	
This <i>20</i> day of <i>20</i>	
Received Clerk	

Date :  
Advocate:

NOTICE

Date: 30/09/2020

FROM,

Abhinav Srivastava  
Advocate for Petitioner(s)/Respondent(s)  
A.O.R. No. 01732  
BAR Association, Patna High Court  
Mobile No. ~~9572791433~~ 9939273862

TO :

1. The Advocate General, Bihar, Patna.
- 2.
- 3.

Re:- ~~CWJC/LPA/MJC/Cr. Appeal/Cr. Misc~~ Nos 3709 /2021

*Bihar Rajya Vishwavidyalaya* ..... Petitioner(s)  
*Karmachari Mahasabha*  
Versus

The *State of Bihar & others* .... Respondent(s)

Sir,

Please take notice that a petition is being filed in this Hon'ble court, two copies of which are being served upon you for your information and needful action.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Yours sincerely, .



(Abhinav Srivastava)  
Advocate for  
Petitioner(s)/Respondent(s)  
A.O.R. No.01732

UNDERTAKING BY THE ADVOCATE

I, Abhinav Shrivastava, Advocate, AOR No. 01732, do hereby undertake to furnish the Vakalatnama duly executed by the petitioners, duly sworn in affidavit and identity proof of the petitioners and the court fees applicable on the application when called upon to do so.



(Abhinav Shrivastava)  
A.O.R. No. 01732  
Advocate, Patna High Court  
Patna

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.- 3709/2024

Bihar Rajya Visvavidyalaya Karamchari Mahasangh & others

...Petitioners

versus

The State of Bihar & others

...Respondents

Subject: Pay Fixation/Univ. Service

Code : 1151417

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Main writ petition with affidavit	1 to 27 A
2.	Annexure-1 copy of the said letter dated 25/02/1987	28-29
3.	Annexure-2 A copy of the said details containing the agreement dated 01/05/1989	30-35
4.	Annexure-3 A copy of the said order dated 20/07/2000 passed in M.J.C. No. 1044/2000	36-38
5.	Annexure-4 A copy of the said resolution dated 07/06/2007 bearing memo no. 898	39-40
6.	Annexure-5 A copy of the said resolution dated 21/01/2010 along with the relevant extract of schedule-III	41-48
7.	Annexure-6 A copy of the said resolution dated 27/08/2010 along with the relevant extract of Appendix-I	49-77
8.	Annexure-7 A copy of the said order dated 18/01/2013 passed in Civil Appeal No. 516/2013	78-99
9.	Annexure-8 A copy of the said notification dated 04/03/2014 bearing memo no. BSU-41/2013-429/GS(I) along with the relevant extract of the statutes	100-116

10.	Annexure-9 A copy of the said letter dated 08/01/2015	177-119
11.	Annexure-10 A copy of the said letter dated 19/08/2016 bearing letter no. 1328	120-121
12.	Annexure-11 A copy of the said resolution dated 24/05/2017	122-139
13.	Annexure-12 A copy of the said letter dated 15/11/2017	140-142
14.	Annexure-13 Series Copies of the representations submitted on behalf of petitioner no. 1	143-146
15.	Annexure-14 A copy of the resolution dated 09/01/2019 bearing memo no. 73	147-148
16.	Annexure-15 A copy of the relevant extract of the aforesaid resolution dated 06/03/2019 bearing memo no. 591	149-192
17.	Annexure-16 <i>series</i> Copies of the representations	193-209
18.	Annexure-17 A copy of the said letter dated 18/06/2020	210
19.	VAKALATNAMA	

Filed through:

(Abhinav Shrivastava)  
A.O.R. No. 01732

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. /2020

In the matter of an application under  
article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

1. Bihar Rajya Vishwavidalaya Karamchari Mahasangh, Akhilesh Nagar, West Road No. 2, P.S. -By Pass, P.O.-Jhauganj, District-Patna, Pin Code- 800006 through its General Secretary, Raghvendra Kumar, Male, aged about 37 years, son of Ram Naresh Singh, resident of A-3/30, Brahmpura, Back Side of Sanjay Cinema, P.O.-M.I.T., P.S.- Brahmpura, District- Muzaffarpur, Pin Code-842001
2. Ray Ranvijay Dev, Male, aged about 41 years, son of Ramji Ray, resident of West of Police Naka No.-2/4, Kashi Bazar, Chapra, Saran, District-Chapra, Pin Code-841301

3. Upendra Prasad Singh, Male, aged about 59 years, son of Ramashray Singh, resident of village-Barbigha, P.O.-Subhanpura, P.S.- Barbigha, District-Sheikhpura, Pin Code-811101

...Petitioners

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Bihar, Patna
2. The Principal Secretary, Education Department, Bihar, Patna
3. The Principal Secretary, Finance Department, Bihar, Patna
4. Chancellor of Universities of Bihar, Raj Bhawan, Patna

...Respondents

To,

The Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court

The humble petition on behalf of the petitioners above named

Most respectfully sheweth:

1. That the present writ application has been filed with a prayer for grant of the following reliefs:
  - (i) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of mandamus commanding the concerned respondent authorities under the Education Department of the State Government to take

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.- 2020

Bihar Rajya Vishwavidyalaya Karamchari Mahasangh & others ...Petitioners

versus

The State of Bihar & others ...Respondents

Synopsis

Relief:

The present writ application has been filed with a prayer to take steps towards removing the anomalies in the pay fixation of persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities within the State of Bihar who are being extended the benefits of revision of their salaries lesser than their legitimate entitlement upon implementation of revised pay scales w.e.f. 01/01/2006 and 01/01/2017 along with other consequential benefits.

25/02/1987: Benefits that had been made available in favour of the government employees were to be extended in favour of non-teaching employees of the University and their constituent colleges within the State of Bihar.

01/05/1989: State Government had agreed to the demand that the employees working in the Universities and constituent colleges would be extended the benefits of same pay scale as was admissible in favour of the employees of the State Government.



- 20/07/2000: Persons working against the post of Section Officers and Typists in the services of the different Universities within the State of Bihar were to be provided the same pay scale as was allowed to the corresponding Section Officers and Typists of the Secretariat and Allied Officers in the State of Bihar.
- 07/06/2007: State Government had decided to extend the benefits of same pay scale in favour of the Section Officers as was admissible in favour of the persons working against equivalent/corresponding posts in the Secretariat and its Allied Officers.
- 21/01/2010: Details regarding replacement scales upon revision of salary in favour of the employees of the University and College employees w.e.f. 01/01/2006 in Schedule-III were communicated.
- 27/08/2010: Details regarding replacement scales upon revision of salary in favour of the employees of the University and College employees w.e.f. 01/01/2006 in Appendix-I were communicated.
- 18/01/2013: State Government were directed to comply with the directions contained under the order and judgment dated 07/08/2008 passed in C.W.J.C. No. 10870/2008 passed by this Hon'ble Court, within a period of 3 months from the date of receipt of copy of the order.
- 04/03/2014: Pay scales as well as the promotional avenues and the provisions regarding extension of benefits of Assured Career Progression Scheme

in favour of the employees of the Universities and Colleges within the State of Bihar were notified.

08/01/2015: Pay scales in which the benefit of the Assured Career Progression Scheme/Modified Assured Career Progression Scheme were to be extended in favour of the State Government employees on and after 01/01/2006 was communicated.

19/08/2016: No decision was taken by the authorities under the State Government with respect to extending them the benefits of revision of salary upon implementation of 6<sup>th</sup> Pay Revision.

24/05/2017: Persons working against the post of Assistants and Section Officers in the Bihar Secretariat were extended the benefits of revision of their salaries in level-7 and 9 respectively.

15/11/2017: Details with respect to the manner in which benefits under the Modified Career Progression Scheme were to be extended in favour of the employees of the State Government was communicated.

09/01/2019: Persons working against Group-D posts in the Colleges and the Universities within the State of Bihar were extended the same benefits as was admissible to the persons working against Group-D posts in the services of the State Government w.e.f. 01/01/2006.

06/03/2019: Resolution was issued by the authorities under the Education Department of the State Government, by which the approval of the State Government with respect to revision of salary of teachers and non-

teaching employees working in the Universities and Colleges within the State of Bihar w.e.f. 01/01/2016 was communicated.

18/06/2020: Non-teaching employees working against the different posts in the Universities and constituent Colleges within the State of Bihar were to be extended the benefits of revision of their salaries.

Hence, this writ petition.

Filed through:

*Abhinav Shrivastava*  
(Abhinav Shrivastava)  
A.O.R. No. 01732

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. 3709/2024

In the matter of an application under  
article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

1. Bihar Rajya Vishwavidalaya Karamchari Mahasangh, Akhilesh Nagar, West Road No. 2, P.S. -By Pass, P.O.-Jhauganj, District-Patna, Pin Code- 800006 through its General Secretary, Raghvendra Kumar, Male, aged about 37 years, son of Ram Naresh Singh, resident of A-3/30, Brahmpura, Back Side of Sanjay Cinema, P.O.-M.I.T., P.S.- Brahmpura, District- Muzaffarpur, Pin Code-842001
2. Ray Ranvijay Dev, Male, aged about 41 years, son of Ramji Ray, resident of West of Police Naka No.-2/4, Kashi Bazar, Chapra, Saran, District-Chapra, Pin Code-841301

3. Upendra Prasad Singh, Male, aged about 59 years, son of Ramashray Singh, resident of village-Barbigha, P.O.-Subhanpura, P.S.- Barbigha, District-Sheikhpura, Pin Code-811101

...Petitioners

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Bihar, Patna
2. The Principal Secretary, Education Department, Bihar, Patna
3. The Principal Secretary, Finance Department, Bihar, Patna
4. Chancellor of Universities of Bihar, Raj Bhawan, Patna

...Respondents

To,

The Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court

The humble petition on behalf of the petitioners above named

Most respectfully sheweth:

1. That the present writ application has been filed with a prayer for grant of the following reliefs:
  - (i) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of mandamus commanding the concerned respondent authorities under the Education Department of the State Government to take

steps towards removing the anomalies in the pay fixation of persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities within the State of Bihar who are being extended the benefits of revision of their salaries at rates lesser than their legitimate entitlement upon implementation of revised pay scales w.e.f. 01/01/2006 and 01/01/2016;

- (ii) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of mandamus commanding the concerned respondent authorities under the Education Department and Finance Department of the State Government to take steps towards extending the benefits of revision of salary in favour of the Assistants and Section Officers working in the services of different universities within the State of Bihar at par with persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the State Secretariat and its allied offices in furtherance of the decisions taken by the concerned authorities under the State Government from time-to-time;
- (iii) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of mandamus commanding the concerned respondent authorities to make available necessary funds in favour of different universities within the State of Bihar to ensure payment of difference of salary that the persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the different universities within the State of Bihar would become entitled to upon removal of the anomalies in

the revised pay scales being extended to them upon revision of their salary w.e.f. 01/01/2006 and 01/01/2016;

- (iv) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of mandamus commanding the concerned respondent authorities to make payment of penal interest over and above the amount of money of that persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the different universities within the State of Bihar would become entitled to upon removal of anomalies in the matters of their pay fixation after revision of their salary w.e.f. 01/01/2006 and 01/01/2016;
- (v) Issuance of a direction, order or writ, including writ in the nature of certiorari quashing the letter dated 18/06/2020 bearing letter no. 1081 issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government, by which the Registrars of different universities within the State of Bihar have been directed to comply with the directions contained under the resolution dated 27/08/2010 and 06/03/2019 issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government in so far as the same relates to non-teaching employees working in the services of the University and their constituent colleges within the State of Bihar notwithstanding the fact that the instructions contained in those resolutions are clearly anomalous and contrary to the decision of the State Government itself as well as the

judgments passed by this Hon'ble Court as well as the Hon'ble Supreme Court.

- (vi) Issuance of a declaration holding that persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the different universities within the State of Bihar are entitled for being extended the benefits of revision of their salaries in the same pay scales/pay band, which is at par with the persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of State Secretariat and its allied offices;
  - (vii) Any other relief/reliefs that the petitioners may be found to be entitled to in the facts and circumstances of the present case.
2. That the present writ application has been filed, inter alia, on the following main grounds:
- (i) For that the action on part of the respondent authorities under the then Human Resources Development Department of the State Government in extending the benefits of revision of salary in favour of the employees of the Universities and their constituent Colleges within the State of Bihar in lesser pay band and grade pay than what was admissible to their counter parts working in the services of the State Government was highly arbitrary, unreasonable and in blatant disregard of the decisions taken by the authorities under the State Government itself;
  - (ii) For that representations were filed before the authorities under the Education Department of the State Government requesting therein



that steps be taken towards removing the anomalies in the matters of pay fixation of non-teaching employees working in the services of the Universities within the State of Bihar but unfortunately, no action in respect thereof was taken;

- (iii) For that the action on the part of respondent authorities in extending the benefits of revision of salary in favour of Assistants and Section Officers working in the services of the different universities and their constituent Colleges w.e.f. 01/01/2016 in pay level-6 whereas, persons working against the post of Assistants in the services of the State Government have been extended the benefits of revision of their salary in pay level-7 and persons working as the Section Officers in the services of the State Government have been extended the benefits of revision of their salary in pay level-9 w.e.f. 01/01/2016 and these facts and circumstances manifestly demonstrate the highhandedness and illegal disposition on the part of the concerned respondent authorities under the State Government and further the recalcitrant approach on the part of the concerned authorities under the State Government as despite several orders having been passed by this Hon'ble Court as well as the Hon'ble Supreme Court, the persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities and Colleges within the State of Bihar are being discriminated in matters of extension of benefits of revision of salary upon implementation of

6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> pay revision recommendations w.e.f. 01/01/2006 to 01/01/2016;

- (iv) For that representations were filed on behalf of the petitioner no. 1 as well as other association of employees within the State of Bihar, which was also duly forwarded by the concerned authorities under the Universities but unfortunately, no action in respect thereof has been taken till date and the anomalies in the matters of fixation and revision of salary of Assistants and Section Officers working in the services of different universities and constituent Colleges within the State of Bihar continue to persist;
- (v) For that respondent authorities in not extending the benefits of revision of salary w.e.f 01/01/2006 and 01/01/2016 in favour of Assistants and Section Officers working in the services of Universities and their constituent Colleges at par with the persons working against corresponding posts in the services of the State Government is highly arbitrary, unreasonable and in blatant in disregard and violation of articles 14 & 16 of the Constitution of India;
- (vi) For that respondent authorities under the Education Department of the State Government as well as the Finance Department of the State Government are liable to be proceeded against and punished for contempt of the orders and judgments passed by this Hon'ble Court as well as the Hon'ble Supreme Court as despite repeated judgments having been passed, the same disparity in the matters of revision of

salary of persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities and Colleges within the State of Bihar have been allowed to persist;

(vii) For that the apathy and indifference on part of the concerned respondent authorities are even otherwise bad in law as well as on the facts of the present case.

3. That the petitioner no. 1 is a registered association of non-teaching employees working in different universities within the State of Bihar and as such, is situated on the aforementioned address, which is within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court; and as such, the General Secretary of the said association has been duly authorized to file the instant case on its behalf; and petitioners no. 2 and 3 are non-teaching employees working in different universities within the State of Bihar, so far as the petitioner no. 2 is concerned he is working against the post of Section Officer in the legal section of the Jai Prakash University Headquarters at Chapra and petitioner no. 3 is working against the post of Store Keeper, which is equivalent to the post of Assistant and is at present posted and working in M. P. Sinha Science College, Muzaffarpur, which is a constituent unit of the B.R.Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur.
4. That it is stated here by a letter dated 25/02/1987 issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government, it was communicated that the benefits that had been made available in favour of the government employees were to be extended in favour of non-

teaching employees of the University and their constituent colleges within the State of Bihar.

A copy of the said letter dated 25/02/1987 has been annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

5. That it is stated here that subsequently, by a letter dated 01/05/1989 issued by the concerned authorities under the then Human Resources Development Department of the State Government the Vice Chancellors of different universities within the State of Bihar were communicated the agreement arrived at between the State Government and the association of the employees of the Universities and Colleges within the State of Bihar and a bare perusal of the details containing the agreement arrived at between the State Government and the association of the employees of the University and Colleges as enclosed with the said letter would, inter alia, indicated that the State Government had agreed to the demand that the employees working in the Universities and constituent colleges would be extended the benefits of same pay scale as was admissible in favour of the employees of the State Government and furthermore, at serial no. 6, it had also been agreed upon that employees working against the same post in the Universities and its constituent colleges would be extended the same benefits subject to the stipulation that the benefit of same pay scale was to be made admissible from 01/04/1994 however, no arrears would be payable till 31/12/1988.

A copy of the said details containing the agreement dated 01/05/1989 has been annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

6. That it is submitted here that in the manner as aforesaid it is manifest that on the basis of a detailed exercise having been undertaken by the concerned authorities under the then Education Department and Human Resources Development Department of the State Government, the State Government had agreed to extend the benefits of same pay scale in favour of the employees of the University and their constituent colleges as was admissible in favour of persons working against equivalent post in the services of the State Government.
7. That it is stated here that thereafter, persons working against different non-teaching post in the services of the University were extended the benefits of payment of salary in the same pay scale as was admissible to persons working against the equivalent/corresponding post in the services of the State Government.
8. That in this regard, it would be pertinent to note here that in the meantime, when persons working against the post of Assistants and Section Officers and other non-teaching employees in the services of the Universities would not extended the benefits of salary at par with persons against equivalent post under the State Government, one M.J.C. No. 1044/1996 came to be filed before this Hon'ble Court and pursuant to an order dated 20/07/2000 passed and during the proceedings in the said case, it was, inter alia, held

that persons working against the post of Section Officers and Typists in the services of the different universities within the State of Bihar were to be provided the same pay scale as was allowed to the corresponding Section Officers and Typists of the Secretariat and allied offices within the State of Bihar.

A copy of the said order dated 20/07/2000 passed in M.J.C. No. 1044/2000 has been annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

9. That thereafter, a resolution dated 07/06/2007 bearing memo no. 898 was issued by the concerned authorities under the then Human Resources Development Department of the State Government, by which in furtherance of the directions contained under the order dated 20/07/2000 passed in M.J.C. No. 1044/1996, the State Government had decided to extend the benefits of same pay scale in favour of the Section Officers as was admissible in favour of the persons working against equivalent/corresponding posts in the Secretariat and its allied offices.

A copy of the said resolution dated 07/06/2007 bearing memo no. 898 has been annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

10. That it is stated here that a bare perusal of the aforesaid resolution dated 07/06/2007 bearing memo no. 898 would clearly demonstrate that pursuant to the order passed by this Hon'ble Court in M.J.C. No. 1044/1996,

persons working against the post of Section Officers in the services of the Universities and their constituent units were extended the benefits of same pay scale as was admissible in favour of Section Officers working in the services of the State Secretariat, the same being Rs.6500-10,500/- w.e.f. 01/01/1996.

11. That it is stated here that in the meantime, upon non-implementation of the commitments of the State Government with respect to extending the same benefits of revision of salary in favour of the non-teaching employees working in the services of the Universities and their constituent units as was admissible in favour of the employees working against equivalent/corresponding post in the State Secretariat and its allied offices, a strike was called for by the foundation leading to disruption of functioning of the universities and colleges within the State of Bihar, following which, an agreement was arrived at between the State Government and the Federation of the University employees on 17/07/2007, by which, inter alia, it was agreed upon between the parties that, the pay scale of Rs.5500-9000/- may be granted in favour of the Assistants working in the Colleges and Universities within the State of Bihar, Store Keeper may be treated as Assistant and pay scale may be given accordingly as Head Assistants and Accountant Officers designated as Section Officers at the departmental level.

12. That despite the aforesaid decisions having been arrived at, the same was not honored by the State Government leading to another strike, which

caused disruption of education in the Colleges and Universities within the State of Bihar.

13. That under these facts and circumstances, one Sunny Prakash had written a letter dated 14/07/2018 before the Hon'ble the Chief Justice of the Hon'ble Patna High Court bringing to his notice the problems faced by the students on account of the indefinite strike of the employees of the Universities and subsequently, the said letter was converted into Public Interest Litigation and one C.W.J.C. No. 10870/2008 was registered.
14. That it is stated here that a division bench of this Hon'ble Court having taken note of the various facts and circumstances involved and taking note of the agreement arrived at between the Federation of the University employees and the State Government directed that the agreement arrived at, be implemented by the State Government.
15. That the State preferred one S.L.P.(C) No. 22617/2008 against the order and judgment dated 07/08/2008 passed in C.W.J.C. No. 10870/2008 and in the meantime, the judgment passed by this Hon'ble Court in the said C.W.J.C. No. 10870/2008 remained unimplemented by the State Government.
16. That in the meantime, a resolution dated 21/01/2010 was issued by the concerned authorities Finance Department of the State Government, by which the decision with respect to revision of the pay scales of the state government employees w.e.f 01/01/2006 was communicated and schedule-III appended to the said resolution laid down details regarding post wise replacement scale, according to which persons working against



the post of Assistants in the Bihar Secretariat Service were allowed revision of salary w.e.f. 01/01/2006 in pay band-2 with grade pay of Rs.4600/- and persons working against the post of Section Officers were extended the benefits of revision of their salaries from the pay scale of Rs.6500-10,500/- with pay band-2 with grade pay of Rs.4800/- and in pay band-3 with Rs.5400/- after 4 years of service.

A copy of the said resolution dated 21/01/2010 along with the relevant extract of schedule-III has been annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

17. That subsequently, a resolution dated 27/08/2010 was issued by the concerned authorities under the then Human Resources Development Department of the State Government, by which details with respect to revision of salary in favour of the employees working in different universities and constituent colleges within the State of Bihar were communicated an Appendix-I enclosed with the said resolution containing the details regarding replacement scales upon revision of salary of the University and College employees w.e.f. 01/01/2006, according to which while showing the existing pay scale of Assistants working in the Universities and their associated officers as Rs.4000-6000/- they were extended the benefits of revision of their salaries in pay band-2 with grade pay of Rs. 4200/- and persons working against the post of Section Officers although shown they were working in the pay scale of Rs.6500-10000/- their salaries were also revised in pay band-2 with grade pay of Rs.4200

only w.e.f. 01/01/2006, which was admittedly lesser than the pay band-2 and grade pay in which a person working against the post of Assistants and Section Officers in the services of Secretariat and its allied offices have been extended.

A copy of the said resolution dated 27/08/2010 along with the relevant extract of Appendix-I has been annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

18. That it is submitted here that the action on the part of the concerned respondent authorities under the then Human Resources Development Department of the State Government in extending the benefits of revision of salary in favour of the employees of the Universities and their constituent Colleges within the State of Bihar in lesser pay band and grade pay than was admissible to their counter parts working in the services of the State Government was highly arbitrary, unreasonable and in blatant disregard of the decisions taken by the concerned authorities under the State Government itself.
19. That in the meantime, the aforesaid S.L.P.(C) No. 22617/2008 preferred by the State of Bihar before the Hon'ble Supreme Court against the order and judgment dated 07/08/2008 passed in C.W.J.C. No. 10870/2008 by this Hon'ble Court was dismissed by an order dated 18/01/2013 passed in Civil Appeal No. 516/2013 and accordingly, the concerned authorities under the State Government were directed to comply with the directions contained under the aforesaid order and judgment dated 07/08/2008 passed in

C.W.J.C. No. 10870/2008 passed by this Hon'ble Court, within a period of 3 months from the date of receipt of copy of the aforesaid order and judgment dated 18/01/2013.

A copy of the said order dated 18/01/2013 passed in Civil Appeal No. 516/2013 has been annexed herewith and marked as Annexure-7 to this writ petition.

20. That it is submitted here a bare perusal of the aforesaid order and judgment dated 18/01/2013 passed in Civil Appeal No. 516/2013 by the Hon'ble Supreme Court would clearly demonstrate that the concerned authorities under the State Government were obliged and bound to extend the benefits of fixation of salary in favour of Assistants working in the Colleges and Universities within the State of Bihar in the pay scale of Rs.5500-9000/- w.e.f. 01/01/1996 and accordingly, Store Keepers were to be treated as Assistants and pay scales admissible to the post of Assistants were to be made available in their favour and furthermore, the Head Assistants and Accountants of the Colleges were to be designated as Section Officers, as these were parts of the agreement arrived at between the State Government and the Federation of the employees of the Universities within the State of Bihar which had been reproduced in the aforesaid order and judgment dated 18/01/2013 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 516/2013.

21. That the Hon'ble Supreme Court in passing the aforesaid order and judgment dated 18/01/2013 had also taken note of the aforesaid letter

dated 25/02/1987 and other letters of the State Government clearly communicating to the effect that the employees of the Universities and their constituent units were entitled for being extended the same facilities as was admissible to the employees of the State Government.

22. That it is submitted here that in the manner as aforesaid it is established beyond all reasonable doubts that persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities and their constituent colleges within the State of Bihar are entitled for being extended the benefits of revision of salary at par with persons working against the equivalent/corresponding post in the services of the State Secretariat and its allied offices.
23. That in the meantime, by a notification dated 04/03/2014 bearing memo no. BSU-41/2013-429/GS(I) issued from the Governor Secretariat, Bihar, Patna, the statutes for appointment/promotion and other allied matters in relation to the officers and non-teaching employees of the Universities, Allied Officers, PG Departments, Institutions and constituent Colleges within the State of Bihar were notified which, inter alia, laid down the pay scales as well as the promotional avenues and the provisions regarding extension of benefits of Assured Career Progression Scheme in favour of the employees of the Universities and Colleges within the State of Bihar and by Clause 4(II) of the said statutes, it had been categorically prescribed that the pay scales admissible to different post as enumerated under Clause 4(I) would stand automatically revised upon decisions as may be taken by the State Government from time-to-time.

A copy of the said notification dated 04/03/2014 bearing memo no. BSU-41/2013-429/GS(I) along with the relevant extract of the statutes has been annexed herewith and marked as Annexure-8 to this writ petition.

24. That it is submitted here that in terms of the provision contained under Section 36 of the Bihar State Universities Act, 1976, the aforesaid statutes had been framed only with the concurrence of the State Government and this fact would also be manifest from a bare perusal of the notification dated 04/03/2014 and thus, the State Government was also bound by the terms and the provisions contained under the said statutes.
25. That in the meantime, by a letter dated 08/01/2015 issued by the concerned authorities under the Finance Department of the State Government the pay scales in which the benefit of the Assured Career Progression Scheme/Modified Assured Career Progression Scheme were to be extended in favour of the State Government employees on and after 01/01/2006 was communicated according to which a person working against the post of Assistant was shown to be entitled for payment of salary in pay band 2 with grade pay of Rs. 4600/- w.e.f. 01/01/2006 and the first benefit under the Modified Assured Career Progression Scheme was to be extended by revision of salary in higher grade pay of Rs.4800/- and the second benefit of financial progression was to be given in pay band-2 with grade pay of Rs. 5400/-.

A copy of the said letter dated 08/01/2015 has been annexed herewith and marked as Annexure-9 to this writ petition.

26. That in the meantime, a letter dated 19/08/2016 bearing letter no. 1328 was issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government, by which the Registrars of different universities within the State of Bihar were communicated, the decision of the State Government with respect to the extending the benefits of pay scales of Rs.5500-9000/- in favour of Assistants working in the services of different universities and their constituent colleges w.e.f. 01/01/1996, however, there was no decision taken by the concerned authorities under the State Government with respect to extending them the benefits of revision of salary upon implementation of 6<sup>th</sup> Pay Revision as had been done in favour of the State Government employees w.e.f. 01/01/2006.

A copy of the said letter dated 19/08/2016 bearing letter no. 1328 has been annexed herewith and marked as Annexure-10 to this writ petition.

27. That in the manner as aforesaid it is manifest that although persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the different universities and their constituent colleges within the State of Bihar have been extended the benefits of same pay scale as was admissible in favour of Assistants and Section Officers working in the services of the State Government w.e.f 01/01/1996 but unfortunately, no

corresponding benefits had been extended in their favour upon implementation of 6<sup>th</sup> Pay Revision Commission recommendation w.e.f 01/01/2006 and as such the anomalies continue to exist.

28. That in the meantime, a resolution dated 24/05/2017 was issued by the concerned authorities under the Finance Department of the State Government, by which details with respect to revision of the pay structure of the state government employees w.e.f. 01/01/2016 was communicated and, inter alia, persons working against the post of Assistants and Section Officers in the Bihar Secretariat were extended the benefits of revision of their salaries in level-7 and 9 respectively while showing the Assistants working to be working in pay band-2 with grade pay of Rs.4600/- and Section Officers in pay band-2 with grade pay of Rs.4800 under the existing pay scale.

A copy of the said resolution dated 24/05/2017 has been annexed herewith and marked as Annexure-11 to this writ petition.

29. That subsequently, by a letter dated 15/11/2017 issued by the concerned authorities under the Finance Department of the State Government, details with respect to the manner in which benefits under the Modified Career Progression Scheme were to be extended in favour of the employees of the State Government was communicated.

A copy of the said letter dated 15/11/2017 has been annexed herewith and marked as Annexure-12 to this writ petition.

30. That notwithstanding the fact that the persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the different universities and their constituent colleges within the State of Bihar were entitled for being extended the same benefits in terms of revision of their salaries as was being extended in favour of persons working against equivalent/corresponding post in the services of the State Government and further for being extended all the other consequential benefits including benefits of financial progression under the Modified Career Progression Scheme on account of highhandedness and illegal disposition on the part of the concerned respondent authorities, no such benefits in favour of the employees working in the services of the different universities within the State of Bihar.
31. That it is rather unfortunate to note here at this stage that in the meantime, certain representations were also filed before the concerned authorities under the Education Department of the State Government requesting therein that steps be taken towards removing the anomalies in the matters of pay fixation of non-teaching employees working in the services of the Universities within the State of Bihar but unfortunately, no action in respect thereof was taken.

Copies of the said representations submitted on behalf of petitioner no. 1 have been annexed herewith and marked as Annexure-13 Series to this writ petition.



the State Government have been extended the benefits of revision of their salary in pay level-9 w.e.f. 01/01/2016 and these facts and circumstances manifestly demonstrate the highhandedness and illegal disposition on the part of the concerned respondent authorities under the State Government and further be recalcitrant approach on the part of the concerned authorities under the State Government as despite several orders having been passed by this Hon'ble Court as well as the Hon'ble Supreme Court, the persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities and Colleges within the State of Bihar are being discriminated in matters of extension of benefits of revision of salary upon implementation of 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> pay revision recommendations w.e.f. 01/01/2006 to 01/01/2016.

36. That under the aforesaid facts and circumstances, the representations were filed on behalf of the petitioner no. 1 as well as other association of employees within the State of Bihar, which was also duly forwarded by the concerned authorities under the Universities but unfortunately, no action in respect thereof has been taken till date and the anomalies in the matters of fixation and revision of salary of Assistants and Section Officers working in the services of different universities and constituent colleges within the State of Bihar continue to persist.

Copies of the said representations have been annexed herewith and marked as Annexure-16 Series to this writ petition.

37. That it is submitted here that notwithstanding the aforesaid representations submitted on behalf of the association of the employees, which in turn had been forwarded by different universities within the State of Bihar, by a letter dated 18/06/2020 issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government, it was communicated that the non-teaching employees working against the different posts in the Universities and constituent colleges within the State of Bihar were to be extended the benefits of revision of their salaries strictly in accordance with the provisions contained under the resolutions dated 27/08/2010 bearing letter no. 2693 and resolution dated 06/03/2019 bearing memo no. 591 issued by the concerned authorities under the Education Department of the State Government.

A copy of the said letter dated 18/06/2020 has been annexed herewith and marked as Annexure-17 to this writ petition.

38. That the action on the part of the concerned respondent authorities in not extending the benefits of revision of salary w.e.f 01/01/2006 and 01/01/2016 in favour of Assistants and Section Officers working in the services of the State Government at par persons working against corresponding posts in the services of the State Government is highly arbitrary, unreasonable and in blatant disregard and violation of articles 14 & 16 of the Constitution of India.
39. That it is submitted here that the concerned respondent authorities under the Education Department of the State Government as well as the Finance

Department of the State Government are liable to be proceeded against and punished for contempt of the orders and judgments passed by this Hon'ble Court as well as the Hon'ble Supreme Court as despite repeated judgments having been passed, the same disparity in the matters of revision of salary of persons working against the post of Assistants and Section Officers in the services of the Universities and Colleges within the State of Bihar have been allowed to persist.

40. That the petitioners do not have any other equally efficacious alternative remedy than to move this Hon'ble Court for redressal of their grievances.

41. That the petitioners have not moved this Hon'ble Court on earlier occasion for the relief sought for in paragraph no. 1 of this writ application.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in paragraph no. 1 of this writ application be not allowed and upon return of the Rule and cause being shown, if any, make the same absolute

And/or

Pass any other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Raghvendra Kumar. Male, aged about 37 years, son of Ram Naresh Singh; resident of A-3/30, Brahmpura, Back Side of Sanjay Cinema, P.O.-M.I.T., P.S.-Brahmpura, District- Muzaffarpur, Pin Code-842001, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the general secretary of petitioner no. 1 in this case and as such, am well acquainted with the facts and circumstances of this case and I have been authorized to swear the instant affidavit.
2. That I have read the contents of this writ application and understood the same.
3. That the statements made in paragraphs no. 3, 11, 16, 17, 25, 31, 34, 35 & 36..... are true to my knowledge and the statements made in paragraphs no. 4, 10, 12-15, 19, 21, 25, 26-32 are true to my information and the rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are photocopies of their respective originals.

Raghavendra Kumar

27A



भारत सरकार  
Government of India



राघवेंद्र कुमार  
Raghavendra Kumar  
जन्म तिथि / DOB - 05/12/1982  
पुरुष / Male



8909 2908 4932

आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार  
Unique Identification Authority of India

पता  
S/O Ram Naray Singh 2/329  
ब्राह्मपुरा, बलिया जिला सिनेमा के  
बाद की ओर का 30 की ब्रह्मपुरा  
मुजफ्फरपुर जिला बिहार  
842001

Address  
S/O Ram Naray Singh  
A 3/30 BRAHMUPURA  
SIDE OF SANJAY SINGH  
POST-M.P. Bahadurpur  
Muzaffarpur, Bihar  
842001

8909 2908 4932



ज्ञापांक-जे0 एम० 228/79 शि० 1426

पटना, दिनांक 6 अक्टूबर, 1986

प्रतिलिपि: निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार। वित्त विभाग राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव। सभी वित्तीय परामर्श। सभी वित्त पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग। सभी सहायक के प्रशाखा 14, प्रशाखा पदाधिकारी कुंअर राजेन्द्र सिंहा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सदानन्द सिंहा)

सरकार के संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-जे/एम० 228/79 शि० 1426

पटना, दिनांक 6 अक्टूबर, 1986

प्रतिलिपि: महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, कंकड़बाग, पटना को सूचनाथ प्रेषित।

(सदानन्द सिंहा)

सरकार के संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

52

संख्या-123/सौ

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

श्री भास्कर वनर्जी,

सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार

सेवा में,

महासचिव,

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ,  
पटना

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 1987

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकार द्वारा हाल के हड़ताल के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों के साथ जो समझौता हुआ है और जो सुविधा प्रदान की गई है, उन्हें विश्वविद्यालय तथा अधीनस्थ जैसे अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को भी स्वीकृत की जाएगी। उन्हें सरकारी कर्मचारियों को समकक्ष घोषित करने का निर्णय पहले सरकार द्वारा लिया जा चुका है।

इस पत्र की प्रतिलिपि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सूचनाथ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन,  
हो/- (भास्कर वनर्जी)  
सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना

6. समिति  
देगी।

आदेश-  
तथा इसकी प्रति :

53

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग  
संकल्प

राज्य के विश्वविद्यालयों की 1986-87 की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता और उनका बजट की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित पाँच सदस्यीय समिति ने बजट की समीक्षा के दौरान शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर किये जाने की अनुशंसा की थी।

ज्ञापांक -  
प्रतिलिपि

प्रेषित।

2. समिति ने विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकता को समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया था कि कुछ विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पदों के बाहर या अनाधिकृत रूप से नियुक्तियों की गई हैं। ऐसे नियुक्त कर्मचारी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और इनकी सेवा के नियमितकरण के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समिति ने मनतव्य दिया है कि ऐसे पदों को या तो स्वीकृत घोषित किया जाए

ज्ञापांक-4  
प्रतिलिपि

अथवा निरस्त किया जाए अन्यथा बिलम्ब होने से समस्या जटिल होती जायगी।

3. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि, अतिरिक्त विषयों के अध्यापन की अनुमति, स्नातकोत्तर वर्गों की पढ़ाई की अनुमति आदि के कारण शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के नये पदों के सृजन के औचित्य की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

है।

2. सचिव  
वैसी स्थिति में कि

4. बजट की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति ने यह अनुशंसा की है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर करने और जाँच कर प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। समिति के अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्मांकित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन करने की कृपा की है-

ज्ञापांक -  
प्रतिलिपि

पटना/राज्यपाल के  
सूचनार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड, पटना-अध्यक्ष

2. संबंधित कुलपति - सदस्य

3. शिक्षा आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी जो निदेशक के स्तर से नीचे के न हो -सदस्य

4. वित्त आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक वरीय पदाधिकारी जो अपर

58

पत्रांक 14/एम 105/मा० 674

बिहार सरकार

बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

श्री उमा शंकर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलपति,

राँची विश्वविद्यालय, राँची

पटना विश्वविद्यालय, पटना

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।

भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

पटना, दिनांक 1 मई, 89

विषय— राज्य सरकार एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के साथ समझौता

महोदय,

निदेशानुसार, उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के साथ दिनांक 26.4.89 को हुए समझौते का एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इसे कर्मचारियों को अवगत कराना चाहेंगे।

2. समझौते के विन्दुओं के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

उमाशंकर प्रसाद, 1

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार, पटना

ज्ञापांक -674

पटना, दिनांक 1 मई, 89

प्रतिलिपि: समझौते को एक प्रति के साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उमा शंकर प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार, पटना

क्रमांक  
1.

2.(क)

3.



बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ  
एवं सरकार के बीच हुए दिनांक 26.4.1989 के  
समझौते का विवरण

**क्रमांक-**

1. मांगें—राज्य सरकार के पत्रांक 123/सी दिनांक 25.2.1987 के आलोक में वे सारी सुविधाएँ जो राज्य कर्मचारियों को फरवरी, 1987 के समझौते तथा नवम्बर 1988 के समझौते के द्वारा स्वीकृत हैं- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को लागू किया जाय।

**निर्णय—** निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक/सी दिनांक 25.2.1987 के आलोक में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार सहमत हैं। फिटमेंट समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू वेतनमान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के समकक्ष कोटि के मामले में लागू होगा।

2.(क) मांगें—राज्य सरकार के पत्रांक 942 दिनांक 17.8.85 तथा 156 सी दिनांक 19.8.85 के द्वारा दी गई स्वीकृतियों के आधार पर यथाशीघ्र राज्यदेश निर्गत कर सारी सुविधाएँ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जाय।

**निर्णय—** इस सम्बन्ध में राज्यादेश शीघ्र निर्गत किया जायगा।

3. मांगें—दिनांक 15.8.1976 के बाट तथा स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर सृजित एवं स्वीकृत करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से वेतन भुगतान किया जाय। साथ ही उक्त कर्मचारियों की नियुक्तियाँ जब तक नियमित नहीं हो जाती हैं तब तक नई नियुक्तियों पर रोक लगाई जाय।

**निर्णय—** राज्य सरकार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सृजित पदों के अतिरिक्त नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा को निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नियमित करने में सहमत है। उक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा के सामंजन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जाँच कराया जायेगी। सामंजन वरीयता के आधार पर होगा। इस प्रक्रिया में यदि आरक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई होगी

4. तो उस आरक्षित बिन्दु को अगली नियुक्ति के लिए आरक्षित किया जायेगा।  
मांगें—प्रयोगशाला वाहक के वेतनमान में सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के पत्रांक 276 दिनांक 8.1.84 को वापस किया जाय।

निर्णय—प्रयोगशाला वाहकों के पद स्कील्ड कोटि के पद हैं। अतः राज्य सरकार इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 400-450 रु० वेतनमान देने तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राज्यादेश संख्या 276 दिनांक 7.3.84 को निरस्त करने में सहमत है। यह भी समझौता हुआ कि भविष्य में इन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर दी जाय ताकि स्कील्ड व्यक्ति ही नियुक्त हो सके।

5. (क) मांगें—बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 446 दिनांक 8.5.85 की कंडिका (4), (5) एवं (6) में सहायक पुस्तकाध्यक्ष का पदनाम भी अंकित किया जाय तथा वेतनमान लागू किया जाय।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि पुस्तकालयकर्मियों का वेतनमान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः इस विषय पर विचार करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया जायगा।

- (ख) उक्त पत्रांक की कंडिका 12 के बाद उप कंडिका संख्या (ख), (ग) और (घ) को विलोपित कर शिक्षा विभाग के पत्रांक 881 दिनांक 2.5.82 के अनुसार वेतन निर्धारित की क्रिया लागू किया जाय और तदनु रूप निर्धारित वेतनमान की बकाए राशि का भुगतान का आदेश देते हुए पत्रांक 1426 दिनांक 6.10.86 को तदनुसार संशोधित किया जाय।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि अन्य कर्मचारियों की भाँति इनका भी वेतन निर्धारित किया जायेगा।

- (ग) मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार के पत्रांक एफ०-2-3/84 यू० टी० दिनांक 6.1.87 के आलोक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मचारियों तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को यू० जी० सी० वेतनमान दिया जाय।

निर्णय—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकाध्यक्ष को सहायक पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए निर्धारित वेतनमान यू० जी० सी० की शर्तों के अनुसार लागू करने में विभाग सहमत है। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक प्रतिक्रियाओं

6.

7.

8.

9.

10.(क)

- को पूरा कर वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
6. माँगें—विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में समान कार्य समान वेतन तथा समान पदधारकों को समान वेतनमान दिया जाय।
- निर्णय—विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 1.4.1981 से समान वेतनमान देने पर राज्य सरकार इस शर्त पर सहमत है कि दिनांक 31.12.88 तक का कोई बकाया देय नहीं होगा। यह वेतनमान सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा।
7. माँगें—कालबद्ध प्रोन्नति, कनीय एवं वरीय प्रवर कोटि, एल० टी० सी० तथा बोनस सम्बन्धी कार्यालय आदेश निर्गत किया जाय।
- निर्णय—इन माँगों पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की।
8. माँगें—महाविद्यालयों में प्रशाखा पदाधिकारी के पदों में वृद्धि करते हुए पाँच सहायकों पर एक प्रशाखा पदाधिकारी का पद स्वीकृत कर वेतनमान लागू किया जाय।
- निर्णय—निर्णय लिया गया कि इसकी जाँच विभागीय स्तर पर की जाएगी और यथोचित निर्णय लिया जाएगा।
9. माँगें—विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान की गारंटी की जाय तथा भविष्य निधि आदि के लिए काटि गई राशि को कर्मचारियों के खाते में नियमित रूप से जमा किया जाय।
- निर्णय—इस माँग की पूर्ति के लिए विभाग सहमत है और विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार सचेष्ट है। विश्वविद्यालयों की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता की जाँच के लिए विभागीय पदाधिकारियों का दल गठित किया जा चुका है और उनका प्रतिवेदन प्राप्त कर इस पर विन विभाग की सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई हो रही है।
- 10.(क) कार्यरत भंडारपालक को प्रयोगशाला प्रभारी घोषित करते हुए तदनुसार प्रयोगशाला प्रभारी का वेतनमान लागू किया जाय।
- निर्णय—इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विसंगति निवारण समिति की अनुशंसा के अनुसार भंडारपाल को निम्नवर्गीय सहायक का वेतनमान स्वीकृत किया जायगा योग्यता प्राप्त भंडारपाल को पद रिक्त होने पर प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर नियुक्ति में

(ख) प्राथमिकता दी जायेगी।  
 माँगें—प्रेस के तकनीकी कर्मचारियों, कम्पाउण्डर, फर्मासीस्ट, ट्रेड कम्पाउण्डर आशुलिपिक-सह-टंकक, टंकक आदि के वेतनमान में 1973 से आ रही विसंगतियों को दूर किया जाय और संशोधित वेतनमान लागू किया जाय।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि संबंधित विसंगतियों के बारे में महासंघ द्वारा विभाग के स्पष्ट रूप से अवगत कराया जायेगा। इस संबंध में निर्णय तीन माह के अन्दर ले लिया जायेगा।

(ग) माँगें—विश्वविद्यालय प्रेस कर्मचारियों के लिए चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण से संबंधित निर्गत राज्यादेश दिनांक 15.12.84 परिशिष्ट (ड) में अनुशासित विसंगति पूर्व वेतनमान का संशोधन करते हुए राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों की तरह वेतनमान लागू किया जाय।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में टिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय का कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जायेगा।

11.(क) माँगें तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों (दरवान एवं रात्रि प्रहरी सहित) को 240 दिनों का अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश की सुविधा समान रूप से दी जाय।

निर्णय—इन सम्बन्ध में विभाग ने अपनी सहमति व्यक्त की।

(ख) माँगें—छात्रावास कर्मचारियों को नियमित सेवा में रखते हुए नियमित कर्मचारियों जैसी सारी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय।

निर्णय—यह माँग एक विश्वविद्यालय विशेष से संबंधित है। अतः निर्णय लिया गया कि वे अलग से इसके लिए विभाग को आवेदन पत्र दें, ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जा सके।

(ग) माँगें—चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति दी जाय तथा रिक्त तृतीय पदों को प्रोन्नति से भरा जाय।

निर्णय—चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीयवर्गीय कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए कुछ पद सुरक्षित रखने का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप यह सुविधा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

11.(घ)

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

11.(घ) माँगे—शिक्षकेतर कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश की सुविधा दी जाय ।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाओं के अनुरूप इन कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जायगी ।

12. माँगे—इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी सेवकों की तरह शिक्षकेतत्तर कर्मचारियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जाय ।

निर्णय—निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी प्राप्त कर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कर्मचारियों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

13. माँगे—सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएँ अल्पसंख्यक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों (वित्त रहित महाविद्यालयों तथा विभागों सहित) के कर्मचारियों की सारी सुविधायें दी जाय ।

निर्णय—उक्त सुविधाएँ केवल घाटा अनुदान सम्बद्ध एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जा सकती हैं । वित्तीय भार रहित महाविद्यालयों को उक्त सुविधाएँ दिए जाने के प्रस्ताव पर विभाग ने असहमति व्यक्त की ।

14. हड़ताल अवधि की क्षतिपूर्ति ग्रीष्मावकाश अथवा पूजावकाश में अतिरिक्त कार्य कर कर्मचारियों द्वारा की जायेगी अथवा इस अवधि के लिए इन्हें देय उपाजित छुट्टी स्वीकृत की जायेगी । छुट्टी देय नहीं होने पर अग्रिम छुट्टी स्वीकृत की जायेगी जिसका समंजन भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अवकाश में किया जायगा ।

15. उपर्युक्त समझौता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ । इस समझौते के फलस्वरूप कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर दिनांक 29.4.89 तक कार्य पर लौट आयेगे तथा पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ववत् कार्य सम्पादित करेंगे ।

16. समझौते के बिन्दुओं के कार्यान्वयन में यदि कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होगी तो इसका निदान पारस्परिक विचार विमर्श कर लिया जायेगा ।

1.	ह०-रमेश प्रसाद सिंह संरक्षक एम० एल० सी०	ह०-सुन्दर देव सिंह निदेशक (उच्च शिक्षा) बिहार, पटना	ह०- अ० उ० शर्मा आयुक्त एवं सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना
----	--	--	--

2. ह०-दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष

3. ह०-राजेन्द्र मिश्र, महामन्त्री  
बि० रा० वि० एवं म० कर्म० महासंघ





15/11/76

2. C. No. 1  
Date of  
15/11/76

ORDER WITH SIGNATURE

Office notes as to action  
(If any) taken on order

37 Contd....

corresponding section officer and typist of the  
 Secretariat and attached offices of State of Bihar.  
 At the time of release of payment, the University  
 may make it clear that excess amount ~~paid~~ if any,  
 can be recovered from their salary.  
 In the circumstances, I do not choose to proceed  
 further. Arrears of salary if due to the teaching and  
 non-teaching employees of the University, the Vice-  
 Chancellor of the University will make appropriate  
 requisition in terms with observation as made above  
 and the Secretary, Higher Education and the State  
 authorities in their turn are to release admitted  
 arrears, if any, within two months thereof. The  
 University is to give certificates, as was ordered  
 earlier.  
 M.J.C.  
 This application stands disposed of.  
 Let a copy of this order be handed over to Dr.  
 Sadanand Jha, senior counsel for the Secretary,  
 Higher Education and the counsel for the parties.

s.c.

*sd/*  
(S.J. Mukhopadhyay, J.)

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY

*Adinarayan*  
 For Joint Registrar (A) 01-03-20  
 Patna High Court  
 Authorized U/S 76 Act I of 1972  
*Adinarayan*  
 2-5-0.

04/3/20  
 12/02/2020



विहार  
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषय:-राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.1996 से 6500-10500 रु० का पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों/पदाधिकारियों के पदों का (कुलपति तथा प्रति कुलपति के पदों को छोड़कर) दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004, संकल्प संख्या-1074 दिनांक-17.06.2005 तथा संकल्प संख्या-446 दिनांक 22.03.2006 के द्वारा किया जा चुका है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद संख्या-1044/96 दिनांक 20.07.2000 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों तथा टंककों को सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं टंककों के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाना है। विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004 में टंककों का वेतन तदनुसार 4000-6000 रु० के वेतनमान में पुनरीक्षित है। न्यायादेश के अनुपालन में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारियों के अनुरूप विहित अर्हता एवं विधिवत रूप से स्वीकृत तथा मान्य पदों के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 रु० स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004 के द्वारा राज्य के अंगीभूत महाविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी से भिन्न पदनाम के प्रधान लिपिक/प्रधान सहायक के नाम से स्वीकृत वेतनमान के साथ राज्यसेवी वर्ग के कर्मियों तथा क्षेत्रिय/मुफस्सिल कार्यालयों तथा सचिवालय कर्मियों के वेतनमान अन्तर को देखते हुए अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रशाखा पदाधिकारियों के पद से भिन्न स्वीकृत पद के लिए यह वेतनमान अनुमान्य नहीं होगा।

4. उक्त पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक-12.10.2004 में अंकित अनुदेशों के अनुसार दिनांक-01.01.1996 से किया जाएगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर आयुक्त-सह-सचिव  
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञाप संख्या-15/पी 1-24/2000 उ०शि०

898

पटना, दिनांक 01/06/2007

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना के विहार राजभवन के अगले तबके में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 250 प्रतियाँ उच्च शिक्षा विभाग को अविलम्ब भेजी जाय।

अपर आयुक्त-सह-सचिव

ज्ञाप संख्या-15/पी 1-24/2000 उ०शि० 898

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
पटना, दिनांक 7/6/2007

ज्ञाप संख्या-15/पी 1-24/2000 उ०शि० 898

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/कुलपति एवं कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/निदेशक, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग/उप सचिव एवं अवर सचिव, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग/मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग के सभी पदाधिकारी/संपर्क पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, विहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 2 तथा प्रशाखा के सभी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
पटना, दिनांक 07/6/2007

अपर आयुक्त सचिव  
अपर आयुक्त सचिव

898 896 8961905586



# The Bihar Gazette

## EXTRA ORDINARY

### PUBLISHED BY AUTHORITY

---

1 MAGH, 1931 (S)  
(NO.PATNA 61) PATNA, THURSDAY, 21ST JANUARY 2010

---

No. 3ए-2 वे.पु.-16/09-630  
FINANCE DEPARTMENT

RESOLUTION

*The 21<sup>st</sup> January 2010*

**Subject:- Revision of the pay scales of State Government employees with effect from 1st January 2006.**

The Government of India has revised pay scales/pay structure on the recommendation of the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission, with effect from 01-01-2006. The State Government vide its Resolution No. 11070, dated 30-12-08, constituted a Pay Committee for recommending *inter alia* a revised pay structure for the State Government employees in the light of the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission for the revised pay structure for employees under the Central Government. On 21st December, 2009 the Pay Committee submitted its Report relating to pay scales and other benefits to the State Government employees.

2. The State Government has given careful consideration to the recommendations of the Pay Committee, alongwith the recommendations of three member Committee constituted vide Resolution no. 12203 dated 23-12-2009 to scrutinize the recommendations of the Pay Committee, in respect of the State Government employees and have decided to accept the running Pay Bands and Grade Pay based new revised pay structure. **Schedule I** contains the normal replacement revised pay structure and **Schedule II** contains the entry pay structure for the new entrants who have been appointed on/or after 01-01-2006. Department wise and post wise existing pay scales and revised scales of pay of the Gazetted and Non-gazetted posts, under the State Government, are at **Schedule III**.

3. The revised pay structure shall come into effect notionally from 1<sup>st</sup> January, 2006. However, the actual payments in the revised pay structure would arise with effect from 1<sup>st</sup> April, 2007. The revised pay structure will apply to all State Government employees who were in service on 1<sup>st</sup> January, 2006 and to all new appointments made on or after the said date. Provided that in respect of the Government employees who were under suspension or on leave or were not on duty on 1st January 2006, the revised pay structure will be applicable from the date of return to duty and no arrears would be admissible for the period of absence.

4. **Definitions.**— The provisions in this resolution unless the context otherwise requires:-

- (i) **"existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing scale of pay, including stagnation increment(s), but does not include any other type of pay like 'special pay' etc.
- (ii) **"existing scale"** in relation to a Government servant means the present scale applicable to the post held by the Government servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 in a substantive or officiating capacity.
- (iii) **"existing emoluments"** mean the sum of (i) existing basic pay, (ii) dearness pay appropriate to the basic pay and (iii) dearness allowance appropriate to the basic pay + dearness pay at index average 536(1982=100).
- (iv) **"present scale"** in relation to any post/grade specified in column 2 of the Schedule I.
- (v) **"pay in the pay band"** means pay drawn in the running pay bands specified in column 4 of Schedule III read with Column 4 of the Schedule I.
- (vi) **"grade pay"** is the fixed amount corresponding to the pre-revised Pay scales/posts.
- (vii) **"revised pay structure"** in relation to any post specified in column 2 of Schedule III means the pay band and grade pay specified against that post in column 4 and 5 of Schedule III.
- (viii) **"basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay etc.
- (ix) **"revised emoluments"** means the pay in the pay band plus grade pay of a Government servant in the revised pay structure.
- (x) **"Schedule"** means a schedule appended to this Resolution.

5. **Exercise of option.**—A Government employee may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or subsequent increments in the existing scales or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale subject to the following condition :-

- (i) The option to retain the existing scale shall be available only in respect of the present pre-revised scale of pay.
- (ii) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after 1<sup>st</sup> January, 2006, whether for the first time in Government Service or by transfer or promotion from ex-cadre post and he/she shall be allowed pay in the revised pay structure.
- (iii) The option shall have to be exercised in writing within three months from the date of publication of this Resolution in the Gazette in the form of option as contained in 'Schedule IV' appended to this Resolution, so as to reach the Head of Office

in case of Non-Gazetted Government servants and in case of Gazetted Government servants, the pay slip section of the Finance Department/Accountant General, with a copy to the head of the Office. Where a Government employee is under suspension/ on leave on the date, the option may be exercised within three months from the date of his/ her return to duty.

- (iv) If the intimation regarding the option is not received within the stipulated period" or the employee concerned draws his pay in the new pay structure within the period, it will be deemed that he/she has elected to be governed by the new pay structure with effect from 01-01-2006.
- (v) A Government Servant who opts to continue in the existing scale will be entitled to the dearness allowance and other allowances at the existing pre-revised rates.
- (vi) The option once exercised shall be final.

**6. Drawal of pay in the revised pay structure.**— Save as otherwise provided in this Resolution, a Government servant shall draw pay in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in higher pay scale between 01-01-2006 and the date of issue of this order on account of promotion, etc., the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, etc.

**Explanation-1** The option to retain the existing scale under this provision shall be admissible only in respect of one existing scale.

**Explanation-2** The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2006, whether for the first time in Government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

**7. Fixation of Initial pay in the revised pay structure.**—(1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected to be governed by the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 shall, unless in any case the State Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, in the following manner, namely:-

**(A) In the case of all employees:-**

- (i) The pay in the pay band / pay scale will be determined by multiplying the existing basic pay as on 01-01-2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10.
- (ii) If the minimum of the revised pay band corresponding to the post is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band.

Where in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, the increment will be calculated on the pay in the pay

band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching.

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band/pay scale (where applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

(iii) The pay in the Pay Band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the post as indicated in Schedule III will be payable.

(B) In the case of employees who are in receipt of special pay/ allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.

**Note-1** Where a post has been upgraded the fixation of pay in the applicable pay band will be done in the manner prescribed in accordance with above Clause (A) (i) and (ii) by multiplying the existing basic pay as on 01-01-2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the upgraded scale will be payable in addition.

**Note-2** Where in the fixation of pay under this provision, the pay of a Government servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised pay band as that of the junior.

**Note-3** In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, the pay in the pay band of the senior Government servant shall be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post. The stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and the senior Government servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.
- (b) the pre-revised scale of pay and the revised grade pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
- (c) the senior Government servants at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior.
- (d) The anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

**Note-4** Where the existing emoluments exceeds the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note-5** Where a Government servant is in receipt of personal pay on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note-6** Fitment table in new pay structure is appended as Schedule VI.

**Note-7** Grade Pay will determine seniority of posts only within a cadre's hierarchy and not between various cadres.

**8. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 01-01-2006.**—Schedule II of this Resolution indicates the entry level pay in the pay band at which the pay of direct recruits to a particular post carrying a specific grade pay will be fixed on or after 01-01-2006. This will also be applied in those cases who were recruited between 01-01-2006 to 31-12-2008.

In such cases where the emoluments in the pre-revised pay scale (s) [i.e. basic pay in the pre-revised pay scale(s) plus Dearness Pay plus Dearness Allowance applicable on the date of joining] exceeds the sum of pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increments in pay. The employees appointed between 01-01-2006 to 01-04-2007 will get the financial benefits of the revised pay structure only with effect of 01-04-2007.

**9. Rate of increment in the revised pay structure.**—The rate of increment in the revised pay structure will be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which will be rounded off to the next multiple of 10. In this exercise the fraction in paisa shall be avoided. This will be applicable to all the employees of the State.

**10. Date of next increment in the revised pay structure.**—There will be a uniform date of annual increment, viz. 1st July of every year. Employees completing 6 months and above in the revised pay structure as on 1st of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 1.01.2006 in the revised pay structure will be granted on 1-07-2006 for those employees for whom the date of next increment was between 1st July, 2006 to 1st January, 2007.

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006. Thereafter, the above provision would apply.

Provided that in cases where an employee reaches the maximum of his pay band shall be placed in the next higher pay band after one year of reaching such a maximum. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment will be provided.

**Note-** In cases where two existing scales, one being a promotional scale for the other are merged, and the junior Government servant, now drawing his pay at equal or lower stage in the lower scale of pay, happens to draw more pay in the pay band in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant in the existing higher scale, the pay in the pay band of the senior Government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with the above rule.

**11. Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1st day of January, 2006.**— Where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-

- (1) Pay in the pay band will be fixed by adding the basic pay applicable on the later date, the dearness pay applicable on that date and the pre-revised dearness allowance based on rates applicable as on 01.01.2006. This figure will be rounded off to the next multiple of 10 and will then become the pay in the applicable pay band. In addition to this the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale will be payable.

**12. Fixation of pay on promotion on or after 01-01-06.**— In the case of promotion from one grade pay to another in the revised pay structure, the fixation will be done as follows:-

One increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing **pay in the pay band** (as defined in para 4(v)). The grade pay corresponding to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which promotion is taking place, pay in the pay band will be stepped to such minimum.

**Note:-** On promotion from one grade to another/financial up gradation under ACP, a Government servant has an option under FR22(1)(a)(1) to get his pay fixed in the higher post either from the date of his promotion, or from date of his next increment, viz 1st July of the year. The pay will be fixed in the following manner in the revised pay structure:-

- (a) In case the Government servant opts to get his pay fixed from his date of next increment, then, on the date of promotion, pay in the pay band shall continue unchanged, but the grade pay of the higher post will be granted. Further re-fixation will be done on the date of his next increment i.e. 1st July. On that day, he will be granted two increments one annual increment and the second on account of promotion. While computing these two increments, basic pay, prior to the date of promotion shall be taken into account. To illustrate, if the basic pay prior to the date of promotion was Rs.100, first increment would be computed on Rs.100 and the second on Rs.103.
- (b) In case the Government servant opts to get his pay fixed in the higher grade from the date of his promotion, he shall get his first increment in the higher grade on the next 1st July if he was promoted between 2nd July and 1st January. However, if he was promoted between 2nd January and 30th June of a particular year he shall get his increment on 1st July of next year.

**13.** The Departments of the State Government are advised to bring to the notice of the Finance Department any omission or mistake found in the details as contained in this resolution for rectification and/or other suitable action. If any confusion/discrepancy arises in implementation of the provision regarding revised pay structure the matter should be referred to the Finance Department.

**14.** There may be cases where it has not been possible to fix suitable revised pay structure for posts on fixed/consolidated rate of pay or scales of



pay, the departments are advised to examine such cases on the prescribed qualification, nature of duties, revised pay structure relevant factors and refer each such case to the Finance Department for appropriate advice. The existing holder of the posts will continue to be in the existing scale with the allowances at the existing scales till a new order is issued.

**15.** This order overrides the resolution no. 362 dated 17.01.2009 and 532. dated 28-01-2009 that contained provisions for the state government employees in anticipation of acceptance of the recommendations of the Pay Commission. **Order:-** Ordered that copy of this Resolution be published in the extra

Bihar Gazette.

By order of the Governor  
RABINDRA PANJABI  
Secretary, Resources

pay, the departments are advised to examine such cases on the basis of prescribed qualification, nature of duties, revised pay structure and other relevant factors and refer each such case to the Finance Department for appropriate advice. The existing holder of the posts will continue to draw pay in the existing scale with the allowances at the existing scales till a final order is issued.

**15.** This order overrides the resolution no. 362 dated 17.01.09, 363, dated 17-01-2009 and 532, dated 28-01-2009 that contained provisionally granted revised pay structure for the state government employees in anticipation of acceptance of the recommendations of the Pay Committee.

**Order:-** Ordered that copy of this Resolution be published in the extra ordinary Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,  
**RABINDRA PANWAR,**  
*Secretary, Resources.*

**Schedule III**  
**Post wise replacement scale**

Sl. No.	Designation	Existing pay Scale	Revised Pay Band	Grade pay	Remarks
259	Deputy Controller (Deputy Collector)	6500-10500	PB-2	5400	
260	Asstt. Director/ Junior Staff Officer.	6500-10500	PB-2	4200	
<b>SOLDIER'S BOARD</b>					
261	Welfare Organiser	3050-4590	PB-1	1900	
262	Secretary Grade III	4000-6000	PB-1	2400	
263	Secretary Grade II	4500-7000	PB-1	2800	
264	Secretary Grade I	5000-8000	PB-2	4200	
265	Soldier Welfare Officer (Adhoc F.D. Let 1037, 26-02-98)	6500-10500	PB-2	4200	
266	District Soldier Welfare Officer	10000-15200	PB-3	6600	FD Resolution no 238, dt 12-01-2004
267	District Soldier Asstt. Officer	5500-9000	PB-2	4200	
<b>PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT</b>					
<b>BIHAR SECRETARIAT SERVICE</b>					
1	Assistant	5500-9000	PB-2	4600	The Present employee may exercise their option to get the benefit of fixation of pay in upgraded pay scale of 6500-10500 w.e.f. 15-09-2006 but financial benefit can be made available w.e.f 01-04-2007
2	Section Officer	6500-10500	PB-2	4800	PB-3 with Grade Pay 5400 After Four Years of Service
3	Under Secy. & Equivalent Post	10000-15200	PB-3	6600	
4	Deputy Secretary & Equivalent Post	12000-16500	PB-3	7600	
5	Joint Secretary & Equivalent Post	14300-18300	PB-4	8700	
<b>Bihar Secretariat Stenographer Service</b>					
6	Stenographer	4000-6000	PB-1	2400	By Rule Notification No 5646, dt 14-06-06
7	Personal Assistant	5500-9000	PB-2	4600	The Present employee may exercise their option to get the benefit of fixation of pay in upgraded pay scale of 6500-10500 w.e.f. 15.09.2006 but financial benefit can be made available w.e.f 01.04.07

संख्या-15/डी 1-01/09 अंश-II उ0शि02693, दिनांक 27 अगस्त 2010

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

**विषय:** राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.01.06 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जा चुका है। इस क्रम में अत्यधिक महत्व है कि जब जब राज्य वर्गियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तब तब राज्य के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करते हुये नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतः इस क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों के लिए पूर्व में विभागीय संकल्पों के द्वारा दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमानों को दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से नव वेतन संरचना में पुनरीक्षण, वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के पूर्ण विचारोपसृत बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 तथा परन्तु विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 35(ii) के परन्तुक के प्रावधानों के अधीन राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों तथा धारा 2(द) के अधीन महाविद्यालय (अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) आगे की कौडकाओं में अंकित शर्तों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची I तथा II में अंकित वेतन संरचना लागू करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में विकल्प प्रपत्र तथा शपथ पत्र वेतन निर्धारण सूत्र तथा इसकी प्रक्रिया, वेतन निर्धारण तालिका (टेबुल) तथा उदाहरण, परिशिष्ट I से III के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. बिहार के विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का वेतनमान भारत सरकार के पत्रांक 1-32/2006-L-11/13-II(ii), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तथा पत्रांक एफ.03-1/2009-यू01, दिनांक 04.06.2009 का आधार बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित रेगुलेशनों तथा पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप पाये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित समकक्षता के आधार पर वर्तमान वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नरूप से किया जावेगा:

**कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक/द्वितीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्रक**

(a) कुल सचिव जिसका वेतनमान 1.1.96 से 12000-16500 रु० स्वीकृत किया गया था को राजकीय संकल्प संख्या 878 दिनांक 15.03.2010 के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से 16400-22400 रु० का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अन्य पदों यथा महाविद्यालय निरीक्षक/द्वितीय परामर्शी/परीक्षा महानियंत्रक को वेतन समिति की अनुशंसा के आधार पर वेतन बैंड 37400-67000 रु० में ग्रेड प 10,000 रु०

के साथ वेतन निर्धारित किया जायेगा। कुल सचिव/ महाविद्यालय निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती यूजीसी के निर्धारित मापदण्डों के अधीन जारी रहेगी। वित्तीय परामर्शी के पद पर सम्प्रति कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है। इस पर पर भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अतिरिक्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार में वित्त या लेखा सेवा में सेवारत व्यक्तियों को भी प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर रखने पर विचार किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अधीन सीधी भर्ती का प्रावधान भी रखा जायेगा। परीक्षा विभाग के सुद्दीकरण हेतु परीक्षा महानियंत्रक का पद सृजित किये जाने तथा इसपर नियुक्ति के लिए भी कुल सचिव के लिए यूजीसी के निर्धारित मापदण्डों के अधीन रखा गया है। इन दोनों पदों का कुलसचिव के समतुल्य माना जायेगा।

(b) कुलसचिव एवं अन्य समतुल्य पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा 7 पाइंट स्कोल में समकक्ष ग्रेड "बी" आवश्यक अनुभव, निर्धारित योग्यता एवं उसके अन्तर्गत सीधी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया लागू रहेगी। भारत सरकार के पत्रांक सं० 1-32/2006-U-II/0-1, दिनांक 31.12.2008 तथा के द्वारा शिक्षकों के पदनामों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप कुलसचिव एवं समतुल्य पदों के लिए आवश्यक अनुभव की आवश्यकता निम्नरूप से निर्धारित की गयी है :

(i) कम से कम 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त सहायक प्राफेसर के रूप में 10000 रु० के ए०जी०पी० के साथ या उससे अधिक अथवा 8 वर्षों का सेवा का अनुभव 10000 रु० के ए०जी०पी० में या उससे अधिक एसोसिएट प्राफेसर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक पदों का अनुभव के साथ, या

(ii) शोध संस्थानों में तुलनीय (Comparable) अनुभव और/वा अन्य अन्य शिक्षा संस्थानों में कार्य अनुभव, या

(iii) 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिससे 8 वर्षों का उपकुलसचिव या अन्य समतुल्य पदों का अनुभव मान्य किया जायेगा।

**उप कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक एवं समतुल्य पद**

(a) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन निर्धारण वेतन बैंड 15600 39100 रु० 7600 रु० ग्रेड पे में की जायेगी। वे पाँच वर्षों को सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन बैंड 37400 67000 ग्रेड पे 8700 उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में उत्क्रमित होंगे तथा उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने के बावजूद वे उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के रूप में ही पदनामित रहते हुए सेवा में बनाये रखी जायेगी।

(b) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक का वेतन निम्नलिखित वेतन बैंड 15600-39100 रु० वेतन ग्रेड 7600 रु० या 37400-67000 रु० वेतन ग्रेड 8700 रु० में ईसा भी शामिल हो, उनकी सेवावधि के आधार पर निर्भर करेगा, परन्तु उन सभी को, जिन्होंने 5 वर्षों का संवत्सुत्र अनुभव प्राप्त किया है, वेतनमान 12000-18300 में 01.01.2006 को प्राप्त कर लिया है, वेतन बैंड 37400-67000 वेतन ग्रेड 8700 के उपयुक्त प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(c) उप कुलसचिव तथा अन्य समकक्ष पदों पर सीधे नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा 7 पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ

(i) सहायक प्रोफेसर के रूप में 9 वर्षों या उससे ज्यादा का अनुभव अथवा रु० के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव, या

(ii) शाध संस्थानों में तुलनीय अनुभव और/या अन्य उच्च शाला संस्थानों का कार्यानुभव, या

(iii) सहायक कुलसचिव या समतुल्य पदों पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।

(d) उप कुलसचिव और अन्य समकक्ष पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति किए जाने पर वे इस पद हेतु स्वीकृत समुचित ग्रेड वेतन प्राप्त कर सकेंगे परन्तु वे शिक्षक के रूप में प्राप्त कर रहे पदवीय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(e) वर्तमान में जिस प्रकार का भी मामला हो, उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरा जायेगा।

(f) उप कुलसचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी वेतन बैंड 15600-39100 रु० ग्रेड पे 7600 रु० से उच्च वेतन बैंड में उत्क्रमित होने पर उनका पदनाम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(g) उप कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक का 25 प्रतिशत पद सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक से प्रान्ति के द्वारा भरा जायेगा। सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त पदाधिकारी/सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं समतुल्य पद

(a) इन पदों के लिए वेतन बैंड 15600-39100 रु०, ग्रेड पे 5400 रु० का अनुमान्य किया जायेगा।

(b) सहायक कुलसचिव और समकक्ष पदों पर सीधे नियुक्ति हेतु यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम योग्यता 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, या 7 पाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड, पूर्ववत् प्रभावी माना जायेगा।

(c) सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया रखी जाएगी।

(d) इन पदों का 50 प्रतिशत पद निम्न संवर्गों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया रखी जायेगी। ऊपर वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान प्रोन्नति से भरे जाने की स्थिति में लागू नहीं किया जायेगा।

(e) सहायक कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पदों के कमी उच्च ग्रेड पे 6600 रु० वेतनबैंड 15600-39100 रु० में 8 वर्षों की सेवोपरांत उत्क्रमित हो सकेंगे वरन्ते वे वर्तमान में अपेक्षित शैक्षणिक प्रशासन के चार सप्ताह की अवधि वाले दो ट्रेनिंग प्रोग्राम में संतोषप्रद के साथ भाग ले चुके हों तथा उनका नियमित कार्यों का मूल्यांकन प्रतिवर्दन लगातार अनुकूल रहा हो। सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत पदों पर ही 6600 रु० तक का उच्च ग्रेड पे अनुमान्य किया जायेगा।

3. चतुर्थ चरण में हुए अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/कर्मियों के संबंध में समिति के प्रतिवर्दन में अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०सी० अग्रवाल न्यायाधीश के प्रतिवर्दन में सामंजस योग्य पाए गए वर्ग-III एवं वर्ग-IV के शिक्षक/कर्मियों की सूची दी गई है। उन सभी शिक्षक/कर्मियों को जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उनकी सेवा विश्वविद्यालय में सामंजस नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने की बग़रवाई नहीं किये जाने से अनेकों प्रकार की गंभीर विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। चूँकि इन कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जानी थी, अतः इस वेतन पुनरीक्षण का लाभ वैसे कर्मियों को अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

4. अनुकम्पा के आधार पर तृतीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर्मी यदि स्वीकृत एवं अनुमान्य वेतनमान के पद के विरुद्ध यदि नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध सामंजस करते हुए न्यूनतम अपुनरीक्षित वेतनमान (3050-4590) एवं यदि चतुर्थवर्गीय कर्मी स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं हैं तो उन्हें स्वीकृत पद के विरुद्ध सामंजस करते हुए पुनरीक्षित वेतनबैंड के आधार पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से उच्चतर वेतनमान पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। चूँकि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना शिक्षक या शिक्षक/कर्मियों का वेतन, भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय अनुमान्यता नहीं हो सकती, अतः राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान को ही आधार बनाकर वेतन पुनरीक्षित किया जायेगा।

6. प्रयोगशाला से जुड़े कर्मी यथा प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला सहायक/ तकनीशियन जिन्हें नियुक्ति की तिथि से ही प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया है, के मामले में काफी जटिलताएँ उत्पन्न हो गयी हैं अतः इन री-इंजिनेटेड प्रयोग प्रदर्शकों को, जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त रहे हैं तथा जिन्हें पदनामित किये जाने में राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर सक्षम आयोग द्वारा नियुक्ति में सहमति प्रदान किये जाने से संबंधित प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हों, को प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में पदनामित किये जाने के प्रस्ताव में यू०जी०सी० की सहमति हेतु भेजा जायेगा। यू०जी०सी० की सहमति प्राप्त होने तक तत्काल इन कर्मियों को 5500-9000 ₹ के वेतनमान के आधार पर वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा।
7. प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक के पदों से प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित तथा कार्यरत कर्मी, जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं तथा उन्हें स्नातक की डिग्री एवं निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त है, परन्तु उनका पूर्व में प्रयोग-प्रदर्शक के रूप में मान्य किये जाने अथवा पदनामित किये जाने में राज्य सरकार और आयोग की सहमति प्राप्त किये जाने से संबंधित कोई प्रमाणिक एवं सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, को उनके वेतन का पुनरीक्षण 4500-7000 ₹ के वेतनमान के आधार पर किया जायेगा।
8. वैसे प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक जिनका पद विधिवत रूप से स्वीकृत नहीं है तथा स्टाफिंग पेंशन तथा अन्य कारणों से उनकी सेवा की निरंतरता बनी हुई है, को समिति द्वारा तत्काल 4000-6000 ₹ के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जायेगा।
9. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों के शिक्षकतर कर्मियों के लिए अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया तथा विहित अर्हता का निर्धारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप तृतीय चर्गीय कर्मियों की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, अतः कार्यरत में विश्वविद्यालय सेवा वर्ग के कर्मियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण अनिवार्य रूप से किये जाने तथा इनकी प्रोन्नति की नियमित व्यवस्था के निर्मित पद संवर्ग एवं पद सोपान निर्धारित किये जाने की आवश्यकता दर्शाते हुए समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त होनेवाले प्रतिवेदन पर अलग से विचार किया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में आशलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों, लेखा संवर्ग के पदों की सीधी भती की अर्हता में कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जायेगी। सेवा नियमों में आवश्यक संशोधनों के पश्चात ही संशोधित अर्हता के अनुसार नई नियुक्तियाँ प्रारम्भ किया जायेगा।



11. चतुर्थ श्रेणी की वर्तमान में सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों तथा निकट भविष्य में होने वाली इस श्रेणी की रिक्तियों पर कोई भती न की जाये। यदि शासकीय कार्य संचालन हेतु ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता हो तो ऐसे कार्मिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य "आउट सोर्सिंग" के माध्यम से कराया जायेगा।

12. राज्य सरकार के कर्मियों को बकाए वेतनादि के भुगतान में जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उस राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय के कर्मियों के लिए भी लागू किया गया है। बिहार सरकार के कर्मियों का वेतन निर्धारण 01.01.2006 से लागू किया गया है परन्तु वास्तविक भुगतान 01.04.2007 से किया गया है अतः विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षक-कर्मियों एवं पदाधिकारियों के संदर्भ में उसी तिथि से वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा।

13. नये वेतनमान के लागू होने पर किसी भी कर्मचारी का वर्तमान प्राप्त वेतन से कम राशि अनुमान्य नहीं किया जायेगा यदि किसी कर्मचारी के साथ ऐसा हो तो उस हानि को व्यक्तिगत वेतन देकर पूरा किया जायेगा। इस व्यक्तिगत वेतन को ऐसे कर्मियों को भविष्य में मिलने वाले वेतनवृद्धि में समायाचित किया जायेगा।

14. पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण:

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना वैचारिक रूप से तिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी, किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वास्तविक भुगतान 01.04.2007 के प्रभाव से किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 01.01.2006 को विधिवत रूप से मूजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर विश्वविद्यालय सेवा में थे और उन सभी नई नियुक्तियों पर जो उक्त तिथि को या उसके बाद की गईं हो। परन्तु उन सभी कर्मचारियों के लिए जो 1 जनवरी, 2006 को निलम्बनाधीन या अवकाश पर थे या कर्तव्य पर नहीं थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना उनके कर्तव्य पर लौटने की तिथि से लागू होगी और अनुपस्थित अवधि के लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

(2) परिभाषायें : इस संकल्प के उपबंधों में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अर्पक्षित न हो :

(i) "वर्तमान मूल वेतन" से अभिप्रेत है गत्यवरोध वेतन वृद्धि सहित विहित वर्तमान वेतनमान में लिया गया वेतन, किन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन यथा, 'विशेष वेतन' आदि समाहित नहीं हैं।

(ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के संबंध में "वर्तमान वेतनमान" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक द्वारा अधिष्ठाई या स्थानापन्न हैसियत में पहली जनवरी 2006 को विधिवत रूप से स्वीकृत धारित पद के लिए लागू वर्तमान वेतनमान या यथास्थिति, उसके लिए लागू व्यक्तिगत वेतनमान।

(iii) "वर्तमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है, (i) वर्तमान मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर देय महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन और महंगाई वेतन के योग पर देय महंगाई भत्ता।

(iv) अनुसूची-1 के कॉलम 3 में के विनिर्दिष्ट किसी पद/ग्रेड के संबंध में "वर्तमान वेतनमान"।

(v) "वेतन बैंड में वेतन" से अभिप्रेत है संलग्न अनुसूची 1 के कॉलम 4 में आंकृत तंत्र में वेतन बैंड में लिया गया वेतन।

(vi) "ग्रेड वेतन" पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत राशि है।

(vii) अनुसूची-1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से अभिप्रेत है, उस पद के विरुद्ध उक्त अनुसूची के कॉलम 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन।

(viii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से अभिप्रेत है विहित वेतन बैंड में निकाला गया वेतन के साथ साथ लागू ग्रेड वेतन किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जिसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

(ix) "पुनरीक्षित परिलब्धियां" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का योग।

(x) "अनुसूची" से अभिप्रेत है निम्नलिखित नियमों के साथ संलग्न अनुसूची।

#### 15. विकल्प का प्रयोग -

निम्नलिखित शर्तों के अधीन कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन लेना जारी रख सकेगा जबतक वह वर्तमान वेतनमानों में अपना अगली या उत्तरवर्ती वेतन वृद्धियाँ अर्जित करे अर्थात् जबतक वह अपना पद खाली न कर दे अथवा उस वेतनमान में वेतन लेना बन्द कर दे :

(i) वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संबंध में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त विकल्प किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अनुमान्य नहीं होगा जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद हुई हो चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा संवर्ग बढाई पद से स्थानान्तरण या प्रोन्नति द्वारा आया हो और उसे पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन दिया जायेगा।

(iii) यदि नियत अवधि के भीतर विकल्प से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होता है या सम्बद्ध कर्मचारी नियत अवधि के भीतर अपना वेतन नई वेतन संरचना में ले लेता हो तो यह समझा जायेगा कि उसने 01.01.2006 के प्रभाव से नई वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है।

(iv) वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक वर्तमान पुनरीक्षण पूर्व दरों पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का हकदार होगा।

(v) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा।

16. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का भुगतान :

इन संकल्प में अन्यथा उपरोक्त क अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक को पुनरीक्षित वेतन संरचना के उसी पद का वेतन लेगा जिस पर वह विधिवत रूप से नियुक्त हो।

परन्तु, कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक उस तिथि तक वर्तमान वेतनमान में वेतन निकालना जारी रखने का विकल्प चयन कर सकेगा जब वह वर्तमान वेतनमान में अगली या छोटे स्तरवर्ती वेतनवृद्धि प्राप्त करे अथवा जबतक कि वह अपना पद खाली नहीं कर दे अथवा उस वेतनमान में वेतन निकालना चरम पर दे;

परन्तु यह और कि जैसे मामलों में जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 01.01.2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बीच प्रोन्नति आदेश के कारण किसी उच्चतर वेतनमान में रहा हो, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक ऐसा प्रोन्नति आदेश का लाभ से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चयन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1. इस उपबंध के अधीन वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प मात्र एक वर्तमान वेतनमान के लिए ही अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण 2. उपर्युक्त विकल्प वैसे किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जिसकी नियुक्ति पहली जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद हुई हो, चाहे वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में पहली बार आया हो अथवा किसी दूसरे पद से प्रोन्नति द्वारा और उसे मात्र पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन लेने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण- 3. जबतक की किसी मामले में विभाग विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, 1 जनवरी 2006 को और आगे से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का विकल्प देने वाले या विकल्प दिया जाना समझे जाने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन निर्धारण उसके उस पद के अधिभार वेतन के लिए निर्मालिखित विधि से अलग किया जायेगा; जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता हो, या ग्रहणाधिकार रखता यदि उसे निर्लंबित नहीं किया गया होता।

(क) यू०जी०सी० वेतनमान अनुमान्य किये जाने के मामले में -

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार के पत्रांक F.3-1/2009-L1 दिनांक 04.06.2009 के द्वारा विहित वेतन निर्धारण वर्तमान में लिये गये निर्णयों के आलोक में तैयार किये गये अनुसूची-II के आधार पर किया जायेगा।

(ख) अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में -

(i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमान्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 1.86 प्रतिशत की धनराशि को अगले दर स्तर में पुष्पौकृत करके निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि जहाँ वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अधिक क्रमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिए संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए वेतन वृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर आकांक्षा को जायेगी। उपर्युक्त वेतनवृद्धि देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च स्तर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त दूसरे कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

(iii) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त रीति से किया जाएगा। वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त पर के अनुरूप ग्रेड वेतन जैसा कि अनुसूची (i) में उपदर्शित है, भूगतय होगा। वैस कर्मचारियों के मामले में जो वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और जिसे बिना किसी विशेष वेतन/भत्ता के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की गई है, पुनरीक्षित वेतन में उनके वेतन का निर्धारण उपर्युक्त खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी 1. : जहाँ किसी पद का उल्लेख किया गया हो वहाँ अनुमान्य वेतन बैंड में वेतन निर्धारण उपर्युक्त खण्ड (ख) (i) और (ii) में विहित रीति के अनुसार 01.01.2006 को वर्तमान मूल वेतन में 1.86 के गुणक

से गुणा करने पर प्राप्त गुणफल को अगले 10 रु0 के गुणक में पूर्णांकित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्क्रमित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी भुगतेंय होगा।

टिप्पणी 2. : जहाँ इस उपबंध के अधीन वेतन निर्धारण में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवक का वेतन, जो वर्तमान वेतनमान में पहली जनवरी 2006 के ठीक पहले उसी संवर्ग के अपने से कनीय दूसरे सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, पुनरीक्षित वेतन बैंड में उस कनीय से निचले प्रक्रम पर ले आया जायेगा जिस प्रक्रम पर कनीय का वेतन हो।

टिप्पणी 3. : जैसे मामलों में जहाँ 1 जनवरी 2006 के पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर कोई वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने उस कनीय से कम वेतन पाता था, जिसकी उच्चतर पद पर प्रोन्नति पहली जनवरी 2006 का था उसके बाद हुई हो वहाँ वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर उस राशि के बराबर कर दिया जायेगा जो उच्चतर पद पर उसका कनीय का वेतन बैंड में निर्धारित हुआ हो। ऐसी बढ़ोतरी कनीय सेवक की प्रोन्नति की तारीख से प्रभावी होगी और निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति के अध्याधीन होगी यथा;

(क) कनीय और वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक दोनों एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उनकी प्रोन्नति हुई हो वे एक ही संवर्ग में समरूप पद हों।

(ख) निम्नतर एवं उच्चतर पदों, जिनमें वेतन लेने के हकदार हों, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान और पुनरीक्षित ग्रेड वेतन एक समान हों।

(ग) प्रोन्नति के समय वरीय सेवक कनीय के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति प्रत्यक्षतः Fundamental Rule 22 या पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण विनियमित करनेवाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबंधों को लागू करने के फलस्वरूप हुई हो। यदि कनीय पद पर भी कनीय पदाधिकारी कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में वरीय से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो वरीय पदाधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस टिप्पणी के उपबंध की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 4. : यदि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के मामले में वर्तमान परिस्थितियाँ पुनरीक्षित परिस्थितियों से अधिक हो जाती हो तो अंतर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमत होगी जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों से समायोजित की जायेगी।

टिप्पणी 5. : जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक 1 जनवरी 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और उसके साथ वर्तमान परिलब्धियाँ पुनरीक्षित परिलब्धियों से बढ़ जाती हो वहाँ बढ़ जानेवाली अन्तर राशि ऐसे सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों में समायोजित होगी।

टिप्पणी 6. : नई वेतन संरचना में फिटमेंट सारणी अनुसूची के रूप में संलग्न किया जायेगा।

टिप्पणी 7. : ग्रेड वेतन किसी संवर्ग के पद संपान के अन्तर्गत ही पदों की वरीयता का अवधारण करेगा न कि विभिन्न संवर्गों के बीच।

17. 01-01-2006 को या उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण:

ऐसे मामलों में जहाँ पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान (वेतनमानों) में परिलब्धियाँ अर्थात् कार्य ग्रहण की तारीख को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान (वेतनमानों) में (मूल वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन और उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग से बढ़ जाता हो, वहाँ अन्तर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो वेतन में आगे होनेवाली वृद्धियों से समायोजित किया जायेगा। 01.01.2006 से 01.04.2007 के बीच नियुक्त विश्वविद्यालय सेवक पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.01.2007 के प्रभाव से ही वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगे।

18. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की दर : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड के वेतन तार्किक अनुमान्य ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा जिसे अगले 10 हद के पूर्णक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस गणना में पैसा में जानेवाला भिन्निक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। यह कथ्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जायेगा।

19. पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख : वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तारीख अर्थात् हर वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में छः माह या उससे अधिक पूरा करनेवाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.01.2006 को वेतन निर्धारण करने के पश्चात् 01.07.2006 को प्रथम वेतन वृद्धि उन कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2006 से 01.01.2007 को थी।

परन्तु, वैसे व्यक्तियों के मामले में, जो 1 जनवरी 2006 को वर्तमान वेतनमान का अधिकतम 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनकी अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2006 का ही दे दी जायेगी। तत्पश्चात् उपर्युक्त उपबंध लागू होंगे।

परन्तु उन मामलों में, जहाँ कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड में अधिकतम पर पहुँच जाता हो वहाँ उसे ऐसे अधिकतम पर पहुँचने के 1 वर्ष के बाद अगले उच्चतर बैंड में रखा जायेगा। उच्चतर वेतन बैंड में रखे जाते समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

**टिप्पणी :** वैसे मामलों में जहाँ दो वर्तमान वेतनमानों में से एक दूसरे का प्रोन्नति वाला वेतनमान हो तथा उन्हें आमलित कर दिया गया हो और कर्मीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक जो अभी निम्नतर वेतनमान में अपना समान या निम्नतर प्रक्रम पर प्राप्त कर रहा हो, पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैंड में वर्तमान उच्चतर वेतनमान वाले अपने वरीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर लेता हो वहाँ वरीय सेवक का वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर उसके कर्मीय के वेतन के बराबर उसी तारीख को कर दिया जायेगा और वह अगली वेतनवृद्धि उपयुक्त नियम के अनुसार प्राप्त करेगा।

20. 1 जनवरी 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण: जहाँ कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता हो, और पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.01.2006 के बाद की तारीख को लाया जाता हो वहाँ पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(i) वेतन बैंड में बाद की तारीख को अनुमान्य मूल वेतन, उस तारीख को अनुमान्य महंगाई वेतन तथा 01.01.2006 को लागू दरों पर आधारित पुनरीक्षण पूर्व महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा। इस राशि का अगले 10 रु० के गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा और तब वह वेतन बैंड में अनुमान्य वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान का संगत ग्रेड वेतन भुगतान होगा।

21. 01.01.2006 को या उसके बाद प्रोन्नति होने पर वेतन निर्धारण : पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में प्रोन्नति होने की दशा में वेतन निर्धारण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा।

वेतन बैंड के वेतन और वर्तमान ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतन वृद्धि की गणना कर उसे अगले 10 गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस वेतन बैंड के वर्तमान वेतन (जैसा कि पूर्व कांडका में परिभाषित है) में जोड़ा जायेगा तत्पश्चात् वेतन बैंड के इस वेतन के अतिरिक्त प्रोन्नति वाले पद का संगत ग्रेड वेतन दिया जायेगा। वैसे मामलों में जहाँ प्रोन्नति होने पर वेतन बैंड भी परिवर्तित हो जाता हो वहाँ भी यही पद्धति अपनाई जायेगी। किन्तु जहाँ वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन उस उच्चतर वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होता हो, जिसमें प्रोन्नति हो रही हो वहाँ वेतन बैंड में वेतन बढ़ाकर ऐसे न्यूनतम पर लाया जायेगा।

**टिप्पणी :** एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति होने पर या किसी प्रोन्नति योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण होने पर एफ.आर. 22 (1) क (i) के अधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक को यह विकल्प होगा कि उच्चतर पद पर वेतन निर्धारण अपनी प्रोन्नति की तारीख से करावे अथवा अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से अर्थात् उस वर्ष की पहली जुलाई से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:

(क) यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपना वेतन निर्धारण अगली वेतन वृद्धि की तारीख से कराने का विकल्प चयन करता हो तो प्रोन्नति की तारीख को वेतन बैंड में वेतन अर्थात् वेतन बढ़ाया जायेगा किन्तु, उच्चतर पद का ग्रेड वेतन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अगली वेतन वृद्धि की तारीख, अर्थात् पहली जुलाई, को पुनः वेतन निर्धारित किया जायेगा। उस तारीख को उस दो वेतन वृद्धियाँ दी जायेंगी, एक वार्षिक वेतन वृद्धि और दूसरी प्रोन्नति के कारण। इन दोनों वेतन वृद्धियों को गणना करत समय प्रोन्नति की तारीख के पूर्व के मूल वेतन को ध्यान में रखा जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रोन्नति की तारीख के पूर्व मूल वेतन 100 रु था तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना 100 रु के आधार पर की जायेगी और दूसरी की 103 रु के आधार पर।

(ख) यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक अपनी प्रोन्नति की तारीख से उच्चतर ग्रेड में अपना वेतन निर्धारण कराने का विकल्प चयन करता हो और उसकी प्रोन्नति दो जुलाई और 1 जनवरी के बीच हुई हो तो वह उच्चतर ग्रेड में अपनी प्रथम वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई को प्राप्त करेगा। किन्तु, वह यदि किसी वर्ष विशेष के 2 जनवरी और 31 जून के बीच प्रोन्नत होता हो तो वह अपनी वेतन वृद्धि अगले वर्ष के 1 जुलाई को प्राप्त करेगा।

## 22. अनुमान्य भत्ता

(i) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेंद्र कर्मियों को निर्मांकित भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, प्रतिनिधित्व भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ महाविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्व वेतन पुनरीक्षणों में महंगाई भत्ता की अनुमान्यता की समानता को राज्य कर्मियों के समतुल्य पूर्व में स्वीकार रहने की स्थिति में महंगाई भत्तों को अनुमान्यता राज्य कर्मियों के अनुरूप दर से दिया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय संवीवर्ग के कर्मियों को मकान किराया भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा। वर्तमान में निर्गत की जानवाली अधिसूचना की तिथि से दिया जायेगा।



(iii) राज्य के विश्वविद्यालय के कर्मियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दिया जा रहा है। वर्तमान में वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पटना में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का एकांकित कर शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) की स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता विलोपित कर दिया गया है। अतः शहरी परिवहन भत्ते को विश्वविद्यालय कर्मियों को राज्य सेवावर्ग के कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य किया जायेगा।

(iv) चिकित्सा भत्ता को वर्तमान दर का संशोधन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए 2 वे0पु0(चि0भत्ता) 21/2009-12457वि(2) दिनांक 31.12.2009 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को वर्तमान में प्रतिमाह 100 (एक सौ) रु0 चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर 200 (दो सौ) रु0 की दर से भुगतान की स्वीकृति वर्तमान में निर्गत की जानेवाली अधिसूचना की तिथि से किया जायेगा।

(v) पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों के सम्बन्ध से संबंधित वेतन अंश/चिकित्सा या अन्योन्य शारीरिक रूप से अपंग कर्मियों का सामान्य रूप से स्वीकृत दर से तुलना परिवहन भत्ता देय होगा।

23. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्तमान संगति को ही विसंगति के मामलों को समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

24. दिनांक 30.9.2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्तों तथा निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करते हुए समंकित मांग सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

25. नये वेतनमान में शिक्षक/कर्मचारियों तथा अध्यापकों के औपवाधिक वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर, 2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनियुक्त अंकक्षकों द्वारा वेतन निर्धारण के पश्चात् शुरू किया जायेगा।

## 26. वेतनवृद्धि

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि की दर भी कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इस योजना के तहत निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति हेतु कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान नहीं किया जायेगा।

(iv) जहाँ पदाधिकारी एवं शिक्षक/कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखते हैं और उन्हें 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होगा:-

(क) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी दिये जायेंगे।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की तिथि में वेतन का निर्धारण निम्नरूप से किया जायेगा। वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग को 10 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करके हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैंड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन दिये जायेंगे। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

(v) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं शिक्षक/कर्मचारियों को जुलाई की तारीख वेतन बैंड में 6 महीना अथवा ऊपर को सेवा पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। दिनांक 01.01.2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात् एक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को स्वीकृत की जायेगी। उन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों को भी जिनकी अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में है। वैसे सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों को, जिन्होंने दिनांक 01.02.2005 और 01.01.2006 के बीच पिछली वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, के लिए भी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.07.2006 होगी परन्तु उन विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों को के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(vi) पदाधिकारियों एवं शिक्षक/कर्मचारियों को अपने वेतन बैंड के अधिकतम प्रक्रम/स्तर पर पहुँचने पर वेतन निर्धारण:-

अगर कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतन बैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात वह उक्त वेतन बैंड में तबतक रहेगा, जबतक उनका वेतन चालू वेतन संरचना के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता है।

27. पुनरीक्षित वेतनमानों में हुई विसंगतियों का निराकरण, यदि आवश्यक हो, तो उसके निवारण हेतु वर्तमान सर्भिस को ही विसंगति के मामलों की समीक्षा हेतु भेजा जायेगा।

28. दिनांक 31.8.2010 तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राजकीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले संकल्पों में अंकित शर्तों तथा निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण करते हुए समेकित मांग सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

29. नये वेतनमान में शिक्षकेतर पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को औपबोधक वेतन भुगतान तत्काल सितम्बर 2010 के प्रभाव से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनिधुक्त अंकेक्षकों द्वारा वेतन निर्धारण के पश्चात शुरू किया जायेगा।

30. योजना के वांछनीय तत्व :

(i) वर्तमान प्रस्ताव के आधार पर यथावश्यक अधिनियम एवं परिनियम में सुधार किया जायेगा।

(ii) प्रक्रियाजनित कारणों से विलम्ब को देखते हुए तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान में किसी भी कर्मी का तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक उनके वेतनारि के निर्धारण में राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधुक्त वित्त विभाग के अंकेक्षकों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाय।

(iii) विभागीय पत्रांक 759 दिनांक 01.09.1990, बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के पत्रांक 3623 29 दिनांक 13.12.1990 एवं महामहिम कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक दिनांक 28.11.1990 के साथ संलग्न पत्रों के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, स्नातकोत्तर केंद्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित इकाईयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का एक एक संवर्ग तथा अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को उक्त संवर्ग में शामिल नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य संवीवर्ग के मुफ्फसिल कर्मियों के अनुरूप महाविद्यालयों का एक अलग संवर्ग का गठन किया जायेगा।

(iv) वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को क्रमशः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अनुसचिवीय पदों के अनुरूप तथा महाविद्यालयों में मुफ्फसिल कार्यालयों के समतुल्य वेतनमान दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में वित्त विभाग के पत्रांक 8826 दिनांक 20.12.2000 तथा पत्रांक 8825 दिनांक 20.12.2000 के अनुरूप 20.12.2000

के प्रभाव से डी-मर्जर वेतनमानों के पृथकीकरण की कारवाई सुनिश्चित किये जाने के क्रम में उक्त तिथि के पश्चात् नियुक्त अथवा नियमित किये गये आशुलिपिक वर्ग-I, आशुलिपिक वर्ग-II (प्रवर कोटि), आशुलिपिक वर्ग-I, निम्नवर्गीय सहायक, उच्चवर्गीय सहायक, टंकक वर्ग-II, टंकक वर्ग-I, कनीय विपत्र लिपिक, वरीय विपत्र लिपिक, निजी सहायक, सहायक, टंकक, विपत्र लिपिक के कर्मियों को पृथकीकरण के अनुरूप पदों पर अनुमान्य वेतनमान के आधार पर पुनर्तीक्षित वेतनबैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमान्य किया गया है। अतः इस अनुरासा के क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय सम्बर्ग में नियुक्त कर्मियों का विश्वविद्यालय सम्बर्ग में पदस्थापित नहीं किये जाने के साथ-साथ पूर्व में पदस्थापित कर्मियों के उनके पैतृक स्थान पर भर्त्ता जाने की कारवाई किया जावेगा। /

(v) इस संकल्प में अन्तर्विष्ट व्यौर में कोई छूट या गलती पाई जाती हो तो उसके सुधार और/या अन्य उपर्युक्त कारवाई के लिए मानव संसाधन विकास विभाग के ध्यान आकृष्ट कराया जावेगा। यदि पुनर्तीक्षित वेतन संरचना से संबंधित उपबंध के कार्यान्वयन में कोई शंका/विषमता उत्पन्न हो तो उसे भी मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

31. दिनांक 01.04.2007 से 31.08.2010 तक के बकाये, वेतनादि तथा महंगाई भत्ता वगैरह संगत संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्त के उपरान्त, वास्तविक व्यय भार की गणना कर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 5 (पाँच) वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

32. संबंधित महाविद्यालय/विभाग विद्यत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपनी मांग विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे निपटीरत प्रपत्र में स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विवरणी दर्शाते हुए समीकित मांग राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

33. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निगत किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह/

(कै०के० पाठक)

सरकार के सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग

शाप संख्या- 15/डी। 01/09 अंश II

पटना, दिनांक

अगस्त 2010

प्रतिलिपि:- (अनुसूची तथा परिशिष्ट सहित), अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह/

(कै०के० पाठक)

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या- 15/डी। 01/09 अंश-II पटना, दिनांक अगस्त'2010  
 प्रतिर्लाप:- (अनुमूची तथा परिशिष्ट सहित), प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव,  
 वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा  
 विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव एवं आय व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग पटना/क्रोपागार पदाधिकारी, सचिवालय  
 क्रोपागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/उपसचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा  
 पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/ सम्पर्क पदाधिकारी, टॉपस(0) भागलपुर  
 विश्वविद्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14, एवं 15 तथा सभी  
 सहायक तथा लेखापाल, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
 आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

हः

(कै०कै० पाठक)

सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या 15/डी।-01/09 अंश-II - 2693 पटना, दिनांक 27 अगस्त'2010  
 प्रतिर्लाप: (अनुमूची तथा परिशिष्ट सहित), वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव तथा वित्त पदाधिकारी, पटना  
 विश्वविद्यालय, पटना/मगध विश्वविद्यालय, बोध गया/बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय,  
 मुजफ्फरपुर/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,  
 दरभंगा/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/जय प्रकाश  
 विश्वविद्यालय, छपरा/मुपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/प्रचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय,  
 गदनी/रायगुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाइ हेतु प्रेषित।

(कै०कै० पाठक)

सरकार के सचिव

विहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत तथा धातनुदाभित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए (स्वीकृत पदों के विरुद्ध) अनुशासित दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का वेतन बैंड एवं ग्रेड पे तालिका

क्र. सं.	पद का नाम	01.01.86 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अस्युचित
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5	6	7
<b>(क) विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन शिक्षकेतर पदाधिकारी की स्थापना</b>						
1	कुल सचिव	12000-16500	15600-39100	पी0बी0-3	7600	कुल सचिव का निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 12000-16500 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
2	उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	कुल सचिव का निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 6500-10500 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
3	सहायक कुलसचिव	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	कुल सचिव का निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 5500-9000 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
4	विकास पदाधिकारी	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 6500-10500 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
5	युवा कल्याण पदाधिकारी	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 5500-9000 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
6	योजना पदाधिकारी	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 5500-9000 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
<b>(ख) विश्वविद्यालय वित्त एवं अंकेक्षण विभाग</b>						
1	वित्तीय परामर्शी	निर्धारित नहीं	37400-67000		10000	वित्तीय सेवा एवं अंकेक्षण सेवा केन्द्रों या राज्य स्तरीय सेवा या अंकेक्षण सेवाओं के अधीन समतुल्य स्तर के पद पर निर्धारित पदाधिकारियों को प्रतिनिधित्व के तौर पर मनोनायक। यदि यह स्तर नहीं हो सके तो पी0बी0-3 द्वारा कुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों के अधीन लोगों वाली द्वारा विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित वेतन बैंड 37400-67000 पेड पे 10000 वेतनमान कर्मियों को अनुमानित पर मनोनायक।
2	वित्त पदाधिकारी	10000-15200	15600-39100	पी0बी0-3	6600	समतुल्य स्तर के समतुल्य पद। उपकुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 10000-15200 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।
3	बजट-सह-लेखा पदाधिकारी (सहायक वित्त पदाधिकारी के रूप में नामित)	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित वेतन एवं शर्तों को पूरा करने पर वेतन बैंड 6500-10500 पेड पे 10000 विश्वविद्यालय कोषों पर निर्भर कर अनुमानित होगा।

क्र. सं.	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति	
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे		
1	2	3	4		5	7	
<b>(ग) विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग</b>							
1	परीक्षा महानियंत्रक	निर्धारित नहीं	37400-67000			10000	कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान। पर कृपया के धोष।
2	परीक्षा नियंत्रक	10000-15200	15500-39100	पी0बी0-3		6600	उपकुल सचिव के समतुल्य पद। उपकुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
3	सहायक कुल सचिव (परीक्षा)		9300-34800	पी0बी0-2		4200	कुल सचिव के समतुल्य पद। सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
<b>(घ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी</b>							
1	महाविद्यालय निरीक्षक	12000-16500	15600-39100	पी0बी0-3		7600	कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
2	सम्पर्क पदाधिकारी (लाइजन्स ऑफिसर)	10000-15200	15600-39100	पी0बी0-3		6600	कुलसचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
<b>(ङ) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों का सामान्य स्थापना</b>							
1	कुलपति के निजी सहायक	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2		4200	
2	प्रशासी पदाधिकारी	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2		4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
3	प्रशाखा पदाधिकारी	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2		4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
4	सुपर वाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन्स	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2		4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद।
5	सहायक	4000-6000	9300-34800	पी0बी0-2		4200	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
6	उच्च वर्गीय लिपिक	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1		2400	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
7	निम्न वर्गीय लिपिक	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1		1900	सहायक कुल सचिव के समतुल्य पद। कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुरूप ग्रेड और पे बैंड के अनुसार अनुमान।
<b>(च) विश्वविद्यालय के आशुटकक कर्मियों का स्थापना</b>							
1	आशुटकक-ग्रेड-1	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2		4200	
2	आशुटकक ग्रेड-2	5000-8000	9300-34800	पी0बी0-2		4200	
3	आशुटकक ग्रेड-3	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1		2400	
<b>(छ) विश्वविद्यालय स्थापना के अन्य पद</b>							
14	मैकेनिक कम ड्राईवर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1		1900	
15	ड्राईवर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1		1900	

क्र. सं.	पद का नाम	01.01.86 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5	7	

(ज) विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सामान्य स्थापना

1	डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
2	पलाय बॉय	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	इसको व्यवहार में नहीं लाया गया।
3	टेलिफोन ऑपरेटर	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
4	लेथ मिस्त्री (स्नातकोत्तर)	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
5	इलेक्ट्रीशियन	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
6	गाती	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
7	वीकीदार	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
8	पलीनर	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
9	स्त्रीपर	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
10	दाई	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
11	रेकॉर्ड सप्लायर	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
12	दफ्तरी	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
13	कुंक	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
14	गैस मैन	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
15	हेड जमादार	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
16	इलेक्ट्रीशियन	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
17	बैक पियन	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	
18	नाईट गार्ड	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
19	आदेशपाल	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	इसको पद संरचना में नहीं रखा गया है। इलेक्ट्रीक विभाग के अंतर्गत (आदेशपाल) पदों को समाप्त करने हुए पदावली को अद्यतन करने पर पद संरचना में परिवर्तन किया गया है।
20	फर्शर	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	

(झ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्थापना

1	विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	6000-13500	9300-34800	पी0बी0-2	5400	यूजीसीए द्वारा अनुमानित अर्हता एवं शर्तों के अंतर्गत 37400-47000 पेड पे 10000 सेलेक्शन कमीटी की अनुशंसा के अनुसार अनुमान्य होगा।
2	उप पुस्तकाध्यक्ष	6000-13500	9300-34800	पी0बी0-2	5400	यूजीसीए द्वारा अनुमानित अर्हता एवं शर्तों के अंतर्गत 15600-36100 पेड पे 8000 सेलेक्शन कमीटी की अनुशंसा के अनुसार अनुमान्य होगा।
3	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)		अस्तित्व में नहीं			यूजीसीए द्वारा अनुमानित अर्हता एवं शर्तों के अंतर्गत 15600-36100 पेड पे 7000 सेलेक्शन कमीटी की अनुशंसा के अनुसार अनुमान्य होगा।
4	सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	यूजीसीए द्वारा अनुमानित अर्हता एवं शर्तों के अंतर्गत 15600-36100 पेड पे 8000 सेलेक्शन कमीटी की अनुशंसा के अनुसार अनुमान्य होगा।
4	प्रोफेशनल सहायक	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
5	शोध सहायक	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	



क्र.सं.	पद का नाम	01.01.86 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			आयुक्ति
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
6	पुस्तकाध्यक्ष	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय प्रशासन में विशेष है अन्वया 5200-20200 ग्रेड पे 1900 अनुमानित
7	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय प्रशासन में विशेष है अन्वया 5200-20200 ग्रेड पे 1900 अनुमानित
8	कैटलगर	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय प्रशासन में विशेष है अन्वया 5200-20200 ग्रेड पे 1900 अनुमानित
9	बतासिफारर	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय प्रशासन में विशेष है अन्वया 5200-20200 ग्रेड पे 1900 अनुमानित
12	शॉर्टर (लाईब्रेरी बल्के)	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	संक्षिप्त न ग्रेडिक के साथ पुस्तकालय प्रशासन में विशेष है अन्वया 5200-20200 ग्रेड पे 1900 अनुमानित

## (ज) विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी का स्थापना

1	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	12000-16500	15600-39100	पी0बी0-3	7600	मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत सहायक-1074 चिकित्सा प्रशासनिक पदाधिकारी के अंतर्गत विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थापना के लिए विशेष चिकित्सीय दक्षताओं की स्वीकृति देना होगा। प्रदान की है कि वर्तमान व्यवस्था में स्थापित करने के रूप में रहेगी।
2	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (संशोधित)	10000-15200	15600-39100	पी0बी0-3	6600	वरीय
3	चिकित्सा पदाधिकारी (संशोधित)	6500-10500	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वरीय

## (ट) विश्वविद्यालय के चिकित्सा इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना

1	कामाउन्डर (फार्मासिस्ट)	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जाय तो ग्रेड पे 1900 अनुमानित होगा।
2	लेखापाल-साह भंडारपाल (सेन्ट्रल डिस्पेंसरी)	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
3	एक्सरे टेक्नीशियन	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जाय तो ग्रेड पे 2400 अनुमानित होगा।
4	भंडारपाल	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
5	लेबोरेटरी तकनीशियन	3200-4900	5200-20200	पी0बी0-1	2000	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जाय तो ग्रेड पे 2000 अनुमानित होगा।
6	फार्मासिस्ट	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	यदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जाय तो ग्रेड पे 1900 अनुमानित होगा।
7	कामाउन्डर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
8	वैकसीनेटर-कम पैथोलोजिकल लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिस्पेंसरी)	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
9	सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
10	ड्रेसर	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	

श्रु सं०	पद का नाम	01.01.96 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
11	इंसेर-कम टेविनसियन (सेन्ट्रल डेस्पेन्सरी)	अपुनरीक्षित	4440-7440	1 एस०	1650	

## (उ) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अभियंताओं का स्थापना

1	विश्वविद्यालय अभियंता	6500-10500	15600-39100	पी०बी० 3	6600	
2	सहायक अभियंता	5500-9000	9300-34800	पी०बी० 2	5400	
3	कनीय अभियंता	5000 8000	9300-34800	पी०बी० 2	4200	डिप्लोमा की योग्यता होगी वहिसे तथा 010 कनीय अभियंता के नाम से पद को पुनरीक्षित जाता है। यह पद सम्पूर्ण गल पद होगा।

## (ड) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना

1	आर्किटेक्चरल प्रारूपक	5000 8000	9300-34800	पी०बी०-2	4200	
2	प्रधान आर्किटेक्चरल ऑभरसियर	5000-8000	9300-34800	पी०बी०-2	4200	
3	हेड स्टीमेटर ग्रेड-1	5000-8000	9300-34800	पी०बी०-2	4200	
4	ड्राफ्ट स्टीमेटर	4000-6000	5200-20200	पी०बी० 1	2400	
5	ड्राफ्ट मैन ग्रेड-1	4000-6000	5200-20200	पी०बी०-1	2400	
6	ड्राफ्ट मैन ग्रेड 2	4000-6000	5200-20200	पी०बी०-1	2400	
7	स्टोर कीपर	4000-6000	5200-20200	पी०बी० 1	2400	
8	पम्प मेकेनिक (वर्क्स डिपार्टमेंट)	4000-6000	5200-20200	पी०बी० 1	2400	
9	हेड पम्प मिस्त्री(वर्क्स डिपार्टमेंट)	4000-6000	5200-20200	पी०बी० 1	2400	
10	लेखापाल-सह विशेष सहायक (कार्य विभाग)	4000-6000	5200-20200	पी०बी०-1	2400	
11	पम्प मिस्त्री (कार्य विभाग)	4000-6000	5200-20200	पी०बी०-1	2400	
12	ट्रेसर	2610-3540	5200-20200	पी०बी०-1	2000	
13	मिस्त्री	3050-4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
14	मुख्य फीटर	3050-4590	5200-20200	पी०बी० 1	1900	
15	इलेक्ट्रीशियन	3050 4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
16	प्लम्बर	3050-4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
17	प्रयोगशाला मिस्त्री	3050-4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
18	वर्क सरकार	3050-4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
19	मुख्य बर्दई	3050-4590	5200-20200	पी०बी०-1	1900	
20	बर्दई	2610-3540	4440-7440	1 एस०	1400	
21	बिजली मिस्त्री	2610-3540	4440-7440	1 एस०	1400	
22	टेलिफोन ऑपरटर	2650-4000	4440-7440	1 एस०	1650	
23	आदेशपाल	2550-3200	4440-7440	1 एस०	1300	

क्र० सं०	पद का नाम	01.01.86 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अभ्युक्ति
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रेड पे	
1	2	3	4		5	7
<b>(द) विश्वविद्यालय के अंकेक्षक इकाई का स्थापना</b>						
1	अंकेक्षक ग्रेड - 1 (आंतरिक अंकेक्षक)	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
2	अंकेक्षक ग्रेड - 2	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
3	अंकेक्षक	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	
<b>(ण) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर कर्मियों का स्थापना</b>						
1	कम्प्यूटर टेकनिसियन	8000-13500	9300-34800	पी0बी0-2	5400	विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर से जुड़े हुए सभी कर्मियों को शामिल करने के लिए वेतन संरचना का निर्धारण किया गया है।
2	प्रोग्रामर	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	5400	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
4	कमि पंच ऑपरेटर (कमि कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में पुनर्नामित)	अपुनरीक्षित	5200-20200	पी0बी0-1	2800	
<b>(त) विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) के कर्मियों का स्थापना</b>						
1	आकॉलॉजिकल कौमिस्ट रनाकोत्तर (ए0आई0एच0ए0)	5000-8000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
2	माइक्रोएनालिस्ट	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
3	इस्पेक्ट्रो ग्राफिक एनालिस्ट	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
4	इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 रसायन विज्ञान)	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
5	इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 भौतिक)	अपुनरीक्षित	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
6	सिनियर टेक्निकल सहायक (रनाकोत्तर विभाग)	5500-9000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	
7	माइक्रोफोटोग्राफर, आरक्योलॉजी फोटो ग्राफर, मेन्टींग इन्स्ट्रक्टर	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	श्री पी. ए. सिन्धीया प्रायमरी की सी. जे. अनाथ, क्र. 5200-20200 एच. पी. 2400
8	डाफ्ट्समैन पी0जी0 (भूगोल)	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
9	सांख्यिकी विद	5000-8000	9300-34800	पी0बी0-2	4200	पद की योग्यता मिनट 1 सांख्यिकी में स्नातक की है। अन्यथा 4000-6000 का वेतनमान अनुमानित होगा।

क्र. सं.	पद का नाम	01.01.06 से अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना			अनुक्ति
			वेतन बैंड	पे बैंड का नाम	ग्रैंड पे	
1	2	3	4		5	7
2	हिन्दी अनुवादक	5000-8000	8300-34800	पी0बी0-2	4200	कई न किबर यह पद कृषु, कल विदुते की कल, यह कलाय ही कलया।
3	जेनरल फोरमन (प्रेस)	4500-7000	5200-20200	पी0बी0-1	2800	
4	प्रेस प्रूफ रीडर	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
5	प्रूफ रीडर-कम सुपरवाइजर	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
6	प्रधान वाचक	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
7	सिनियर प्रूफ रीडर	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	
8	एकअडटेन्ट (लेखापाल)	4000-6000	5200-20200	पी0बी0-1	2400	कई न किबर यह पद कृषु, कल विदुते की कल, यह कलाय ही कलया।
9	प्रेस मशीन मैन	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
10	जूनियर स्टोर कीपर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
11	जूनियर प्रूफ रीडर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
12	सिनियर वाई-डर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
13	सिनियर मशीन मैन	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
14	सिनियर कम्पोजिटर ऑरिस्टन्ट	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
15	कम्प्यूटर प्रेस	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
16	संयसन होल्डर कम हेड कम्पोजिटर सिनियर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
17	फिलम ऑपरटर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
18	बुक बाइण्डर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
19	मन्सुरिफ्ट बुक बाइण्डर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
20	करेक्टर-कम कम्पोजिटर सिनियर	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
21	गोनी कन्स्टर (वरीय)	3050-4590	5200-20200	पी0बी0-1	1900	
22	गोनी ऑपरटर	3200-4900	5200-20200	पी0बी0-1	2000	
23	संयसन होल्डर-सह मुख्य बाई-डर	3200-4900	5200-20200	पी0बी0-1	2000	
24	गोनी ऑपरटर (कनीय)	2650-4000	4440-7440	पी0बी0-1	1650	
25	प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सिनियर	2650-4000	4440-7440	पी0बी0-1	1650	
26	प्रेस पलायवाच	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
27	प्रेस कम्पोजिटर सिनियर	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
28	जूनियर कम्पोजिटर डिस्टेम्बर	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
29	करेक्टर-कम कम्पोजिटर जूनियर	2650-4000	4440-7440	1 एस0	1650	
30	पलाय व्यौय	2550-3200	4440-7440	1 एस0	1300	
31	डिस्ट्रीब्यूटर मशीन मैन (प्रेस)	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	कई न किबर यह पद कृषु, कल विदुते की कल, यह कलाय ही कलया।
32	डिस्ट्रीब्यूटर (कनीय)	2610-3540	4440-7440	1 एस0	1400	

## IN THE SUPREME COURT OF INDIA

## CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 516 OF 2013  
(Arising out of SLP (C) No. 22617 of 2008)

State of Bihar & Anr. .... Appellant (s)

Versus

Sunny Prakash & Ors. .... Respondent(s)

J U D G M E N T

P. Sathasivam, J.

- 1) Leave granted.
- 2) This appeal is directed against the judgment and order dated 07.08.2008 passed by the High Court of Judicature at Patna in CWJC No. 10870 of 2008 whereby the Division Bench of the High Court in a Public Interest Litigation (PIL) issued *mandamus* directing the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna to ensure that the commitment given by the State Government to the Bihar State University and College Employees Federation (in short "the Federation") is

honoured and implemented within one month from the date of the judgment.

3) **Brief facts:**

(a) The Government of Bihar, Education Department, vide G.O. dated 25.02.1987, declared the non-teaching staff of Universities and Constituent Colleges equivalent to the Government staff.

(b) On 16.07.2003, an Agreement/Compromise was arrived at between the Federation and the State Government, regarding parity between the employees of the Constituent Colleges of the University and the State Government. On 21.07.2003, the State Government sent the said Agreement to the Vice Chancellors of all the Universities of the State of Bihar for necessary action.

(c) In 2005, because of the non-implementation of the Agreement arrived at, there was a strike by the Federation in the State of Bihar. Following the strike of the Federation, on 24.08.2005, an understanding was arrived at between the Federation and the Government of Bihar and the strike was recalled later.

(d) Since the Agreement was not implemented, on 01.07.2007, the Federation again went on strike which led to complete disruption of educational activities in the Colleges and the Universities of Bihar. On 17.07.2007, a meeting was held between the representatives of the Federation and the Government of Bihar and an Agreement/Understanding was again arrived at on 18.07.2007 for consideration of their demands. Pursuant to the same, on 19.07.2007, a letter was issued by the Government for implementation of the Agreement and the strike was recalled.

(e) In July, 2008, again, on account of non-implementation of the Agreement/Understanding, the Federation was again constrained to go on strike. Due to indefinite strike of teaching and non-teaching staff of the Universities, on 14.07.2008, a letter was written by Sunny Prakash (Respondent No. 1 herein), student of Daroga Prasad Roy Degree College, addressed to the Chief Justice of the High Court requesting to end the strike, which was treated as a Public Interest Litigation (PIL). On 28.07.2008, an

2

81

intervention application was filed by the Federation (R-5) in the PIL before the High Court.

(f) After hearing the parties, the Division Bench of the High Court, vide order dated 07.08.2008, *inter alia*, directed the Chief Secretary, Government of Bihar to ensure that the commitment given by the State Government to the Federation which have been reduced to writing on 18.07.2007, is honoured and implemented within one month. The High Court also directed the Federation to withdraw the strike immediately.

(g) On 22.08.2008, an application was filed by the Government of Bihar for modification of the impugned order, which was also dismissed by the High Court.

(h) Aggrieved by the order dated 07.08.2008 passed by the High Court, the State of Bihar preferred the above appeal by way of special leave petition before this Court.

4) Heard Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel for the appellants, Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel for respondent Nos. 4 and 5, Mr. Manu Shanker Mishra,



learned counsel for respondent Nos. 2 and 3 and Mr. Ashok Mathur for respondent No.1.

**Discussion:**

5) The only grievance of the State is that the Agreement dated 18.07.2007 relied on by the High Court for issuance of impugned direction was not in accordance with the Rules of Executive Business, State of Bihar which are statutory rules framed under Article 166 (3) of the Constitution of India. On the other hand, it is the stand of the Federation that the Agreement executed on 18.07.2007 was a valid one and pursuant to the same, the State Government itself issued directions to the authorities concerned for its implementation.

6) In order to understand the rival claim, it is useful to refer copy of the proceedings of the understanding held on 17.07.2007 which reads as under:-

“Proceeding of discussion on 17.7.07 with respect to implementation of proceeding regarding agreement between the Bihar State University and College Employees federation on 24.8.05 and withdrawal of strike.

Present :-

1. Hon'ble Prof. Arun Kumar, Chairman, Bihar Legislative Council.

2. Hon'ble Sri Vrishan Patel, Minister, Human Resource Department.
3. Hon'ble Vasudev Singh, M.L.C.
4. Hon'ble Kedar Pandey, M.L.C.
5. Hon'ble Mahachandra Prasad Singh, M.L.C.
6. Hon'ble Dilip Kumar Choudhary, M.L.C.
7. Hon'ble Ram Kishore Singh, M.L.C.
8. Hon'ble Srimati Usha Sahni, M.L.C.
9. Principal Secretary, Human Resource Development Department
10. Commissioner, Finance Department
11. Addl. Commissioner, Human Resource Development Department
12. Addl. Commissioner, Finance Department
13. Sri Rajendra Mishra, Patron, Mahasangh (Association)
14. Sri Bimal Prasad Singh, President, Mahasangh
15. Sri Ganga Prasad Jha
16. Sri Ramshankar Mehta, Joint Secretary, Mahasangh
17. Sri Dhanajay Prasad Singh, Vice President, Mahasangh
18. Sri Premchand, Joint Secretary, Mahasangh
19. Sri Rohit Kumar, Treasurer, Mahasangh,
20. Sri. M.P. Jaiswal, Executive Member

Regarding the matter of strike by the non-teaching staffs of the university and colleges of the State, the representatives of the Federation met with the Hon'ble Chairman of Bihar Legislative Council in his office on their demands and the following points were considered for issuance of government order and it was decided that the strike will be called off by the Federation: -

1. 50% Dearness Allowance may be merged with Basic Pay.
2. Medical Allowance may be increased from Rs. 50/- (Fifty) to Rs. 100/- (Hundred).
3. Facility of ACP may be given to the employees.
4. Head Assistant and Accountant of the colleges may be designated as Section Officer at the departmental level.

5. Pay scale of Rs. 5500-9000 may be granted to the Assistants of colleges and university.

6. Assistant Librarian and PTI who are possessing qualification fixed by UGC, may be granted UGC pay scale.

7. Library Assistant, Sorter, Routine Clerk, Correspondence clerk may be granted a pay scale of Rs. 4000-6000 at Departmental level.

8. Facilities of accumulation of 240 days Earned Leave and encashment may be granted to the employees at par with the employees of state government which will be admissible similarly to the class III and class IV grade employees.

9. Ward servant may be designated as Hostel servant.

10. Anomalies regarding the pay scale of University Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer and Electrician may be removed.

11. Store Keeper may be treated as an Assistant and pay scale may be given accordingly.

The following points were considered with respect to the period of strike: -

1. No coercive and punishable proceeding will be initiated against any employee for the reason of strike.

2. For strike period, due and admissible earned leave may be sanctioned.

3. Even after above action, if the days of absence remains, the absence that may be sanctioned against earned leave to be earned in future.

4. If earned leave to be earned in future is not sufficient for period of absence the extra-ordinary leave may be sanctioned for remaining period.

After consideration on the above mentioned demands regarding the period of strike were accepted by the

Government to be acted upon within one and a half month as per rules.

Sd/- (Ganga Pd. Jha) 18.07.2007 General Secretary	Sd/- (Dr.Vimal Pd. Sinha) 18.07.2007 Chairman	Sd/- (Sanjeev Kr. Sinha) 18.07.2007 Addl.Commissioner cum- HRD
--	--	---

Secretary,  
Patna"

7) The above details show that apart from the Chairman, Bihar Legislative Council, Minister concerned, viz., Human Resource Department (HRD) as well as Principal Secretary, HRD and Commissioner, Finance Department as well as various other higher level officers of the State Government participated, deliberated and ultimately accepted the demands of the Federation. It is also to be noted that at the end of the discussion and after recording of the terms and conditions, General Secretary of the Federation, Chairman and Addl. Commissioner-cum-Secretary, HRD, Patna signed the same on the very next day i.e., 18.07.2007. In such circumstances, it cannot be contended that decision was not taken by or on behalf of the Government.

8) In addition to the same, Mr. Venugopal, learned senior counsel for the contesting respondents has also brought to the notice of this Court the letter dated 21.07.2003

addressed to the Vice Chancellors of all the Universities of the State of Bihar which reads as under:-

"Letter No.2/D01-04/2003 H.E.  
Govt. of Bihar  
Higher Education Department

From:  
Sh. Aditya Narayan Singh  
Deputy Secretary to the Govt.

To:  
The Vice Chancellors  
All the Universities of the  
State of Bihar

Patna, dated: 21st July, 2003

Sub: The Proceedings of the agreement dated 16.07.2003  
between Bihar State Universities and Colleges Staff  
Federation and Govt. of Bihar

Sir,

Copy of the proceedings of the agreement dated 16.07.2003 between Bihar State Universities and Colleges Staff Federation and State Govt. is being sent having annexed for necessary action.

Faithfully

Sd/-  
21.07.2003  
Aditya Narayan Singh  
Deputy Secretary to the

Govt.  
Rajendra/19.07.2003  
Memorandum No.2/D01-04/2003

Dated 21.07.2003"

9) In addition to the same, it is also brought to our notice that even after the discussion on 17.07.2007, on 19.07.2007

87

itself, Human Resources Development Department of the Government of Bihar sent another communication to the Registrars of all the Universities of the State to implement the decision arrived in the negotiation held on 17.07.2007. The said letter reads as under:-

"Letter No.2/D 1-04/2003-1107  
Government of Bihar  
Human Resources Development Department

From:  
Gopal Ji  
Deputy Director,  
Human Resources Development Department

Patna, Dated 19.07.2007

To  
The Registrar  
All the Universities of the State  
Bihar

Subject: For the implementation of the agreement reached with the Bihar State University and College Employees Federation on 24.08.2005 and the proceedings of the negotiation held on 17.07.2007 for recalling the strike.

Sir,  
As directed for the implementation of the agreement reached with the Bihar State University and College Employees Federation on 24.08.2005 and a copy of the proceedings of the negotiation held on 17.07.2007 for recalling the strike are being sent for information and necessary action.

Yours faithfully,  
Sd/-  
(Gopal Ji)  
Deputy Director (Higher Education)"

In order to appreciate the stand of both sides, it is useful to refer the earliest decision of the Government of Bihar, Education Department dated 25.02.1987 informing the General Secretary of the Federation, that facilities which have been provided for Government staff shall also be sanctioned to the non-teaching staff of the Universities and subordinate affiliated colleges. The said communication reads as under:-

"No. 123/C  
Govt. of Bihar  
Education Department

From:  
Sh. Bhaskar Banerjee  
Secretary to the Govt.  
Education Department,  
Bihar

To:  
General Secretary  
Bihar State Universities  
and Colleges Non-teaching  
Staff Federation,  
Patna

Dated: 25<sup>th</sup> February, 1987

Sir,

This is to inform as per direction that the compromise which has taken place by the Govt. with Govt. staff in regard to the recent strike and the facilities which have been provided, the same shall also be sanctioned to the non-teaching staff of universities and subordinate

affiliated colleges. The Govt. has already taken the decision to declare the same as equivalent to Govt. staff.

The copy of this letter is being sent to the Vice Chancellors of all Universities for kind information and necessary action.

Yours faithfully,

Sd/-  
Bhaskar Banerjee  
25.02.1987  
Secretary to the Govt.,  
Education Department  
Bihar, Patna"

10) Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel for the State contended that in the absence of any decision by the Cabinet in terms of the Rules of Executive Business, any other agreement or decision is not binding on them. However, in the light of the various directions of the very same Government, particularly, by the HRD/Education Department, requesting all the Vice Chancellors and Registrars of all the Universities to implement "Government's" decision, the said contention is liable to be rejected.

11) In support of his claim, Mr. Dwivedi, learned senior counsel for the State relied on a decision of this Court in **Haridwar Singh vs. Bagun Sumbrui and Others**, (1973)



3 SCC 889 wherein while relying on Rule 10 of the Rules of Executive Business and finding that as per Rule 10 (2), prior consultation with the Finance Department is required for a proposal and Cabinet alone would be competent to take a decision, this Court allowed the appeal and set aside the contrary direction issued by the High Court. According to us, the above decision is not applicable to the case on hand since we have already noted that the Commissioner, Finance Department as well as various other higher level officers of the State Government participated in the discussion. Further, in the said decision, when the Finance Department was consulted, the Department did not agree for the said proposal whereas this was not the situation in the case on hand.

12) The next decision relied on by learned senior counsel for the State is **Punit Rai vs. Dinesh Chaudhary**, (2003) 8 SCC 204. He pressed into service the following observations made by this Court:

**"42.** The said circular letter has not been issued by the State in exercise of its power under Article 162 of the Constitution of India. It is not stated therein that the decision has been taken by the Cabinet or any authority

authorized in this behalf in terms of Article 166(3) of the Constitution of India. It is trite that a circular letter being an administrative instruction is not a law within the meaning of Article 13 of the Constitution of India. (See *Dwarka Nath Tewari v. State of Bihar*, AIR 1959 SC 249.)

First of all, the said decision relates to a question, namely, whether the respondent therein belonged to Scheduled Caste community or not? On going through the same, we are of the view that the same is not applicable to the case on hand.

13) Finally, learned senior counsel for the State relied on a decision of this Court reported in ***State of U.P. vs. Neeraj Awasthi and Others***, (2006) 1 SCC 667. This case relates to the jurisdiction of the High Court to issue a direction for framing a scheme for regularization of the employees of the U.P. Agricultural Produce Market Board. Learned senior counsel relied on the statement made in para 41 which reads thus:-

**“41.** Such a decision on the part of the State Government must be taken in terms of the constitutional scheme i.e. upon compliance with the requirement of Article 162 read with Article 166 of the Constitution. In the instant case, the directions were purported to have been issued by an officer of the State. Such directions were not shown to have been issued pursuant to any decision taken by a competent authority in terms of the Rules of Executive

Business of the State framed under Article 166 of the Constitution."

This decision makes it clear that a decision of the State Government must be in compliance with the requirement of Article 162 read with Article 166 of the Constitution and a direction issued by an officer of the State without following such procedure is not binding on the Government. We are in respectful agreement with the same.

14) In the case on hand, we have already extracted the commitment made by the State Government as early as in 1987, subsequent demands made by the Federation on various occasions and the final decision by the Minister concerned, various officers including HRD and Finance Departments, representatives of the Federation and all other persons connected with the issue in question. Added to it, directions were also issued to the Vice Chancellors and Registrars of all the Universities for implementing the said "Government's" decision. In such circumstances, as observed earlier, it cannot be open to the State to contend that it is not a Government's decision in terms of Article 162 read with Article 166 of the Constitution.

15) Mr. Venugopal, learned senior counsel for the contesting respondents heavily relied on the principles laid down in ***State of Bihar and Others vs. Bihar Rajya M.S.E.S.K.K. Mahasangh and Others***, (2005) 9 SCC 129. The said decision also arose from a dispute concerning the absorption of about 4000 employees working in teaching and non-teaching posts in 40 colleges affiliated to various Universities which were taken over as Constituent Colleges in accordance with the provisions of the Bihar State Universities Act, 1976. It was contended on behalf of the State of Bihar that power to sanction additional posts and appointments against the same in the affiliated colleges is within the exclusive jurisdiction and power of the State under Section 35 of the Act. It was also contended that certain decisions of the Government that were taken after the change of elected Government had no prior approval of the Council of Ministers. The decision by the Cabinet, approval by the Chief Minister on behalf of the Cabinet is *sine qua non* for treating any resolution as a valid decision of the Government. It was also stated that in the absence of

Cabinet approval, the order dated 01.02.1988 which was issued by the Deputy Secretary to the Government of Bihar has no legal efficacy. It was further argued by the State that any valid order of the Government has to be formally expressed in the name of the Governor in accordance with Article 166 of the Constitution. In para 64, this Court has held thus:

**64.** So far as the order dated 18-12-1989 is concerned, the State being the author of that decision, merely because it is formally not expressed in the name of the Governor in terms of Article 166 of the Constitution, the State itself cannot be allowed to *resile* or go back on that decision. Mere change of the elected Government does not justify dishonouring the decisions of previous elected Government. If at all the two decisions contained in the orders dated 1-2-1988 and 18-12-1989 were not acceptable to the newly elected Government, it was open to it to withdraw or rescind the same formally. In the absence of such withdrawal or rescission of the two orders dated 1-2-1988 and 18-12-1989, it is not open to the State of Bihar and State of Jharkhand (which has been created after reorganisation of the State of Bihar) to contend that those decisions do not bind them.

From the above conclusion, it is clear that merely because of change of elected Government and the decision of the previous government not expressed in the name of Governor in terms of Article 166 of the Constitution, valid decision cannot be ignored and it is not open to the State to contend that those decisions do not bind them.

16) It is also useful to refer a Constitution Bench decision of this Court in **R. Chitralakha and Anr. vs. State of Mysore and Others**, AIR 1964 SC 1823. In order to understand the principles laid down by the Constitution Bench, it is useful to quote paras 4 and 5 which read thus:

"(4). The next contention advanced is that Annexure IV was invalid as it did not conform to the requirements of Art. 166 of the Constitution. As the argument turns upon the form of the said annexure it will be convenient to read the material part thereof.

"Sir,

Sub : Award of marks for the "interview" of the candidates seeking admission to Engineering Colleges and Technical Institutions.

With reference to your letter No. AAS.4.ADW/63/2491, dated the 25th June, 1963, on the subject mentioned above, I am directed to state that Government have decided that 25 per cent of the maximum marks.....

Yours faithfully,

Sd/- S. NARASAPPA,

Under Secretary to Government, Education Department."

Ex facie this letter shows that it was a communication of the order issued by the Government under the signature of the Under Secretary to the Government, Education Department. Under Art. 166 of the Constitution all executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor, and that orders made in the name of the Governor shall be

authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor and the validity of an order which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order made by the Governor.

If the conditions laid down in this Article are complied with, the order cannot be called in question on the ground that it is not an order made by the Governor. It is contended that as the order in question was not issued in the name of the Governor the order was void and no interviews could be held pursuant to that order. The law on the subject is well-settled. In Dattatreya Moreshwar Pangarkar v. The State of Bombay 1952 SCR 612 at p.625; (AIR 1952 SC 181 at pp. 185-186). Das J., as he then was, observed :

"Strict compliance with the requirements of article 166 gives an immunity to the order in that it cannot be challenged on the ground that it is not an order made by the Governor. If, therefore, the requirements of that article are not complied with, the resulting immunity cannot be claimed by the State. This, however, does not vitiate the order itself..... Article 166 directs all executive action to be expressed and authenticated in the manner therein laid down but an omission to comply with those provisions does not render the executive action a nullity. Therefore, all that the procedure established by law requires is that the appropriate Government must take a decision as to whether the detention order should be confirmed or not under section 11(1)."

The same view was reiterated by this Court in The State of Bombay v. Purshottam Jog Naik, 1952 SCR 674; (AIR 1952 SC 317), where it was pointed out that though the order in question then was defective in form it was open to the State Government to prove by other means that such an order had been validly made. This view has been reaffirmed by this Court in subsequent decisions : see Ghaio Mall and Sons v. The State of Delhi ((1959) S.C.R. 1424), and it is, therefore, settled law that provisions of Art. 166 of the Constitution are only directory and not mandatory in character and, if they are not complied with, it can be established as a question of fact that the impugned order was issued in fact by the State Government or the Governor. The judgment of this Court in Bachhittar Singh v. The State of Punjab ((1962) Supp. 3

S.C.R. 713) does not help the appellants, for in that case the order signed by the Revenue Minister was not communicated to the party and, therefore, it was held that there was no effective order.

(5) In the light of the aforesaid decisions, let us look at the facts of this case. Though Annexure IV does not conform to the provisions of Art. 166 of the Constitution, it ex facie says that an order to the effect mentioned therein was issued by the Government and it is not denied that it was communicated to the selection committee. In neither of the affidavits filed by the appellants there was any specific averment that no such order was issued by the Government. In the counter-affidavit filed by B. R. Varma, Deputy Secretary to the Government of Mysore, Education Department, there is a clear averment that the Government gave the direction contained in Annexure IV and a similar letter was issued to the selection committee for admissions to Medical Colleges and this averment was not denied by the appellants by filing any affidavit. In the circumstances when there are no allegation at all in the affidavit that the order was not made by the Government, we have no reason to reject the averment made by the Deputy Secretary to the Government that the order was issued by the Government. There are no merits in this contention."

From this decision, it is clear that the provisions of Article 166 of the Constitution are only directory and not mandatory in character and if they are not complied with, it can be established as a question of fact that the impugned order was issued in fact by the State Government. In the case on hand, we have already demonstrated various communications issued by the Government for implementation of the earlier decision. In such circumstance,



we have no reason to reject those communications sent by the higher level officers of the State Government.

17) Inasmuch as all the persons who were competent to represent were the parties to the said Agreement referred to above and after making such commitment by the State Government, as rightly observed by the High Court, we are also of the view that the same has to be honored without any exception. By the impugned order, the High Court has not only directed the State Government to implement the commitment given by it having been reduced into writing on 18.07.2007, honoured by the State Government itself in subsequent letters/correspondences but also directed the Federation to call off the strike immediately in the interest of the student community. We also make it clear that though the High Court termed the impugned order as interim in nature, considering the fact that the writ petition came to be filed by a student in the interest of the student community by writing a letter which was treated as a PIL, no further order need be passed in the said writ petition, namely, CWJC

No. 10870 of 2008 pending on the file of the High Court at Patna and it stands closed.

18) In view of our conclusion, we direct the State of Bihar to implement the impugned order of the High Court dated 07.08.2008 within a period of three months from the date of receipt of copy of this judgment. The appeal filed by the State of Bihar is dismissed with the above direction. There will be no order as to costs.

.....J.  
**(P. SATHASIVAM)**  
.....J.  
**(JAGDISH SINGH KHEHAR)**

NEW DELHI;  
JANUARY 18, 2013.

राज्यपाल प्रचिवालय, बिहार

राजभवन पटना -800022

## अधिसूचना

दिनांक-04.03.2014

संख्या-वी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (I) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी।-03/11-1413, दिनांक 11 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या-वी.एस.यू.-41/2013-1306/जी.एस।(I) दिनांक 19.08.2013 द्वारा पठित परिनियम समिति द्वारा समर्पित प्रारूप परिनियम। उक्त प्रारूप परिनियम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्राप्त मतव्य एवं तत्पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी।-03/11-381, दिनांक 24.02.2014 के माध्यम से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा अधिनियम संख्या-36(7) में निहित शक्तियों के अधीन, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों, प्रशासक/परिचारकों/कार्यचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के समित पद सोपान पर संबंध निर्धारित करने के साथ-साथ उक्त परिनियम को अलग-अलग तीन परिनियमों प्रतिलिपि संलग्न) को अनुमोदित करने की स्वीकृति की गयी है।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से

(ब्रजेश मंहोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

दिनांक-04.03.2014

संख्या-वी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (I).

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ-

1. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
2. कुलपति, बाक साहेब भोमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
4. कुलपति, मौलाना मजरहूल हक अरब्यी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
5. कुलपति, अमरेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. कुलपति, डॉ. सुंदर सिंह विश्वविद्यालय, अरा।
7. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
8. कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
9. कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. कुलपति, गगध विश्वविद्यालय, गोंधामवा।

को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु-वशा उपयुक्त (कुल 149 पृ.)

ह/-

(ब्रजेश मंहोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

(.....कु. पृ. 2.)

राज्यपाल के प्रधान सचिव  
 राज्यपाल के प्रधान सचिव  
 राज्यपाल के प्रधान सचिव  
 राज्यपाल के प्रधान सचिव


38/6  
 107

ज्ञापक: बी.एम.यू. 41/2013-429/रा.स. 413.

दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिचयपत्र की प्रति के साथ प्रधान सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनु-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ०)

  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
राज्यपाल के प्रधान सचिव

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित करने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 34

एवं 36 के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों से संबंधित परिनियमों में अंकित प्रावधानों में किसी अन्यथा प्रावधान के रहते हुए, राज्य के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेतर पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सामान्य सेवा परिनियम :-

102

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

यह परिनियम 'विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध इकाइयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति/ प्रोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्राकृत्या के लिए विहित परिनियम के नाम से जाना जाएगा तथा यह कुलाधिपति की सहमति की तिथि से लागू समझा जायगा।

2. परिभाषाएँ :

इस परिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस परिनियम में अंकित शब्दों की परिभाषा यहीं मानी जायेगी जो नीचे परिभाषित किया जा रहा है :-

- (i) 'अधिनियम'- से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 ।
- (ii) 'यू०जी०सी०' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (iii) 'धारा' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराएं;
- (iv) 'नियमन' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित नियमन;
- (v) 'अनुच्छेद' से अभिप्रेत है, इस परिनियम का अनुच्छेद;
- (vi) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ।
- (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ।
- (viii) 'विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों एवं संस्थानों के शिक्षकों से अलग विश्वविद्यालय के कर्मचारी।
- (ix) 'महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों से भिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी।
- (x) 'परिवेक्षण' से अभिप्रेत है, इन परिनियम में निर्दिष्ट किसी पद पर परिवेक्षण पर नियुक्त कोई कर्मी।

21/07/91

जो इस परिणियम में निहित प्रावधानों से अच्छादित नहीं होती है, अधिनियम के अधीन गठित परिणियम के अन्तर्गत विधिमान्य स्वीकृत नियोजन नियमों के अनुरूप जारी रहेंगी।

(ख) इस परिणियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट पदों के प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना प्रशाखा में रखी जाएगी, जबतक यह कार्य किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपा जाता। इस प्रावधान के बावजूद, किसी वर्ग या कोटि के पद और इसका पदधारी, यथास्थिति, सक्षम पदा0 के सामान्य या विशेष आदेश से किसी कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अपंग कोटि के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुरूप पदों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

4. पदों का वर्गीकरण और वेतनमान :

(i) वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुशंसा के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-2693 दिनांक 27.08.2010 के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में तथा सरकार में वर्गीकरण संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-511 दिनांक 22.02.2011 के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है तथा इनसे संबंधित वेतनमान इस परिणियम के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में निर्दिष्ट होंगे।

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (रू0 75500-80000) में कोई पद और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 37400-67000 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड-4 में 12000 रूपये, 10000 रूपये, 8900 रूपये और 8700 रूपये तथा 15600-39100 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600 रूपये, 6600 रूपये और 5400 रूपये।	समूह 'क' (ए)
(2)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 9300-34800 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 5400 रूपये, 4800 रूपये, 4600 रूपये और 4200 रूपये।	समूह 'ख' (बी)
(3)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 5200-20200 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2800 रूपये, 2400 रूपये, 2000 रूपये, 1900 रूपये और 1800 रूपये।	समूह 'ग' (सी)
(4)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 4440-7440 रूपये के वेतनमान में 1 एस वेतनमान में 1300 रूपये, 1400 रूपये, 1600 रूपये और 1650 रूपये।	समूह 'घ' (डी)

(ii) भविष्य में राजकीय संकल्पों के द्वारा संशोधित किये गये वेतनमान के अनुरूप उपर्युक्त विवरणों एवं संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में निर्दिष्ट वेतनमान स्वतः संशोधित समझा जायगा।

(iii) राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों और राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों के मरणशील पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों को क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-3 एवं 4 के अनुरूप सामंजन एवं प्रोन्नति अनुमान्य किया जायगा।

(iv) आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों एवं मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितकरण की कार्यवाई की जायगी। इस क्रम में नयी प्रशासनिक संस्कृति के आलोक में शिक्षकेंतर कर्मियों के पदों के अनुमान्यता से संबंधित विभागीय स्तर से अनुमोदित / निर्गत स्टाफिंग पैटर्न के गाइडलाइन्स, पत्र एवं अन्य सभी प्रकार के निदेश दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ (योग्यताएँ) :

(क) उल्लिखित पदों से सम्बद्ध नियुक्ति-प्रक्रिया, आदि परिशिष्ट में निर्दिष्ट होंगे।

(ख) चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय में नियुक्ति के निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

- (i) सीधी भर्ती
- (ii) प्रोन्नति द्वारा
- (iii) प्रतिनियोजन द्वारा स्थानांतरण
- (iv) संविदा/ आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति

व्याख्या :-

- (i) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति विहार लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निकाय की अनुशंसा पर की जा सकेगी।
- (ii) पदाधिकारी स्तर से न्यून कर्मचारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से की जा सकेगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों में से ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गम किया जा सकेगा।
- (iii) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रोन्नति के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित नाम पर विश्वविद्यालय चयन समिति की सहमति आवश्यक होगी।
- (iv) राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा ही विश्वविद्यालय सेवा में योग्य पात्र (Eligible) व्यक्ति को प्रतिनियोजित किया जा सकेगा इस हेतु प्रतिनियोजन का शर्त राज्य सरकार द्वारा तय किया जायगा।
- (v) संविदा पर नियुक्ति हेतु अलग से एक समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायगा। समिति खुले विज्ञापन के आधार पर चयनित व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी। तत्पश्चात् संविदा के शर्त के अधीन अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी, जिसमें नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायगा।



## परिशिष्ट-1

राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रक्रिया एवं प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान





University / College Non Teaching Officers & Employees Pay PAC Recommendation

2. विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं संब( कार्यालयों) के सहायक संवर्ग का पद रोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	निम्न वर्गीय, लिपिक	ग	5200-20200	1900
2	उच्च वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक, लेखाद्व	ग	5200-20200	2400
3	सहायक	ख	9300-34800	4200
4	प्रशाखा पदाधिमरी एवं समतुल्य पद	ख	9300-34800	4200

- लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनामों से पदनामित यथा- शॉर्टर ;लाईब्रेरी क्लर्क/ पुस्तकालय लिपिक/ सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक/ शॉर्टर कम एकाउन्टेन्ट ;स्नातकोत्तर इतिहास विभागद्व संबन्धि विभागों एवं सम्ब( कार्यालयों) में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमित: पदनामित किया जाएगा।
- लेखापाल राह विशेष सहायक ;कार्य विभागद्व का पद उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित किया जायगा।
- पुस्तकालयों में पदस्थापित प्रोफेशनल सहायक के पद को सहायक के रूप में पदनामित किया जायेगा।



1. पद का नाम :	निम्न वर्गीय लिपिक वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 दिनांक 20.12.2000 की कड़िका 3 एवं 4 के प्रावधान के आधार पर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय पदों को विलोपित कर निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से सीधे नियुक्ति का प्रावधान है।
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किरसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट/ उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर डी0सी0ए0 के साथ कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 25 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टंकण दक्षता अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी0बी01
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधे नियुक्ति	<p>विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेधा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>लिपिकीय संवर्ग के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक तथा 60 प्रतिशत पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे।</p> <p>निम्न वर्गीय लिपिक लिपिकीय संवर्ग से उच्च वर्गीय लिपिक लिपिकीय संवर्ग के पद पर प्रोन्नति की जायगी।</p> <p>वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 दिनांक 20.12.2000 की कड़िका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एकीकृत पदों को पृथक डिमर्ज कर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधे नियुक्ति वेतनमान 3050-4590/- रु० किये जाने का प्रावधान किया गया है।</p> <p>वरीयता सूची का संघरण - विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं संघ( कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा- निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग-अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रॉस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 8 साल



**University / Colleges Non-Teaching Officers & Employees' PRC Recommendation**

7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 10 साल
8. परीक्षा अवधि :	प्रोन्नति में मामले में लागू नहीं होंगे।



**University / Colleges Non Teaching Officers & Employees Six PRC Recommendation**

1. पद का नाम :	सहायक
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान आवश्यक होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा। प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. नियुक्ति / प्रोन्नति :	<p>पण विश्वविद्यालय के सहायकों का पद मूल पद होगा। विश्वविद्यालय एवं उनके संलग्न स्नातकोत्तर विभाग/कार्यालयों के सहायकों का कुल स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायगी। चयन समिति लिखित परीक्षाफल के भेद्य सूची के आधार पर अनुशंसित/ चयनित उम्मीदवार का पैनल विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित/ चयनित उम्मीदवारों के पैनल से नियुक्ति की जायगी।</p> <p>संस्था द्वारा अनुशंसित पैनल अनुशंरा की तिथि से पैनल एक वर्ष तक वैध माना जाएगा।</p> <p>पण विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा विहित गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति से उच्च वर्गीय लिपिक लिपिकीय संवर्गद्ध की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालयी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/ आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्री अभियुक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् जांचोपरांत सहायक के पदों को प्रोन्नति से भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रीस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 5 साल
8. परीवीक्षा अवधि :	सीधी योगदान की तिथि से दो वर्ष। प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

1. पद का नाम :	प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य पद
2. पद समूह :	सुपरवाइजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन
3. वेतन संरचना :	प्रवेश बिन्दु पर वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200क्र पी0बी0-2
4. नियुक्ति / प्रोन्नति :	विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी-का शत प्रतिशत पद

	<p>सहायक के पद से विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा विहित एव गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सहायकों, विश्वविद्यालय सहायक संवर्गद्ध की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, सेवा सम्पुष्टि, विश्वविद्यालय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियां एवं कालावधि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधर पर प्रोन्नति से भरे जायेंगे।</p> <p>प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
5. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 8 साल
6. परीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

परिशिष्ट -- 2

राज्य के महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के  
पद / पद सोपान

4. महाविद्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान ग्रेड पे 1900-4  
निम्न वर्गीय लिपिक का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	निम्न वर्गीय लिपिक	ग	5200-20200	1900
2	उच्च वर्गीय लिपिक / उच्च वर्गीय लिपिक लेखाद्व	ग	5200-20200	2400
3	प्रधान लिपिक / प्रधान लिपिक लेखाद्व	ग	9300-34800	4200

कनिष्ठ सहायक का पदनाम 20.12.2000 से निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित हो चुका है।

1. पद का नाम :	निम्न वर्गीय लिपिक वित्त विभाग के सहायक सचिव-8825 दिनांक 20.12.2000 के आदेश में 20.12.2000 के बाद की तारीख से नियुक्त रिक्त लिपिक निम्न लिपिक, गण्डरपाल टकण, कौशिक एवं लिपिकीय सदन के वही पद निम्न वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामित सम्मिलित है।
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समतुल्य योग्यता तथा कंप्यूटर टकण में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 30 शब्द एवं अंग्रेजी में 35 शब्द टकण दक्षता अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी0बी01
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधे नियुक्ति	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेधा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी। लिपिकीय सदन के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक तथा 60 प्रतिशत पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे। निम्न वर्गीय लिपिक लिपिकीय सदन के उच्च वर्गीय लिपिक लिपिकीय सदन के पद पर प्रोन्नति की जायगी। वित्त विभाग के सहायक सचिव-8825 दिनांक



	<p>20.12.2000 की कडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एककृत पदों को पृथक प्रथमोद्वेक दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधे नियुक्ति, वेतनमान 3050-4590/-रु०द्वेक किये जाने का प्रावधान किया गया है।</p> <p>वरीयता सूची का संघरण - विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सन्व( कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा- निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग-अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।</p> <p>लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनाम से पदनामित यथा- शॉर्टर संबन्धित विभागों एवं सन्व( कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमित पदनामित किया जाएगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण शेरदर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 8 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का भाग :	उच्च वर्गीय लिपिक वित्त विभाग के सहायक सहायक-8825 दिनांक 20.12.2000 के आदेश में 20.12.2000 के पूर्व से दिनांक लिपिक विपदा लिपिक, भंडारपाल, टकक, केशिकर लिपिकों के समान के सभी पदों पर कार्यरत सभी उच्च वर्गीय लिपिकों का पद प्रस्तावित समितियों में।
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति	<p>महाविद्यालय के समेचित निम्न वर्गीय लिपिकों की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालय परिचयन के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा लिपिकों की विश्वविद्यालय स्तरीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/ सेवा सम्पुष्टि/ आरोग्य/ वार्षिक मापनाय चारित्र्यी अनुभवितयाँ एवं कलावृद्धि आदि के सम्यक आकलन पर प्रोन्नति समिति की अनुज्ञप्ति पर उच्च वर्गीय लिपिक के शत प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।</p> <p>वित्त विभाग के सहायक सहायक-8825 दिनांक 20.12.2000 की कडिका 3 एवं 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से लिपिकों के समान के पदों पर कार्यरत सहायक, शॉर्टर, पत्राचार लिपिक, भंडारपाल लिपिक, विपदा लिपिक, भंडारपाल, टकक, केशिकर के एकीकृत सभी पदों को पृथक डिमर्ज कर उच्च वर्गीय लिपिक माना गया है। उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्नति का पद है। यह प्रावधान महाविद्यालय कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी है।</p> <p>उच्च वर्गीय लिपिक के समस्त महाविद्यालय के पद होगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकाश सेवा के नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कलावृद्धि :	प्रोन्नति के लिए 10 साल
8. परीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगी।



1. पद का नाम :	प्रधन लिपिक/ प्रधन लिपिक (लखनऊ)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रैंड पे 4200 प्लॉबो 7
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति	<p>महाविद्यालय के उच्च वर्गीय शिक्षक को परामर्श समिति के माध्यम से सूची से श्रेष्ठता क्रमानुसार विश्वविद्यालय परामर्शक के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा लिपिकों को विश्वविद्यालय स्तरीय दिमागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/ राज सम्पुष्टि/ अरोप/ वार्षिक गोपनीय कारिणी अभ्युक्ति एवं कालावधि आदि के सम्बन्ध में प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रधन लिपिक को शत प्रतिशत पद प्रोन्नति से निलंबित किया जाएगा।</p> <p>प्रधन लिपिक का सम्पूर्ण पद प्रधन लिपिक (लखनऊ) का पद होगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अक्षय्य सेवा नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवर्तन अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।







पत्रांक 15/पी 5-24/2000 अंश - 1328

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

ANNEXURE- 10

प्रेषक,

शुनील कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, विहार।

पटना, दिनांक 13/8/2016

विषय :- राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सहायकों को जो विधिवत स्वीकृत पद के विरुद्ध अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सहित नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हो, को 01.01.1996 के प्रभाव से अपुनरीक्षित 5500-9000/- का वेतनमान स्वीकृत करते हुए 01.04.1997 के प्रभाव से उक्त वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए तदनुसार वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सहायकों को जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत हैं उन्हें मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.06.2014 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1192 दिनांक 23.06.2014 द्वारा 01.04.1997 के प्रभाव से 5500-9000/- का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

2. उक्त वेतनमान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि "वार्षिक वेतन भुगतान शुरू किए जाने से पूर्व उनसे संबंधित सभी प्रमाणिक कागजात/अभिलेख की जाँच वेतन निर्धारण कोषांग के द्वारा किया जाएगा ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त अनुदान प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सके"।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में कार्यरत सहायकों को 5500-9000/- के वेतनमान का लाभ वैचारिक रूप से 01.01.1996 के प्रभाव से प्रदान करते हुए आर्थिक लाभ 01.04.1997 के प्रभाव से देय है।

4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन सत्यापन हेतु विभागीय स्तर पर गठित वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा सम्प्रति शिक्षकों का वेतन सत्यापन का कार्य

सम्पादित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के सत्यापन किए जाने में समय लगने की संभावना है।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक 1192 दिनांक 23.06.2014 कि कंडिका 05 एवं 06 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

(क). राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सहायकों को जो विधिवत स्वीकृत पद के विरुद्ध अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सहित नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों, को 01.01.1996 के प्रभाव से वैचारिक रूप से 5500-9000/- का वेतनमान स्वीकृत करते हुए उक्त वेतनमान के स्वीकृति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ 01.04.1997 से प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

(ख). कर्मियों को वास्तविक वेतन भुगतान तत्काल इस शर्त पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाए कि इनके वेतन सत्यापन के क्रम में यदि इनके अभिलेख/वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता प्राप्त होता है तो तदनुसार भुगतान की गई अधिकाई राशि एकमुश्त उनसे वसूली कर ली जाएगी।

6. प्रस्ताव में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

15/7/16

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव



ANNEXURE-17

31.01.2016

ANNEXURE-17

31.01.2016

31.01.2016

Subject:- Revision of the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016.

The Government of Karnataka has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016. The Government has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016. The Government has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016.

The Government has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016. The Government has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016. The Government has decided to revise the pay structure of State Government employees with effect from 01.01.2016.

However, the above mentioned pay structure will be applicable to employees who are employed on 01.01.2016 and whose pay is not fixed by any other law or regulation.

- (A) All employees of the Government of Karnataka who are employed on 01.01.2016 and whose pay is not fixed by any other law or regulation.
- (B) All other employees of the Government of Karnataka who are employed on 01.01.2016 and whose pay is not fixed by any other law or regulation.
- (C) All employees of the Government of Karnataka who are employed on 01.01.2016 and whose pay is not fixed by any other law or regulation.

3. Definitions

existing basic pay: The existing basic pay of an employee shall be the basic pay payable to him immediately before the commencement of the revised pay structure.

- (iv) "existing pay band and Grade Pay" means the pay band and grade pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any pay band and grade pay which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (v) "existing scale" means the scale of pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any scale which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (vi) "existing pay structure" means the structure of pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any structure which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (vii) "existing emoluments" means the emoluments as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any emoluments which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (viii) "Pay Matrix" means the matrix of pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any matrix which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (ix) "Level" means the level of pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any level which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (x) "pay in the level" means the pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any pay which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (xi) "revised pay structure" means the structure of pay as in force immediately after the commencement of the operation of this Act, and includes any structure which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (xii) "basic pay" means the basic pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any basic pay which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (xiii) "revised emoluments" means the emoluments as in force immediately after the commencement of the operation of this Act, and includes any emoluments which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned;
- (xiv) "Schedule" means a schedule of pay as in force immediately before the commencement of the operation of this Act, and includes any schedule which may be substituted therefor by the Government or the authority concerned.

#### 4. Level of Posts

The Government may, by order, determine the level of posts in the service of the Government or the authority concerned, and may, by order, determine the conditions of service of such posts.

#### 5. Drawal of Pay in the Revised Pay Structure

Where an employee is entitled to draw pay in the revised pay structure, he shall draw pay in the revised pay structure, and shall not draw pay in the existing pay structure.

The Government may, by order, determine the conditions of service of such posts, and may, by order, determine the conditions of service of such posts.

Provided further that in cases where the Government or the authority concerned has provided for a higher level of pay in the revised pay structure, the Government or the authority concerned may, by order, determine the conditions of service of such posts, and may, by order, determine the conditions of service of such posts.

The above provisions shall apply to all employees of the Government or the authority concerned.

6. Exemption of pay for the applicable level of the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the rate for the applicable level of the Pay Matrix by the applicable percentage of the applicable level of the pay for the government by grade. The applicable percentage shall be set forth in a schedule of applicable percentages for the applicable level of the pay for the government by grade. The applicable percentage shall be set forth in a schedule of applicable percentages for the applicable level of the pay for the government by grade. The applicable percentage shall be set forth in a schedule of applicable percentages for the applicable level of the pay for the government by grade.

**Normal Payment**

7. Normal Payment shall be the pay obtained by multiplying the rate for the applicable level of the Pay Matrix by the applicable percentage of the applicable level of the pay for the government by grade. The applicable percentage shall be set forth in a schedule of applicable percentages for the applicable level of the pay for the government by grade. The applicable percentage shall be set forth in a schedule of applicable percentages for the applicable level of the pay for the government by grade.

**Illustration:**

Grade	Rate	Percentage	Normal Payment
Existing Grade 01	2,000	100%	2,000
Existing Grade 02	2,500	100%	2,500
Existing Grade 03	3,000	100%	3,000
Existing Grade 04	3,500	100%	3,500
Existing Grade 05	4,000	100%	4,000
Existing Grade 06	4,500	100%	4,500
Existing Grade 07	5,000	100%	5,000
Existing Grade 08	5,500	100%	5,500
Existing Grade 09	6,000	100%	6,000
Existing Grade 10	6,500	100%	6,500
Existing Grade 11	7,000	100%	7,000
Existing Grade 12	7,500	100%	7,500
Existing Grade 13	8,000	100%	8,000
Existing Grade 14	8,500	100%	8,500
Existing Grade 15	9,000	100%	9,000
Existing Grade 16	9,500	100%	9,500
Existing Grade 17	10,000	100%	10,000
Existing Grade 18	10,500	100%	10,500
Existing Grade 19	11,000	100%	11,000
Existing Grade 20	11,500	100%	11,500
Existing Grade 21	12,000	100%	12,000
Existing Grade 22	12,500	100%	12,500
Existing Grade 23	13,000	100%	13,000
Existing Grade 24	13,500	100%	13,500
Existing Grade 25	14,000	100%	14,000
Existing Grade 26	14,500	100%	14,500
Existing Grade 27	15,000	100%	15,000
Existing Grade 28	15,500	100%	15,500
Existing Grade 29	16,000	100%	16,000
Existing Grade 30	16,500	100%	16,500
Existing Grade 31	17,000	100%	17,000
Existing Grade 32	17,500	100%	17,500
Existing Grade 33	18,000	100%	18,000
Existing Grade 34	18,500	100%	18,500
Existing Grade 35	19,000	100%	19,000
Existing Grade 36	19,500	100%	19,500
Existing Grade 37	20,000	100%	20,000
Existing Grade 38	20,500	100%	20,500
Existing Grade 39	21,000	100%	21,000
Existing Grade 40	21,500	100%	21,500
Existing Grade 41	22,000	100%	22,000
Existing Grade 42	22,500	100%	22,500
Existing Grade 43	23,000	100%	23,000
Existing Grade 44	23,500	100%	23,500
Existing Grade 45	24,000	100%	24,000
Existing Grade 46	24,500	100%	24,500
Existing Grade 47	25,000	100%	25,000
Existing Grade 48	25,500	100%	25,500
Existing Grade 49	26,000	100%	26,000
Existing Grade 50	26,500	100%	26,500
Existing Grade 51	27,000	100%	27,000
Existing Grade 52	27,500	100%	27,500
Existing Grade 53	28,000	100%	28,000
Existing Grade 54	28,500	100%	28,500
Existing Grade 55	29,000	100%	29,000
Existing Grade 56	29,500	100%	29,500
Existing Grade 57	30,000	100%	30,000
Existing Grade 58	30,500	100%	30,500
Existing Grade 59	31,000	100%	31,000
Existing Grade 60	31,500	100%	31,500
Existing Grade 61	32,000	100%	32,000
Existing Grade 62	32,500	100%	32,500
Existing Grade 63	33,000	100%	33,000
Existing Grade 64	33,500	100%	33,500
Existing Grade 65	34,000	100%	34,000
Existing Grade 66	34,500	100%	34,500
Existing Grade 67	35,000	100%	35,000
Existing Grade 68	35,500	100%	35,500
Existing Grade 69	36,000	100%	36,000
Existing Grade 70	36,500	100%	36,500
Existing Grade 71	37,000	100%	37,000
Existing Grade 72	37,500	100%	37,500
Existing Grade 73	38,000	100%	38,000
Existing Grade 74	38,500	100%	38,500
Existing Grade 75	39,000	100%	39,000
Existing Grade 76	39,500	100%	39,500
Existing Grade 77	40,000	100%	40,000
Existing Grade 78	40,500	100%	40,500
Existing Grade 79	41,000	100%	41,000
Existing Grade 80	41,500	100%	41,500
Existing Grade 81	42,000	100%	42,000
Existing Grade 82	42,500	100%	42,500
Existing Grade 83	43,000	100%	43,000
Existing Grade 84	43,500	100%	43,500
Existing Grade 85	44,000	100%	44,000
Existing Grade 86	44,500	100%	44,500
Existing Grade 87	45,000	100%	45,000
Existing Grade 88	45,500	100%	45,500
Existing Grade 89	46,000	100%	46,000
Existing Grade 90	46,500	100%	46,500
Existing Grade 91	47,000	100%	47,000
Existing Grade 92	47,500	100%	47,500
Existing Grade 93	48,000	100%	48,000
Existing Grade 94	48,500	100%	48,500
Existing Grade 95	49,000	100%	49,000
Existing Grade 96	49,500	100%	49,500
Existing Grade 97	50,000	100%	50,000
Existing Grade 98	50,500	100%	50,500
Existing Grade 99	51,000	100%	51,000
Existing Grade 100	51,500	100%	51,500

8. If the normal pay of the last grade of the applicable level is more than the amount of the applicable level of the pay for the government by grade, the normal pay of the last grade of the applicable level shall be the amount of the applicable level of the pay for the government by grade.

1. The first three paragraphs of the provisions of the 1990 Act

Common law and equity shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act.

2. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act.

3. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act.

4. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act. The provisions of this Act shall apply to the law of tort, contract, property, trusts, and other matters, subject to the provisions of this Act.

(3) A Government or person who is a party to a contract which is a contract of insurance shall be entitled to have the contract subject to the provisions of this Act, subject to the provisions of this Act.

(4) A Government or person who is a party to a contract which is a contract of insurance shall be entitled to the provisions of this Act, subject to the provisions of this Act.

(5) A Government or person who is a party to a contract which is a contract of insurance shall be entitled to the provisions of this Act, subject to the provisions of this Act.

(6) A Government or person who is a party to a contract which is a contract of insurance shall be entitled to the provisions of this Act, subject to the provisions of this Act.

(7) Where the provisions of this Act apply to a contract which is a contract of insurance, the provisions of this Act shall be treated as having effect as if they were provisions of the law of contract.



7. Fixation of pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016.

Employees appointed by direct recruitment on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016 shall be fixed to the pay band and grade as per the revised pay structure and pay matrix...

8. Pay Matrix

B. Increments in Pay Matrix

Illustration

Pay Band	Pay Grade	Pay
PB-1	PA-1	1400
	PA-2	1600
	PA-3	1800
	PA-4	2000
	PA-5	2300
PB-2	PA-1	1900
	PA-2	2100
	PA-3	2300
	PA-4	2500
	PA-5	2800
PB-3	PA-1	2400
	PA-2	2600
	PA-3	2800
	PA-4	3000
	PA-5	3300
PB-4	PA-1	2900
	PA-2	3100
	PA-3	3300
	PA-4	3500
	PA-5	3800
PB-5	PA-1	3400
	PA-2	3600
	PA-3	3800
	PA-4	4000
	PA-5	4300

9. Date of next increment in revised pay structure

1. Where the date of fixation of pay is on or after 1<sup>st</sup> day of January, 2016, the date of next increment shall be as per the revised pay structure...

1. The salary of an employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him. The pay band shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

2. The salary of an employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him. The pay band shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

**Illustration:**

Example: An employee is appointed to a post in the pay band of Rs. 15,000-18,000. The salary of the employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

3. The salary of an employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him. The pay band shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

4. The salary of an employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him. The pay band shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

5. Where two existing grades are to merge, the revised and the merged grade shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him. The pay band shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

**10. Revision of pay from a date subsequent to 1st day of January 2016**

Where an employee is entitled to a revision of pay from a date subsequent to 1st day of January 2016, the salary of the employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

**11. Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January 2016**

Where an employee is promoted to a higher post on or after 1st day of January 2016, the salary of the employee shall be fixed on the basis of the pay band prescribed in the pay matrix for the post held by him.

III. (contd.)

17. (a) The Government shall be deemed to have accepted the proposals for the grant of the following amounts for the purpose of the said scheme, subject to the availability of funds in the Consolidated Fund of the State:

(i) For the year 1970-71	Rs. 10,00,000
(ii) For the year 1971-72	Rs. 10,00,000
(iii) For the year 1972-73	Rs. 10,00,000
(iv) For the year 1973-74	Rs. 10,00,000
(v) For the year 1974-75	Rs. 10,00,000
(vi) For the year 1975-76	Rs. 10,00,000
(vii) For the year 1976-77	Rs. 10,00,000
(viii) For the year 1977-78	Rs. 10,00,000
(ix) For the year 1978-79	Rs. 10,00,000
(x) For the year 1979-80	Rs. 10,00,000
(xi) For the year 1980-81	Rs. 10,00,000
(xii) For the year 1981-82	Rs. 10,00,000
(xiii) For the year 1982-83	Rs. 10,00,000
(xiv) For the year 1983-84	Rs. 10,00,000
(xv) For the year 1984-85	Rs. 10,00,000
(xvi) For the year 1985-86	Rs. 10,00,000
(xvii) For the year 1986-87	Rs. 10,00,000
(xviii) For the year 1987-88	Rs. 10,00,000
(xix) For the year 1988-89	Rs. 10,00,000
(xx) For the year 1989-90	Rs. 10,00,000
(xxi) For the year 1990-91	Rs. 10,00,000
(xxii) For the year 1991-92	Rs. 10,00,000
(xxiii) For the year 1992-93	Rs. 10,00,000
(xxiv) For the year 1993-94	Rs. 10,00,000
(xxv) For the year 1994-95	Rs. 10,00,000
(xxvi) For the year 1995-96	Rs. 10,00,000
(xxvii) For the year 1996-97	Rs. 10,00,000
(xxviii) For the year 1997-98	Rs. 10,00,000
(xxix) For the year 1998-99	Rs. 10,00,000
(xxx) For the year 1999-00	Rs. 10,00,000
(xxxi) For the year 2000-01	Rs. 10,00,000
(xxxii) For the year 2001-02	Rs. 10,00,000
(xxxiii) For the year 2002-03	Rs. 10,00,000
(xxxiv) For the year 2003-04	Rs. 10,00,000
(xxxv) For the year 2004-05	Rs. 10,00,000
(xxxvi) For the year 2005-06	Rs. 10,00,000
(xxxvii) For the year 2006-07	Rs. 10,00,000
(xxxviii) For the year 2007-08	Rs. 10,00,000
(xxxix) For the year 2008-09	Rs. 10,00,000
(xl) For the year 2009-10	Rs. 10,00,000
(xli) For the year 2010-11	Rs. 10,00,000
(xlii) For the year 2011-12	Rs. 10,00,000
(xliiii) For the year 2012-13	Rs. 10,00,000
(xliv) For the year 2013-14	Rs. 10,00,000
(xlv) For the year 2014-15	Rs. 10,00,000
(xlvi) For the year 2015-16	Rs. 10,00,000
(xlvii) For the year 2016-17	Rs. 10,00,000
(xlviii) For the year 2017-18	Rs. 10,00,000
(xlix) For the year 2018-19	Rs. 10,00,000
(l) For the year 2019-20	Rs. 10,00,000
(li) For the year 2020-21	Rs. 10,00,000
(lii) For the year 2021-22	Rs. 10,00,000
(liiii) For the year 2022-23	Rs. 10,00,000
(liv) For the year 2023-24	Rs. 10,00,000
(liv) For the year 2024-25	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2025-26	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2026-27	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2027-28	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2028-29	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2029-30	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2030-31	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2031-32	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2032-33	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2033-34	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2034-35	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2035-36	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2036-37	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2037-38	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2038-39	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2039-40	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2040-41	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2041-42	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2042-43	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2043-44	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2044-45	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2045-46	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2046-47	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2047-48	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2048-49	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2049-50	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2050-51	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2051-52	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2052-53	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2053-54	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2054-55	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2055-56	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2056-57	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2057-58	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2058-59	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2059-60	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2060-61	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2061-62	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2062-63	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2063-64	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2064-65	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2065-66	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2066-67	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2067-68	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2068-69	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2069-70	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2070-71	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2071-72	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2072-73	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2073-74	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2074-75	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2075-76	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2076-77	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2077-78	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2078-79	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2079-80	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2080-81	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2081-82	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2082-83	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2083-84	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2084-85	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2085-86	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2086-87	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2087-88	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2088-89	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2089-90	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2090-91	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2091-92	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2092-93	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2093-94	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2094-95	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2095-96	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2096-97	Rs. 10,00,000
(lvi) For the year 2097-98	Rs. 10,00,000
(lvii) For the year 2098-99	Rs. 10,00,000
(lviii) For the year 2099-00	Rs. 10,00,000
(lvix) For the year 2100-01	Rs. 10,00,000

12. Mode of provision of grant of fund  
The grant shall be provided in the following manner:

13. Power to relax  
The Government may, if it thinks fit, relax the provisions of the scheme in such manner as it may deem fit, subject to the condition that the total amount of the grant shall not exceed the amount specified in the schedule to the scheme.

**Order:** Ordered that a copy of the scheme be laid on the table of the Legislative Assembly.  
By order of the Governor of Bihar

Rahul Singh  
Secretary, Bihar State  
Patna, Bihar

Member of the Legislative Assembly  
Copy forwarded to the Secretary, Bihar State, Patna, Bihar.  
Action

Rahul Singh  
Secretary, Bihar State  
Patna, Bihar









DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

NO.	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...













पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०

140

बिहार सरकार  
वित्त विभाग।

ANNEXURE-12

प्रेषक,

राहुल सिंह,  
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
महालेखाकार कार्यालय,  
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 15/11/2017

विषय :- दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण/उत्क्रमण के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को पूर्व में प्राप्त वित्तीय उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाराज,

वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/प्रीमियर सेवाओं के लिए दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से क्रमशः PB-2+4800/- एवं PB-2+5400/- तथा चार वर्ष के बाद PB-3+5400/- का in situ उत्क्रमण संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। PB-3+5400/- के in situ उत्क्रमण को MACPS, 2010 के आलोक में एक वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है। अर्थात् ऐसे राज्य कर्मियों को जिन्हें PB-3+5400/- का लाभ मिल रहा था, वह एक वित्तीय उन्नयन होगा।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। उक्त के आलोक में दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 स्वीकृत किया गया है, जो अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+5400/- का प्रतिस्थानी वेतन संरचना है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दि०-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 की स्वीकृति दी गई है। MACP के मामले के तहत नियुक्ति वेतन संरचना के प्रत्येक स्तर में एक उन्नयन की व्यवस्था है। चूंकि मूल नियुक्ति वेतन संरचना वेतन स्तर-9 में परिवर्तित हो जाती है। अतः 10 वर्ष के

उपरान्त वेतन स्तर-9 से ऊपर एक स्तर, 20 वर्ष के बाद दो स्तर की संरचना को अनुमान्य किया जाता है। ज्ञातव्य है कि नई वेतन संरचना में केंद्र में उपलब्ध वेतन स्तर-10 राज्य सरकार में लागू नहीं है। अतः वेतन स्तर-9 में उपर प्रथम स्तर-11 एवं द्वितीय स्तर-12 होता है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त स्थिति में MACP के तहत प्राप्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नरूपेण स्पष्ट की जा रही है:-

- (i) जिन राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को दिनांक-01/01/2016 के पूर्व एक वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11 तथा जिन्हें दिनांक-01/01/2016 के पूर्व दो वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-12 अनुमान्य होगा।
- (ii) वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटीय वेतनमान PB-2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर *in-situ* उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में *in-situ* उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम०ए०सी०पी० के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जाएगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक-01/01/2016, जो बाद में हो, से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 में अनुमान्य होगा।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखा जाना होगा कि दिनांक-01/01/16 के पूर्व प्राप्त आखिरी वित्तीय उन्नयन का ही पुनरीक्षण किया जाएगा न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक-01/01/2016 को वेतन निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, राज्य सेवा के किसी कर्मों को अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+4800/- के आधार पर पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः PB-2+5400/- एवं PB-3+5400/- प्राप्त था। ऐसे कर्मों को दिनांक-01/01/2016 से पूर्व में प्राप्त मात्र द्वितीय वित्तीय उन्नयन के वेतनमान (PB-3+5400) को पुनरीक्षित किया जाएगा।



# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना-800005(बिहार)

पंजीयन-97/82

अध्यक्ष

श्री हांकर राधक

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो० 9430996453 / 8271191632

महासचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

वी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर।

मो० 9973358168

उपाध्यक्ष

सुनील कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो० 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो० 8939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

वी०कुं०सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

मो० 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

, दरभंगा। मो०-8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।

मो० - 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

वी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०-9431413716

श्री रंजन कुमार

वी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर।

मो०-9472003662

प्रवक्ता

श्री गौरव

वी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर।

मो०-9123469271

सेवा में,

माननीय शिक्षा मंत्री

बिहार सरकार, पटना।

विषय:-15 सूत्री मॉग-पत्र पर क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के दिनांक 04.11.2018 को सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में 15 सूत्री मॉग-पत्र तैयार किया गया जो पत्र के साथ संलग्न है।

महोदय, आग्रह है कि महासंघ के 15 सूत्री मॉग-पत्र का अनुशीलन किया जाए तथा यथाशीघ्र मॉगों पर विचारोंपरान्त सम्यक् कार्रवाई करते हुए अधिसूचना जारी की जाए एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को संसूचित किया जाए।

दिपावली, छठ की विशेष शुभकामनाओं के साथ।

भवदीय

  
महासचिव

  
अध्यक्ष

ज्ञापांक. 175(P)-116 पटना।

दिनांक: 05.11.2018


प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान सचिव(उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. माननीय निदेशक(उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. माननीय प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
4. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक. 175(P)-116, पटना।

दिनांक : 05.11.2018

प्रतिलिपि :-राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
महासचिव

स्थापित-1982

144

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०: 9430996453 / 8271191632

पटना-800005(बिहार)

पंजीयन-97/82

महासचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

वी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर।

मो०: 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो० : 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०: 8939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इनाम

वी०कुं०सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

मो०: 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कानेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०-8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो० - 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, भदवपुर।

मो०-9431413716

श्री रंजन कुमार

बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर।

मो०-9472003662

प्रवक्ता

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर।

मो०-9123469271

आज दिनांक 04.11.2018 को बी०आर० अम्बेदकर विहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के प्रांगण में आयोजित बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों प्रतिनिधियों/पार्षदों द्वारा सर्वसहमति से 15 सूत्री माँग-पत्र तैयार किया गया, जो निम्नलिखित है-

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
2. सातवां वेतनमान शीघ्र लागू किया जाए।
3. ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के साथ भुगतान एवं बकाये राशि का भी भुगतान सुनिश्चित की जाए।
4. पंचम/षष्ठम वेतनमान पुनरीक्षण के विसंगति का निराकरण किया जाए।
5. सरकार के कर्मियों के तरह ही विश्वविद्यालयकर्मियों को भी लाभ दिया जाए तथा सरकार द्वारा निर्गत सभी पत्रों/आदेशों प्रतिलिपि प्रेषण में विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाए।
6. सचिवालय कर्मियों के अनुरूप ग्रेड पे एवं अन्य सुविधा विश्वविद्यालय कर्मियों को भी दिया जाए।
7. ट्रेजरी से भुगतान बंद कर पूर्व की तरह भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।
8. अनुकम्पा के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए।
9. दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मियों का स्वीकृत पद के विरुद्ध नियमितिकरण कर भुगतान सुनिश्चित की जाए।
10. वर्षों से लम्बित पदोन्नति यथाशीघ्र की जाए तथा भुगतान आरंभ किया जाए।
11. पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
12. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में नियमित कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित की जाए तथा बजट में प्रावधान कराकर स्वीकृति प्रदान की जाए।
13. सेवानिवृत्ति सीमा 62 के बदले शिक्षकों के समान 65 वर्ष किया जाए।
14. विश्वविद्यालय सीनेट में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों का मनोनयन सुनिश्चित किया जाए।
15. महासंघ कार्यालय हेतु सचिवालय के नजदीक भूमि/भवन आवंटित किया जाए।

श्री गौरव  
25/11/18  
अध्यक्ष

श्री राघवेंद्र कुमार  
25/11/18  
महासचिव

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, बिहार, पटना।

पत्रांक: - 01/18

दिनांक - 01/10/18

सेवा में,

माननीय शिक्षा मंत्री,  
मानव संसाधन विकास विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्री मांग की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के दिनांक 30.09.2018 को राज्य स्तरीय बैठक में सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उक्त बैठक में सभी विश्वविद्यालय के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा उक्त चर्चोपरान्त सर्व सम्मति से 11 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया है जो सलग्न है।

अतः महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि उक्त 11 सूत्री मांगों की पूर्ति यथाशीघ्र करने की कृपा प्रदान करेंगे अन्यथा की स्थिति में पुनः 28.10.2018 को प्रस्तावित बैठक में मांगों की पूर्ति हेतु संघ पर विचार करना महासंघ की बाध्यता होगी।

अनुलग्नक यथोक्त

भवदीय

ह0/-

(रघुनन्दन लाल कर्ण)

संयोजक, सह-अध्यक्ष,

का० सि० स० वि० दरभंगा कर्मचारी संघ

दिनांक - 01/10/18

पत्रांक: - 01/18

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, उच्च-शिक्षा, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. संवाददाता सभी दैनिक समाचार पत्र को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रघुनन्दन लाल कर्ण  
1.10.18

संयोजक, सह-अध्यक्ष



## बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, बिहार, पटना।

आज दिनांक 30.09.2018 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,  
दरभंगा के प्रांगण में आयोजित बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के  
कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक का कार्यवृत्त :-

- 1 श्री रघुनन्दन लाल कर्ण अध्यक्ष सरकृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा के सर्वसम्मति से राज्य स्तर पर कर्मचारी संघ का संयोजक बनाया गया
- 2 सभी विश्वविद्यालय में माह की पहली तारीख को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- 3 सातवा वेतनमान शीघ्र लागू किया जाय।
- 4 ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के बकाया एवं उसके अनुरूप वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाय।
- 5 पचम/षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के विरसगति का निराकरण किया जाय।
- 6 बिहार सरकार द्वारा जिस तरह अपने कर्मियों को तान दिय जात है उस पत्र = विश्वविद्यालय का नाम जोडकर निर्गत किया जाय।
- 7 सचिवालय कर्मियों के अनुरूप ग्रेड-पे एवं अन्य सभी सुविधा दी जाय।
- 8 ट्रेजरी से भुगतान बंद कर पूर्व की भांति भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 9 अनुकम्पा के आधार पर लम्बित नियुक्ति शीघ्र की जाय।
- 10 दैनिक वेतनभोगी/सविद कर्मियों एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों की संख्या नियमित की जाय।
- 11 विश्वविद्यालय में लम्बित प्रोन्नति दंड तिथि से रिक्ति के आधार पर शीघ्र दी जाय साथ ही पूर्व में प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को पद के अनुरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित की जाय।
- 12 नयी पेशन योजना को समाप्त कर पूर्व पेशन योजना लागू की जाय।

Rajendra Kumar  
30/9/18

संयोजक

संख्या 15/डी 1-01/09 अंश II

पटना, दिनांक

2019

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय समूह "घ" के कर्मियों के संशोधित वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों को शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के सदृश्य वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया गया है।

2. राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए विभागीय स्तर से निर्गत संकल्पों में अंकित वेतनमान की विसंगतियों पर विचार किए जाने हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0 5972, दिनांक 07.08.18 द्वारा श्री सुनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष-साह-सदस्य, राजस्य पर्वद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

3. वेतन विसंगति निराकरण समिति द्वारा राज्य सरकार के समूह "घ" के कर्मियों के समतुल्य वेतन संरचना का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के समूह "घ" के कर्मियों को भी दिए जाने की अनुशंसा की गई है।

4. वेतन विसंगति निराकरण समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के समूह "घ" के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 द्वारा पूर्व में अनुमान्य किए गए वेतन संरचना को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के दसवीं उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मियों को वेतन बैंड 1 एवं ग्रेड पे0 1800 अनुमान्य होगा तथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के दसवीं अनुत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मियों को वेतन बैंड 1 एवं ग्रेड पे0 1650 अनुमान्य होगा। इन्हें पे0 बैंड 1 एवं ग्रेड पे0 1800 एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरान्त दी जाएगी।

5. इस संशोधित वेतन संरचना की प्रभावी तिथि राज्य सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक आर्थिक लाभ सहित होगी।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

7 संकल्प प्रारूप पर विभागीय अपर मुख्य सचिव एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सतीश चन्द्र झा)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/डी 1-01/09 अंश II

पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-

(सतीश चन्द्र झा)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/डी 1-01/09 अंश II

पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


ह0/-

(सतीश चन्द्र झा)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/डी 1-01/09 अंश II - 73

पटना, दिनांक 03/01/19

प्रतिलिपि:- सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली/श्री सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पार्षद, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ कुलपति/कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

  
(सतीश चन्द्र झा)  
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

ANNEXURE- 75

संकल्प

पटना, दिनांक 06/3/2019

संख्या 15/एम 1-20/2018- 591

विषय :- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान एवं मत्तों की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार के पत्रांक 1-7/2015-U.II(1) एवं पत्रांक 1-7/2015-U.II(2) दिनांक 02.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्रदाधिकारियों के सातवें वेतन पुनरीक्षण हेतु आदेश निर्गत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना है।

2. उक्त आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2203 दिनांक 30.11.2018 द्वारा राज्य के राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में समीक्षोपरांत अनुशंसा देने हेतु श्री सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

3. समिति की अनुशंसा के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि समिति द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु यू0जी0सी0 द्वारा वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा को आधार बनाते हुए उनके सदृश्य वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा की गयी है।

4. राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के संकल्प को आधार बनाते हुए उनके सदृश्य वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा की गयी है।

5. समिति की अनुशंसा में वर्णित तथ्यों पर सम्यक् समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर

2

83

साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित राकल्प से महगाई भत्ते के समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षित दर को लागू किया जाए।

(ग) अन्य सभी भत्ते उसी संशोधित रूप में देय होंगे, जैसा की इस अनुशंसा में समाहित किया गया है। संशोधित भत्ते उस तिथि से देय होंगे, जिस तिथि से राज्य सरकार समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए उसे अधिसूचित करेगी।

(घ) शिक्षकों एवं समतुल्य सम्बर्गों (पुरतकाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक सम्बर्ग) के लिए अनुसूची (Schedule) I में सामान्य प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतन स्तर तथा अनुसूची (Schedule) II में वेतन मैट्रिक्स संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेंतर कर्मियों के लिए अनुसूची (Schedule) III में सामान्य प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतन स्तर एवं अनुसूची (Schedule) IV में वेतन मैट्रिक्स संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जाएगा।

6. परिभाषाएँ :- (i) "विद्यमान मूल वेतन" (existing basic pay) से अभिप्रेत है निष्क्रियता वेतन वृद्धि (यो) सहित विहित वेतनमान में आहरित वेतन, परंतु इसमें 'विशेष वेतन' इत्यादि जैसी किसी अन्य प्रकार की वेतन वृद्धि शामिल नहीं है।

(ii) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु निर्गत होने वाली अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत या स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन।

(iii) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से अभिप्रेत है अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को विश्वविद्यालय सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान।

(iv) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से अभिप्रेत है वे बैण्ड की वर्तमान प्रणाली तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना की नई नियमावली के




प्रभावी होने से ठीक पहले की लिथि को विश्वविद्यालय सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान चाहे वह पद सादवान पद हो या स्थानापन्न।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है 01.01.2016 को इण्डेक्स औसत पर (i) विद्यमान मूल वेतन तथा (ii) महगाई भत्ता का योग।

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अभिप्रेत है पहले से मौजूद वेतन बैण्ड तथा अनुसूची (ii) एवं (iv) (जैसा लागू हो), में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन तथा स्केल के तत्सम यथा समनुदेशित लम्बवत कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन के स्तरों के साथ अनुसूची (Schedule) में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स।

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "वेतन स्तर" से अभिप्रेत है पहले से मौजूद वेतन बैण्ड तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन के तत्सम वेतन स्तर।

(viii) "वेतनमान स्तर में वेतन" से अभिप्रेत है अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट स्तर के उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतनमान।

(ix) पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से अभिप्रेत है, पद के विद्यमान वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन के तत्सम उसमें विनिर्दिष्ट स्तर तथा वेतन मैट्रिक्स, जब तक कि उस पद के लिए एक भिन्न पुनरीक्षित स्तर पृथक रूप से अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(x) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से अभिप्रेत है वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन।

(xi) "संशोधित परिलब्धियाँ" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में विश्वविद्यालय सेवक के स्तर में वेतन तथा

(xii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से साथ संलग्न अनुसूची।

7. पदों का स्तर - पदों के स्तर का निर्धारण विद्यमान वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट वेतन स्तर के लिए निर्धारित विभिन्न स्तरों के अनुरूप होगा।

#### 8. शिक्षक एवं समतुल्य पदों का वेतन पुनरीक्षण -

(क) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) शिक्षकों के मात्र तीन पदनाम होंगे यथा सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा

विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 10000/-)	विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष -एकेडमिक वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 144200)
--	---

(X) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का वेतन पुनरीक्षण।

विद्यमान वेतनमान	अनुशासित पुनरीक्षित वेतन स्तर
खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 6000/-)	खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक -एकेडमिक वेतन स्तर 10 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 57700)
खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरीय वेतनमान) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान) (15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 7000/-)	खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरीय वेतनमान) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान) -एकेडमिक वेतन स्तर 11 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 68900)
खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 8000/-)	खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) -एकेडमिक स्तर 12 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 79800)
खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड)	खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा

(वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 9000/-)	शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) -एकेडमिक वेतन स्तर 13ए (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 131400)
विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 10000/-)	विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक -एकेडमिक वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 144200)

### 9. विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति का वेतन पुनरीक्षण।

(क). प्रतिकुलपति- अपुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को वर्तमान वेतनमान 37,400-67,000/- रुपये में 10,000/- ग्रेडपे0 अनुमान्य है तथा रू 4,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता इस शर्त के साथ अनुमान्य है कि पे बैंड में वेतन एवं एकेडमिक ग्रेडपे तथा विशेष भत्ता मिलाकर रू0 80,000/- से अधिक नहीं हो।

पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत प्रतिकुलपति को एकेडमिक स्तर 14 अनुमान्य होगा तथा रू0 4,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य किया जाएगा।

(ख). कुलपति- अपुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को 75,000/- (निश्चित वेतन) + 5,000/- (विशेष वेतन) अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति का वेतनमान रू0 2,10,000/- (निश्चित वेतन) होगा। कुलपति के पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन रू0 75,000/- में 281 के गुणक से गुणा करके तथा प्राप्त होने वाली राशि को उसके निकटतम रू0 5,000/- से round off करके निर्धारित किया जाएगा। कुलपति को पूर्व की भाँति रू0 5,000/- विशेष वेतन प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

### 10. महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का वेतन पुनरीक्षण :-

(क) स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य - अपुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतनमान पे0 बैंड



37400-67,000/- तथा एकेडमिक ग्रेडपे0 रू0 10,000/- अनुमान्य है। इसके साथ प्रधानाचार्य को रू0 2,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रधानाचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन के समतुल्य मानते हुए एकेडमिक स्तर 13ए में रखा जाएगा तथा युक्तिसंगत प्रवेश वेतन न्यूनतम रू0 1,31,400/- होगा। इसके साथ इन्हे रू0 2,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता देय होगा।

(ख) स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य - स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैण्ड 37,400-67,000/- तथा एकेडमिक ग्रेडपे रू0 10,000/- अनुमान्य है तथा इन्हे रू 3,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में इन्हे प्रोफेसर के समतुल्य एकेडमिक स्तर 14 में रखा जाएगा तथा इनका युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 1,44,200/- होगा। साथ ही इन्हे रू0 3,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रतिमाह पूर्व की भाँति देय होगा।

नोट :- (1). प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की पूर्व के पद पर प्राप्त होने वाले वेतन के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।

(2). प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उनके पूर्व के एकेडमिक पद पर लीएन सुरक्षित रहेगा तथा वे वैचारिक रूप से प्रोन्नति पाने के हकदार होंगे।

11. उच्चतर योग्यता के लिए प्रोत्साहन भत्ता - पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रोत्साहन भत्ता को समाहित करते हुए ही वेतन संरचना की अनुशंसा की गई है, जिसमें जैसे शिक्षक जिन्हे एम0फील0 अथवा पी0एच0डी0 की उपाधि होगी उन्हे कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत तेजी से उच्चतर वेतनमान का प्रक्रम प्राप्त हो सकेगा। अतः केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अलग से कोई प्रोत्साहन भत्ता अपेक्षित नहीं है।

12. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के संदर्भ में वेतन पुनरीक्षण - बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत विश्वविद्यालय मुख्यालय के पदाधिकारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना की अनुशंसा अधोलिखित तालिका/विवरणी के अनुसार की जाती है।

क्र०	पद का नाम	दिनांक 01.01.2006 से विद्यमान वेतनमान		दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में अनुशंसित वेतन स्तर
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन स्तर
1	2	3	4	5

## (क) विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन शिक्षकेत्तर पदाधिकारी की स्थापना

1	कुलसचिव	37400-67000	10000	वेतन स्तर 14
2	उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद	15600-39100	7600	वेतन स्तर 12
3	सहायक कुलसचिव	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09
4	विकास पदाधिकारी	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09
	युवा कल्याण पदाधिकारी	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09
6	योजना पदाधिकारी	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09

\* विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों को यू०जी०सी० द्वारा अनुशंसित वेतनमान यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने पर ही अनुमान्य होगा। वैसे शिक्षकेत्तर पदाधिकारी जो यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते हैं, उन्हें शिक्षा विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 में अंकित अपुनरीक्षित वेतनमान का प्रतिस्थानी वेतन स्तर ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमान्य होगा।

## (ख). विश्वविद्यालय वित्त एवं अंकेक्षण विभाग

1	वित्तीय परामर्शी	37400-67000 (पी०बी० 4)	10000	वेतन स्तर 14
2	वित्त पदाधिकारी	15600-39100	7600	वेतन स्तर 12

3	बजट-सह-लेखा पदाधिकारी (सहायक वित्त पदाधिकारी के रूप में नामित)	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09
<b>(ग). विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग</b>				
1	परीक्षा महानियंत्रक	37400-67000	10000	वेतन स्तर 14
2	परीक्षा नियंत्रक	15600-39100	7600	वेतन स्तर 12
3	सहायक कुलसचिव (परीक्षा)	9300-34800	5400	वेतन स्तर 09
<b>(घ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी</b>				
1	महाविद्यालय निरीक्षक	37400-67000	10000	वेतन स्तर 14
2	सम्पर्क पदाधिकारी (लाईजन ऑफिसर)	15600-39100	6600	वेतन स्तर 11

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव/परीक्षा महानियंत्रक/ महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी के पद पर जिस पंक्ति या संवर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें तदनुसार विहित सेवा शर्तों के आलोक में ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय परामर्शी के पद पर राज्य सरकार के लेखा/राजस्व सेवा के नियमित रूप से कार्यरत वरीय पदाधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए। वैसे पदाधिकारी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में ही विशेष परिस्थिति में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति इस पद पर की जाए।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु विश्वविद्यालयों से निम्नवत् आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है :-

(क) विश्वविद्यालयों द्वारा वेतन/पेंशन/अन्यान्य मदों में व्यय की जाने वाली राशि के लिए पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता का अनुपालन करेगा तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976/ पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा बिहार वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 से प्राप्त राशि एवं व्यय की समय-समय पर अंकेक्षण कराया जाएगा ताकि पूर्णतः वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त वेतन/पेंशन एवं अन्यान्य मदों में प्राप्त अनुदान का समय सीमा के अन्दर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण – बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विधिवत् रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 06 में अंकित वेतन स्तर के अनुसार की जाएगी।

(क) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों का सामान्य स्थापना						
क्र०	पदनाम	दिनांक 01.01.2006 से विद्यमान वेतनमान	विद्यमान वेतन बैंड	विद्यमान ग्रेड पे	01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन स्तर	
1	2	3	4	5	6	7
1	कुलपति के निजी सहायक	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
2	प्रशासी पदाधिकारी	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	मरणगील सम्बन्धी। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
3	प्रशाखा पदाधिकारी	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
4	सुपर वाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन्स	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
5	सहायक	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
6	उच्च वर्गीय लिपिक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
7	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	

(ख) विश्वविद्यालय के आशुटकक कर्मियों का स्थापना					
1	आशुटकक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04
2	आशुटकक-ग्रेड-1	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06
3	आशुटकक-ग्रेड-2	9300-34800	पी0बी0-2	4600	वेतन स्तर 07
(ग) विश्वविद्यालय स्थापना के अन्य पद					
1	मैकेनिक कम ड्राईवर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02
2	ड्राईवर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02
(घ) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सामान्य स्थापना					
1	डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
2	फ्लाय बॉय	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
3	टेलिफोन ऑपरेटर	4440-7440	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01
4	लेथ मिस्त्री	4440-7440	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01
5	इलेक्ट्रीसियन	4440-7440	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01
6	माली	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
7	चौकीदार	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
8	क्लीनर	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
9	स्वीपर	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
10	दाई	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
11	रेकॉर्ड स्पलायर	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
12	दफ्तरी	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
13	कुंक	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
14	गैसमैन	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
15	हेड जमादार	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
16	इलेक्ट्रीसियन	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
17	बैंक पियून	4440-7440	एस0 1	1400	वेतन स्तर 01
18	नाईट गार्ड	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
19	आदेशपाल	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
20	फर्नास	4440-7440	एस0 1	1300	वेतन स्तर 01
(ङ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्थापना (गैर शैक्षणिक)					
1	प्रोफेशनल सहायक	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06
2	शोध सहायक	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06
3	पुस्तकाध्यक्ष	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06
4	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05
5	कैटलगर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05

मैट्रिक /  
प्रशिक्षण  
योग्यता  
धारिता के  
लिए वेतन  
स्तर 01 तथा  
जो ये शर्त  
पूरा नहीं  
करते हैं,  
उनके लिए  
वेतन स्तर  
01A  
अनुशंसित।

यू0जी0सी0  
की योग्यता  
नहीं रहने  
पर।

स्नातक के  
साथ

						पुनर्कालय विज्ञान में डिप्लोमा नहीं होने पर वेतन स्तर 02 अनुमान्य।
6	क्लासिफायर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	स्नातक के साथ पुनर्कालय विज्ञान में डिप्लोमा नहीं होने पर वेतन स्तर 02 अनुमान्य।
7	शार्टर (लाईब्रेरी क्लर्क)	5200-20300	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	

## (च) विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी का स्थापना

1	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	15600-39100	पी0बी0-3	7600	वेतन स्तर 12	मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा नियुक्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
2	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	15600-39100	पी0बी0-3	6600	वेतन स्तर 11	
3	चिकित्सा पदाधिकारी	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	(1) मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा नियुक्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2) राज्य सरकार के अनुरूप नियुक्ति की योग्यता होने पर वेतन स्तर 09 अनुशासित।

राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के चिकित्सकों के समतुल्य होने पर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों को राज्य सरकार के चिकित्सकों की भाँति वेतन पुनरीक्षण में प्रोन्नति/केन्द्रीय डायनेमिक ए0सी0पी0 आदि की सुविधा अनुमान्य किया जाएगा।

## (छ) विश्वविद्यालय के चिकित्सा ईकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना

1	कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट)	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	(1) मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा नियुक्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
---	--------------------------	------------	----------	------	--------------	--

						(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य
2	लेखापाल-सह- भंडारपाल (सेन्ट्रल डिस्पेंसरी)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
3	एक्सरे टेक्निसियन	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य
4	भंडारपाल	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
5	लेबोरेटरी तकनिसियन	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य
6	फार्मासिस्ट	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य
7	कम्पाउन्डर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
8	वैक्सीनेटर-कम पैथेलाजिकल लैव तकनीसियन (सेन्ट्रल डिस्पेंसरी)	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
9	सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	(1) भरणीतील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
10	ड्रेसर	5200-20200	पी0बी0-1	1650	वेतन स्तर 01	(1)

10	इंसर-कम-टेविनसियन (सेन्ट्रल डेस्पेन्सरी)	5200-20200	पी0बी0-1	1650	वेतन स्तर 01	मरकजीन सम्पन। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में काई नियुक्ति नहीं की जा सकती। (2) मैट्रिक की योग्यता नहीं होने की स्थिति में वेतन स्तर 01A अनुसूचित
<b>(ज) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अभियंताओं का स्थापना</b>						
1	विश्वविद्यालय अभियंता	15600-39100	पी0बी0-3	6600	वेतन स्तर 11	
2	सहायक अभियंता	9300-34800	पी0बी0-2	5400	वेतन स्तर 09	
3	कनीय अभियंता	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
<b>(झ) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना</b>						
1	आर्किटेक्चरल प्रारूपक	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
2	प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
3	हेड स्टीमेटर ग्रेड 1	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
4	ड्राफ्ट स्टीमेटर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
5	ड्राफ्ट मैन	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
6	स्टोर कीपर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
7	पम्प मेकेनिक (वर्क्स डिपार्टमेंट)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
8	हेड पम्प मिस्त्री (वर्क्स डिपार्टमेंट)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
9	लेखापाल-सह- विशेष सहायक (कार्य विभाग)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
10	पम्प मिस्त्री (कार्य विभाग)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
11	ट्रेसर	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03	
12	मिस्त्री	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
13	मुख्य फीटर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
14	इलेक्ट्रीसियन	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
15	प्लम्बर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
16	प्रयोगशाला मिस्त्री	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
17	वर्क सरकार	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
18	मुख्य बर्दई	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	





						अनुमान्य 1
8	ड्राफ्ट्समैन पी0जी0 भूगोल	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
9	सांख्यिकी विद	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातक की योग्यता होने की स्थिति में ही वेतन स्तर 06 अनुमान्य अन्यथा वेतन स्तर 04 अनुमान्य
10	कलाकार-सह- सांख्यिकी विद	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
11	एक्सप्लोरेशन एण्ड टेकनिकल असिस्टेंट	9300-34800	पी0बी0-2	4200	वेतन स्तर 06	
12	तबलावादक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
13	वरीय तबलावादक / तबलावादक ग्रेड- 1	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03	
14	मुख्य तबलावादक / तबलावादक ग्रेड- 2	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
15	सिनियर डाप्टमैन (स्नातकोत्तर विभाग)	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
16	सर्वेयर (स्नातकोत्तर विभाग)	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
17	स्पेशल असिस्टेंट (स्नातकोत्तर विभाग)	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
18	इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप तकनिसियन	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
19	लैव इन्चार्ज / पदनामित प्रयोग प्रदर्शक (नियुक्ति के समय स्नातक योग्यताधारी)	5200-20200	पी0बी0-1	4200	वेतन स्तर 06	विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 22.10.2013 द्वारा इन्हें ग्रेडपी0 4200 अनुमान्य किया गया है, जिसके आलोक में अनुशंसित
20	मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट स्नातकोत्तर भूगोल विभाग	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
21	लेबोरेटरी सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	

22	लेव इन्चार्ज (आई०एस०सी०)	5200-20200	पी०बी०-1	2400	वेतन स्तर 04	
23	कनीय प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	पी०बी०-1	2400	वेतन स्तर 04	
24	क्षेत्रीय सहायक (प्रयोगशाला)	5200-20200	पी०बी०-1	2400	वेतन स्तर 04	
25	इन्स्ट्रुमेंट कीपर (पी०जी०)	5200-20200	पी०बी०-1	1900	वेतन स्तर 02	
26	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200	पी०बी०-1	2000	वेतन स्तर 03	
27	असिस्टेंट ड्राफ्ट मैन	5200-20200	पी०बी०-1	2000	वेतन स्तर 03	
28	ग्लास बलोअर	5200-20200	पी०बी०-1	2000	वेतन स्तर 03	
29	शॉर्टर-कम एकाउन्टेन्ट (स्नातकोत्तर इतिहास विभाग)	5200-20200	पी०बी०-1	1900	वेतन स्तर 02	
30	स्पेसीमेन कलेक्टर (पी०जी०)	4440-7400	एस० 1	1400	वेतन स्तर 01	(1) मैट्रिक / प्रशिक्षण योग्यता धारित होने पर वेतन स्तर 01 अनुशसित। जो ये शर्त पूरा नहीं करते, उनके लिए वेतन स्तर 01A अनुशसित। (2) एनिमल कीपर सिनियर का पद गणनीय सम्बन्ध का पद है, इसलिए सेवा नियुक्ति के पर्याप्त कोई अनुशासा नहीं
31	लैब वियरर	4440-7400	एस० 1	1400	वेतन स्तर 01	
32	एनिमल कीपर सिनियर	4440-7400	एस० 1	1300	वेतन स्तर 01	
<b>(ड) विश्वविद्यालय प्रेस कर्मियों का स्थापना</b>						
1	मुद्रणालय अधीक्षक	9300-34800	पी०बी० 2	4200	वेतन स्तर 06	आउटसोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा नियुक्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती।
2	हिन्दी अनुवादक	9300-34800	पी०बी० 2	4200	वेतन स्तर 06	गणनीय सम्बन्ध। मृत्यु अथवा सेवा नियुक्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती।

3	जेनरल फोरमेन (प्रेस)	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	आउटसोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।	
4	प्रेस प्रूफ रीडर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04		
5	प्रूफ रीडर कम सुपरवाइजर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04		
6	प्रधान वाचक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04		
7	सिनियर प्रूफ रीडर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04		
8	एकाउण्टेंट	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04		
9	प्रेस मशीन मैन	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
10	जूनियर स्टोर कीपर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
11	जूनियर प्रूफ रीडर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
12	सिनियर बाईन्डर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
13	सिनियर मशीन मैन	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
14	सिनियर कम्पोजिटर असिस्टेंट	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
15	कम्प्यूटर प्रेस	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
16	सेक्सन होल्डर-कम हेड कम्पोजिटर सीनियर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
17	फिल्म ऑपरेटर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		आउटसोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
18	बुक बाइण्डर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
19	मैनुस्क्रिप्ट बुक बाइण्डर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
20	करेक्टर कम कम्पोजिटर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
21	मोनो कास्टर (वरीय)	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02		
22	मोनो ऑपरेटर	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03		
23	सेक्सन होल्डर-सह मुख्य बाइन्डर	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03		
24	मोनो ऑपरेटर कनीय	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01	(1) विभागीय संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2019 द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया गया है, जिसके	
25	प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01		
26	प्रेस पलायबॉय	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01		
27	प्रेस कम्पोजिटर, सिनियर	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01		
28	जूनियर कम्पोजिटर डिस्टेम्बर	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01		
29	करेक्टर कम कम्पोजिटर जूनियर	4440-7400	एस0 1	1650	वेतन स्तर 01		



## (II) महाविद्यालय पुस्तकालय इकाई

1	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	गठि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में शिफ्टोना नहीं है. तो वेतन स्तर 02 अनुमान्य
2	कैटलगर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
3	क्लासिफायर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
4	पी0एल0 असिस्टेन्ट	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
5	पुस्तकालय सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
6	उच्चवर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
7	शार्टर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
8	निम्नवर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में)	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
9	पुस्तकालय सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
10	पुस्तकालय अटेंडेन्ट	4440-7440	एस0- 1	1300	वेतन स्तर 01	(1) विभागीय सकल्प संख्या 73 दिनांक 08.01.2019 द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया नका है, जिसके आलोक में मैट्रिक योग्यता धारित को वेतन स्तर 01 एवं जो वे शर्त पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशसित।
<b>(III) महाविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) एवं अन्य सदृश्य स्थापना</b>						
1	कनीय अभियंता	9300-34800	पी0बी0 2	4200	वेतन स्तर 06	
2	आर्ट शिक्षक (पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज)	9300-34800	पी0बी0 2	4200	वेतन स्तर 06	
3	लैब इन्चार्ज/पदनामित प्रयोग प्रदर्शक (ग्रेजुएट)	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 06	विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 22.10.2013 द्वारा इन्हें वेतनमान 9300-34800 एवं ग्रेडपे0 4200 अनुमान्य है, जिसके

						आलोक से समान्य प्रतिस्थानी अनुशासित
4	आर्टिस्ट-कम- फोटोग्राफर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	डिग्री/ डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य अथवा वेतन स्तर 04 अनुमान्य
5	पेन्टींग इन्स्ट्रक्टर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
6	फोटोग्राफर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
7	फोटो इन्स्ट्रक्टर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
8	क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
9	आर्टिस्ट	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
10	आर्ट टीचर	5200-20200	पी0बी0-1	2800	वेतन स्तर 05	
11	लेबोरेटरी सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
12	लैब इन्चार्ज (आई0एस0सी0)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
13	जूनियर लैब सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
14	स्टोर कीपर (भंडारपाल)	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
15	सितारवादक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
16	संगीत अनुदेशक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
17	तबलावादक	5200-20200	पी0बी0-1	2400	वेतन स्तर 04	
18	लेबोरेटरी तकनीसियन	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03	
19	सेक्सन कटर (पी0जी0)	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
20	मैकेनिक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
21	कनीय सहायक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
22	निम्नवर्गीय लिपिक	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	
23	कम्पाउन्डर	5200-20200	पी0बी0-1	1900	वेतन स्तर 02	मरणशील पद। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है।
24	लेबोरेटरी तकनीसियन	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 02	
25	ग्लास बलोअर	5200-20200	पी0बी0-1	2000	वेतन स्तर 03	
26	लैब बियरर	4440-7440	एस0 -1	1400	वेतन स्तर 01	(1) विभागीय संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2019 द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया
27	एनिमल कीपर	4440-7440	एस0 -1	1300	वेतन स्तर 01	
28	फर्रास	4440-7440	एस0 -1	1300	वेतन स्तर 01	

						<p>गया है जिसमें आलाफ में मिट्टिक/प्रशिक्षण योग्यता धारित होने पर वेतन स्तर 01 एवं जो वे मार्ग पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशासित। (2) सिनियर एनिमल किपर एवं जूनियर एनिमल किपर दोनों का वेतनमान एवं ग्रेडपे0 एक ही होने के कारण दोनों को समाहित करते हुए एक पद एनिमल किपर की अनुशासा की गई है। यह पद मरणशील सम्बन्ध है जिसपर सेवा नियुक्ति के पश्चात पद शिक्षित की स्थिति में कोई अनुशासा मान्य नहीं होगी</p>
--	--	--	--	--	--	---

14. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण - विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी उस पद पर जिस पद के विरुद्ध उसकी नियुक्ति हुई है अथवा कार्यरत है, उस पद के लिए लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना स्तर में वेतन आहरित करेगा :

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी/कर्मी विद्यमान वेतन संरचना में अगली या पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि अर्जित करने की तिथि तक या विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना बंद कर देने पर या अपना पद खाली कर देने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।



परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ विश्वविद्यालय सेवक को प्रोन्नति अथवा उन्नयन के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना के तिथि के बीच एक उच्चतर ग्रेड वेतन या स्कोल में रखा जाता है वहाँ विश्वविद्यालय सेवक ऐसी प्रोन्नति या उन्नयन (यथास्थिति) की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चुन सकता है।

15. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों/पदाधिकारियों को संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण -

**सामान्य फिटमेंट-**

(क) सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नानले में - वेतन मैट्रिक्स में लागू वेतन स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक में विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाश किया जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू वेतन स्तर की किसी कोष्ठिका में उस राशि के समरूप कोई राशि वर्णित है, तो वही राशि उस पदाधिकारी/कर्मि का पुनरीक्षित वेतन होगा। यदि लागू वेतन स्तर में ऐसी कोष्ठिका उपलब्ध नहीं हो तो वेतन मैट्रिक्स के उस वेतन स्तर में उसके ठीक उच्चतर कोष्ठिका में अंकित राशि के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा।

**उदाहरण :**

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन	5200-20200				
		बैंड					
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड	1800	1900	2000	2400	2800
3	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10160	वेतन					
4	विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160 + 2400)	लेवल	1	2	3	4	5
5	2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन : 12560 X 2.57 =	1	18000	19900	21700	25500	29200
		2	18500	20500	22400	26300	30100
		3	19100	21100	23100	27100	31000
		4	19700	21700	23800	27900	31900

	32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	5	20300	22400	24500	26700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
6	ग्रेड वेतन 2400 का तदनुसूची लेवल लेवल 4	7	21500	23800	26000	30500	34900
		8	22100	24500	26800	31400	35900
		9	22800	25200	27600	32300	37000
7	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 32300	10	23500	26000	28400	33300	38100
		11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख). पद के उन्नयन के मामले में फिटमेंट - यदि किसी पद को समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए वेतन स्तर जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुसूची ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण खण्ड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जायेगा।

उदाहरण :

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400		ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400
3	विद्यमान मूल वेतन : 12560	लेवल	1	2	3	4	5
4	उन्नत ग्रेड वेतन : 2800	1	18000	19900	21700	25500	29200
5	निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन 12960 (10160 + 2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6	क्रम संख्या 5 को 257 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन : 33307.20 (33307) में पूर्णांकित	3	19100	21100	23100	27100	31000
7	ग्रेड वेतन 2800 का तदनुसूची लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307) के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900	5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900

3

177

(ग) कोई विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 1 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जायेगा।

(घ) कोई विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है तो वह 1 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जायेगा।

(ङ) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।

(च) यदि स्थायी पदधारक विश्वविद्यालय सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पद के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप-नियम (क) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जायेगा।

(छ) यदि किसी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियाँ" से अधिक है तो वह अंतर व्यक्तिगत वेतन में रूप में दिया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा।

(ज) यदि कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी 1 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी कैडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (क) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्टिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्टिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्टिका तक बढ़ा दिया जायेगा जिस कोष्टिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।





(इ). (1) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा- निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अद्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जायेगी, अर्थात्

(i) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों विश्वविद्यालय सेवक एक ही काडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हो :

(ii) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हो, की संशोधन- पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना के समरूप हो :

(iii) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(iv) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई है :

बशर्त कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गयी किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किये जाएंगे।

खण्ड के अनुशरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतनवृद्धि पाने के हकदार होगा।




16. 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण। - 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए अनुमान्य/लागू वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा :

बर्तते, कि 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियाँ उस पद जिस पर उसे 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए लागू वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसा अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन में रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

#### व्याख्यात्मक टिप्पणी

यह नियम 1 जनवरी, 2016 को या इसके उपरांत सीधी नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की विधि विहित करता है।

17. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि । - किसी विश्वविद्यालय सेवक की वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में उसे लागू वेतन स्तर की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा विनिर्दिष्ट रूप से दी जाएगी।

उदाहरण :

वेतन स्तर 4 में 32,300 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी वेतन स्तर में लम्बवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33,300 रुपये हो जाएगा।	वेतन बैंड	5200-20200				
	गेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200

	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
					I	
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

18. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख। -

(i) वर्तमान में लागू 1 जुलाई की निर्धारित वेतन वृद्धि की तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई :

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण :

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर

(क). बिहार भौतिक संसाधन की दृष्टिकोण से यद्यपि तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जिसके सम्पूर्ण बजट का लगभग 20% हिस्सा शिक्षा के उन्नयन पर व्यय किया जाता है। इससे राज्य के अन्य क्षेत्रों का विकास प्रभावित होता है, पर यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि यह प्रदेश मानव संसाधन की दृष्टिकोण से एक सम्पन्न प्रदेश है तथा यहाँ के शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों में प्रतिभा भी कोई कमी है। बावजूद इसके इस राज्य में शोध कार्यों से कोई भी संसाधन उपार्जित नहीं किए जा रहे हैं। अब यह समय आ गया है कि राज्य के विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान कार्यों से अपने आंतरिक संसाधन का उपार्जन करें। अतः राज्य के सभी विश्वविद्यालय अपने आंतरिक संसाधनों के अभिवृद्धि के संदर्भ में एक वर्ष के अंदर कार्य योजना तैयार कर राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर लेंगे।

(ख). राज्य के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा तब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है जब तक कि पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान शिक्षक शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत लगभग 13500 पदों के विरुद्ध मात्र 5500 शिक्षक ही कार्यरत हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, परंतु इसकी गति अत्यंत धीमी है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(ग). राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के भी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप निःसंदेह प्रभावित हो रहे हैं। परंतु यहाँ यह तथ्य भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आज तक राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक तंत्र उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए भी राज्य कर्मियों की भाँति वेतनमान स्वीकृत करती है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ग III के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु किसी आयोग का गठन करेगी और जब तक इस प्रकार का कोई आयोग गठित नहीं हो जाता है तब तक कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के वर्ग III के




शिक्षकेत्तर कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में यदि कोई विधायी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

(घ). राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा नियुक्ति की आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है, जबकि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष है। विश्वविद्यालय के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति ही अन्य सारी सुविधाएँ दी जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियुक्ति की आयु सीमा की वृद्धि कोई औचित्य नहीं है।

(ङ). राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के ज्ञान वर्धन एवं कौशल विकास हेतु सभी शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर आयोजित होनेवाले सेमिनार/वर्कशॉप में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय इसके लिए आंतरिक संसाधन से कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(च). राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य लगभग की स्थिति दयनीय है। विश्वविद्यालय शिक्षक प्रायः इस दिशा में उदासीन है। शोध कार्य नहीं होने से विद्यार्थियों को भी ज्ञानवर्धन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य का माहौल विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय अपने आंतरिक संसाधन का उपार्जन करते हुए विश्वविद्यालय में शोध कार्य के उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

### पुनरीक्षित भत्तों की अनुमान्यता

23. राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों को भी निम्न रूपेण संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय कर्मियों को निम्न वर्णित भत्तों को अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है :-



## (क) मकान किराया भत्ता

वर्ग	शहर का नाम	भत्ता का दर
I	II	III
Y	पटना (यू0ए0)	मूल वेतन का 16%
Z	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय (यू0ए0), बेतिया, भागलपुर (यू0ए0), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू0ए0), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू0ए0), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (यू0ए0), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू0ए0), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू0ए0), सीवान एवं सुपौल।	मूल वेतन का 8%
अवर्गीकृत शहर		मूल वेतन का 6%
ग्रामीण क्षेत्र		मूल वेतन का 4%

## (ख). शहरी परिवहन भत्ता

## (i) शिक्षकों के संदर्भ में

क्र०	वेतन स्तर	शहरी परिवहन भत्ता	
		(पटना यू0ए0)	अन्य नगर निगम
I	II	III	IV
1	वेतन स्तर -10	RS. 3000 + DA	RS. 1000 + DA
2	वेतन स्तर- 11 एवं अधिक	RS. 4000 + DA	RS. 1500+ DA



SCHEDULE-I

Academic Grade Pay in unrevi sed scale (in Rs.)	Pay Level in revised scale (in Rs.)
6,000	10
7,000	11
8,000	12
9,000	13A
10,000	14
	15

**SCHEDULE-II****Pay Matrix**

Pay Band (Rs.)	15,600 - 39,100			37,400 - 67,000		67,000-79,000
Grade pay (Rs.)	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	0
Index of Rationalization	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72	2.72
Entry Pay (Rs.)	21,600	25,790	29,900	49,200	53,000	67,000
Academic Level	10	11	12	13A	14	15
Rationalised Entry Pay (Rs.) 1	57,700	68,900	79,800	1,31,400	1,44,200	1,82,200
2	59,400	71,000	82,200	1,35,300	1,48,500	1,87,700
3	61,200	73,100	84,700	1,39,400	1,53,000	1,93,300
4	63,000	75,300	87,200	1,43,600	1,57,600	1,99,100
5	64,900	77,600	89,800	1,47,900	1,62,300	2,05,100
6	66,800	79,900	92,500	1,52,300	1,67,200	2,11,300
7	68,800	82,300	95,300	1,56,900	1,72,200	2,17,600
8	70,900	84,800	98,200	1,61,600	1,77,400	2,24,100
9	73,000	87,300	1,01,100	1,66,400	1,82,700	
10	75,200	89,900	1,04,100	1,71,400	1,88,200	
11	77,500	92,600	1,07,200	1,76,500	1,93,800	
12	79,800	95,400	1,10,400	1,81,800	1,99,600	
13	82,200	98,300	1,13,700	1,87,300	2,05,600	
14	84,700	1,01,200	1,17,100	1,92,900	2,11,800	
15	87,200	1,04,200	1,20,600	1,98,700	2,18,200	
16	89,800	1,07,300	1,24,200	2,04,700		
17	92,500	1,10,500	1,27,900	2,10,800		

18	95,300	1,13,800	1,31,700	2,17,100		
19	98,200	1,17,200	1,35,700			
20	1,01,100	1,20,700	1,39,800			
21	1,04,100	1,24,300	1,44,000			
22	1,07,200	1,28,000	1,48,300			
23	1,10,400	1,31,800	1,52,700			
24	1,13,700	1,35,800	1,57,300			
25	1,17,100	1,39,900	1,62,000			
26	1,20,600	1,44,100	1,66,900			
27	1,24,200	1,48,400	1,71,900			
28	1,27,900	1,52,900	1,77,100			
29	1,31,700	1,57,500	1,82,400			
30	1,35,700	1,62,200	1,87,900			
31	1,39,800	1,67,100	1,93,500			
32	1,44,000	1,72,100	1,99,300			
33	1,48,300	1,77,300	2,05,300			
34	1,52,700	1,82,600	2,11,500			
35	1,57,300	1,88,100				
36	1,62,000	1,93,700				
37	1,66,900	1,99,500				
38	1,71,900	2,05,500				
39	1,77,100					
40	1,82,400					

19)

**SCHEDULE-III**

**1.1. Comparative List of Pay Levels**

5 <sup>th</sup> CPC	6 <sup>th</sup> CPC	7 <sup>th</sup> CPC
2550-3200	1650/1800	Level 1
2610-3540		
2650-4000		
2750-4400		
3050-4590	1900	Level 2
3200-4900	2000	Level 3
4000-6000	2400	Level 4
4500-7000	2800	Level 5
5000-8000	4200	Level 6
5500-9000		
6500-10500	4600	Level 7
7450-11500		
7500-12000	4800	Level 8
8000-13500	5400	Level 9
10000-15200	6600	Level 11
12000-16500	7600	Level 12
14300-18300	8700	Level 13
16400-20000	8900	Level 13A
18400-22400	10000	Level 14

**Note- From 5<sup>th</sup> CPC to 7<sup>th</sup> CPC the number of pay levels have come down from 19 to 14.**

SCHEDULE -IV

Pay Band	4440-7440	5200-20200					9300-34800				15600-39100		37400-67000		
Entry pay	1650	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	6600	7600	8700	8900	10000
Level	1A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	13A	14
1	15700	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	67700	78800	123100	131100	144200
2	16200	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	69700	81200	126800	135000	148500
3	16700	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	71800	83600	130600	139100	153000
4	17200	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	74000	86100	134500	143300	157600
5	17700	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	76200	88700	138500	147600	162300
6	18200	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	78500	91400	142700	152000	167200
7	18700	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	80900	94100	147000	156600	172200
8	19300	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	83300	96900	151400	161300	177400
9	19900	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	85800	99800	155900	166100	182700
10	20500	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	88400	102800	160600	171100	188200
11	21100	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	91100	105900	165400	176200	193800
12	21700	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	93800	109100	170400	181500	199600
13	22400	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	96600	112400	175500	186900	205600
14	23100	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	99500	115800	180800	192500	211800
15	23800	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	102500	119300	186200	198300	218200
16	24500	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	105600	122900	191800	204200	
17	25200	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	108800	126600	197600	210300	
18	26000	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	112100	130400	203500	216600	
19	26800	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	115500	134300	209600		
20	27600	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	119000	138300	215900		
21	28400	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	122600	142400			
22	29300	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	126300	146700			
23	30200	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	130100	151100			
24	31100	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	134000	155600			
25	32000	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	138000	160300			
26	33000	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	142100	165100			
27	34000	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	146400	170100			
28	35000	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	150800	175200			
29	36100	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	155300	180500			
30	37200	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	160000	185900			
31	38300	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	164800	191500			
32	39400	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	169700	197200			
33	40600	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	174800	203100			
34	41800	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	180000	209200			
35	43000	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	185400				
36	44300	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	191000				
37	45600	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	196700				
38	47000	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	202600				
39	48400	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	208700				
40	49900	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800					

## बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन - 97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पॉपुलरी रोड नं०-2,

पटना-बाहाबास, पोस्ट-झाकगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

बी०आर०ए०जी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

स्पष्टकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

❖

कायाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आवा।

मो०- 9931062586

❖

संगठन पंजी

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

निलकामाक्षी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, गधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री रंजन कुमार

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9472003662

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

❖

पंचयती

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक... B.S.U.E.F. / 135 / Patna

दिनांक 11/05/2020

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव महोदय,

बिहार सरकार, पटना।

विषय: बिहार सरकार शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 15/G 1-01/2020-09 दिनांक 28.04.2020 की कडिका 5 (xiii) के द्वारा वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापन होने तक 25% वेतन की कटौति करने संबंधी सरकार के एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

संदर्भ: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश का सम्यक रूप से अनुपालन करने हेतु शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को निदेशित करने का अनुरोध।

महोदय,

उपरोक्त विषयाधीन एवं संदर्भाधीन मामलें में आग्रह करना है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विभिन्न कोटि के शिक्षकेंतर कर्मियों के वेतन विसंगति का मामला वर्ष 2006 से ही राज्य सरकार शिक्षा विभाग में लम्बित है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक 3A-2 (वे०पु०) - 01/2010 - 3972 / वि० दिनांक 07.08.2018 एवं पत्रांक 3A-2(वे०पु०) - 01/2010 - 7794 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया था। समिति ने कर्मचारों संगठनों के पक्षों का खूना था। जिसके उपरान्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 15/D1-01/09 अंश II -73 दिनांक 09.01.2019 के द्वारा मात्र चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के वेतन विसंगति का निवारण किया गया है और शेष सभी तृतीय वर्ग के कर्मियों का षष्ठम् एवं सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन विसंगति का मामला आज तक शिक्षा विभाग के विचाराधीन लम्बित है।

महोदय, विदित हो कि पंचम वेतनमान में भी विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में वेतन विसंगति उत्पन्न हुई थी किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित

*[Signature]*  
11/05/2020



स्थापित -1982

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

संघीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, परिवर्नी रोड नं०-2,

पटना-बादपम, पोस्ट-इन्द्रगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

पत्रकारा विश्वविद्यालय, उषा।

मो०- 9939745814

कायाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी०.ए. सिंह विश्वविद्यालय, आशा।

मो०- 9931062586

संगठन पंजी

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री राजेश कुमार

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9472003662

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

प्रचलना

श्री गीरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक... BSEEP/135/Patna

दिनांक... 11/05/2020

न्यायादेश एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के एम0जे0सी0 संख्या 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 को पारित न्यायादेश के आलोक में क्रमशः विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों को रू0 5500-9000 एवं विश्वविद्यालय के सहायकों को रू0 4000-6000 के स्थान पर शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 15 पी0 1-24/2000 उ0शि0 898 दिनांक 07.06.2007 एवं पत्रांक 15 पी0 5-24/2000 अंश 1328 दिनांक 19.08.2016 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के सदृश क्रमशः रू0 6500-10500 एवं रू0 5500-9000 का वेतनमान राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है जिसका षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में क्रमशः राज्यकर्मि यथा प्रशाखा पदाधिकारी के सदृश विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का Pay Band रू0 9300-34800 एवं Grade Pay रू0 4200 के स्थान पर Grade Pay रू0 4800 एवं इसी ग्रेड में 04 वर्ष की सेवा के उपरान्त Pay Band 3 के साथ रू0 5400 तथा राज्यकर्मि यथा सहायक के सदृश विश्वविद्यालय सहायक को Pay Band रू0 9300-34800 एवं Grade Pay रू0 4200 के स्थान पर Grade Pay रू0 4600 स्वीकृत नहीं करने के कारण वर्ष 2006 से ही वेतन विसंगति उत्पन्न हुई है जिस कारण विश्वविद्यालय के प्रभावित कर्मि यह कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा राज्य कर्मियों के समकक्ष पद धारकों के समान विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों को वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया गया है तथा इसे सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है तो पुनः उसी बिन्दु पर बार बार अगले पुनरीक्षित वेतनमानों यथा षष्ठम् एवं सप्तम में विसंगति उत्पन्न करने से कर्मचारी काफी दुखी हैं तथा यह कहने के लिये बाध्य हो रहे हैं कि इस तरह की विसंगति माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेशों की पूर्णतया से अवमानना है।

महोदय, जब तक उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में वेतन विसंगति का निराकरण सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक विश्वविद्यालय स्तर पर ही वेतन निर्धारण का मामला अपूर्ण है और जब वेतन निर्धारण ही अपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा कर्मियों का वेतन सत्यापन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

महोदय, वेतन विसंगति का निराकरण नहीं होने के कारण प्रभावित सभी कर्मि घोर आर्थिक क्षति का सामना कर रहे हैं।

महोदय, मैं संक्षेप में उदाहरण स्वरूप आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छठवें वेतनमान में वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय सहायक को रू0 9300-34800 Pay Band और रू0 4200

*[Signature]*  
11/05/2020

स्थापित -1982

## बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन -97/82

पदेन कर्मचारी-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,

धाना-बागपास, पोस्ट-झरुगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

बो०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

पद्मकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

❖

कांफाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी० यू० सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

मो०- 9931062566

❖

संगठन सचिव

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह ममंकृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुदेश कुमार चौधरी

तिलकामाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री सुकान्त कुमार

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9472980362

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

❖

प्रयत्ना

श्री गीरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक...B&amp;U&amp;F/135/Patna

दिनांक...11/05/2020

Grade Pay स्वीकृत किया गया था। सहायक से वरीयतम् पद प्रशाखा पदाधिकारी को भी वही Pay Band और Grade Pay यानि रू० 9300-34800 Pay Band और रू० 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया, प्रशाखा पदाधिकारी से वरीयतम् पद सहायक कुलसचिव को भी इसी प्रकार वही Pay Band और Grade Pay अर्थात् रू० 9300-34800 Pay Band और रू० 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया और सहायक कुलसचिव से वरीयतम् पद उप कुलसचिव को भी वही रू० 9300-34800 Pay Band और रू० 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रथम द्रष्टया ही विसंगति स्पष्ट हो जाती है।

इस विसंगति के कारण सप्तम वेतनमान में भी विसंगति उत्पन्न हो गयी है क्योंकि राज्यकर्मियों यथा प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर 9 स्वीकृत है जबकि विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर 6 स्वीकृत है, इसी तरह राज्य कर्मी यथा सहायक का वेतन स्तर 7 स्वीकृत है एवं विश्वविद्यालय सहायक का वेतन स्तर 6 स्वीकृत है। जिस कारण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रभावित कर्मचारियों को वर्ष 2006 से ही घोर आर्थिक क्षति होती आ रही है तथा ऐसी दशा में राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत वेतन कटौति का आदेश जारी करके कर्मचारियों को पूर्ण रूप से हतोत्साहित एवं निराश कर दिया है जिससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कामकाज पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ना तय है। पूरे इस घटनाक्रम में कर्मचारी किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं और न ही इस तरह की सृजित परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार हैं।

विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसके वेतन की कटौति नहीं की जा सकती। इस संबंध में विद्यमान राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा 5 के संबंधित प्रावधान का अवलोकन किया जा सकता है जो निम्नानुसार है-

“Provided that no order for reimbursement shall be made until the authority, officer, servant or the person concerned has been given a reasonable opportunity, of making a representation and the same has been considered by the state government.”

उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर मैं नम्रता पूर्वक यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि सरकार का 25% वेतन कटौति का उपर्युक्त आदेश निरस्त होना चाहिए तथा वेतन विसंगति के वर्ष

  
11/05/2020

स्थापित - 1982

## बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन - 97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,  
थाना-बाइपास, पोस्ट-झारुगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महामंचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

अध्यक्ष विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

❖

कांपाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आवा

मो०- 9931062586

❖

संगठन सचिव

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह मन्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

वित्तकामांजरी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9427991662

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

❖

प्रदक्षता

श्री गीरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक... BSUEP/135/ Patna


दिनांक... 11/05/2020

2006 से लभित मामलों का निरस्तारण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से वेतन निर्धारण होना चाहिए। तदोपरान्त वेतन सत्यापन अपेक्षित है।

महोदय, विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के षष्ठम् एवं सप्तम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न वेतन विसंगति के निवारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 को पारित न्यायादेश के साथ बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के पत्रांक 14/एम 105/ मा0 674 दिनांक 01.05.1989 के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ एवं सरकार के बीच हुए दिनांक 26.04.1989 के समझौते में क्रम संख्या 01 पर राज्य सरकार द्वारा लिये गए निम्नलिखित निर्णय का अवलोकन करना आवश्यक एवं बाध्यकारी है:-

“निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक 123 /सी दिनांक 25.02.1987 के आलोक में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार सहमत है। फिटमेंट समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतनमान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के समकक्ष कोटि के मामले में लागू होगा।”

अतः नम्र निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय तथा सरकार के उपर्युक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति का निवारण करते हुए पूर्व की भाँति राज्यकर्मियों तथा स्थानिकों एवं संलग्न महाविद्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के संदर्भ क्रमशः Pay Band रू० 9300-34800 एवं Grade Pay रू० 4200 के स्थान पर विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों का Grade Pay रू० 4800 तथा वार वर की सेवा के उपरान्त Pay Band 3 के साथ Grade Pay रू० 5400 एवं विश्वविद्यालय के सहायकों का Pay Band रू० 9300-34800 एवं Grade Pay रू० 4200 के स्थान पर Grade Pay रू० 4600 तथा सप्तम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न वेतन विसंगति का निवारण करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों का स्वीकृत वेतन स्तर 6 के स्थान पर क्रमशः वेतन स्तर 9 एवं वेतन स्तर 7 राज्यकर्मियों की भाँति स्वीकृत करने हेतु शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश का अक्षरशः पालन हो सके क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 123/सी दिनांक 23.02.1987 को वैध माना है जिसके

  
11/05/2020

स्थापित -1982

## बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एच.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,  
धाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊंग, पटना-800006, मो०- 7543042345

महामंचिव

श्री राघवेंद्र कुमार

मो० आ० ए० नो० यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447203

डॉ० सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, उज्जयिनी।

मो०- 9939745814

❖

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

नो० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आवा।

मो०- 9931062586

❖

संगठन पत्री

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह मंस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकामाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

नो.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ कुमार

विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

मो०- 9432901662

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

❖

पंचयता

श्री गीरव

नो.आर.ए.नो.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक. B&amp;UEP/135/Patna

दिनांक. 11/05/2022.e.

आलोक में राज्य सरकार ने दिनांक 23.04.1989 को विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ हुए उपर्युक्त समझौते में रेखांकित निर्णय लिया था। परिणामतः यह भी अनुरोध है कि वेतन विसंगति के निवारणोपरान्त विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के सदृश दिनांक 01.01.2006 एवं 01.01.2016 को क्रमशः अनुमान्य उपर्युक्त Pay Band एवं Grade Pay तथा वेतन स्तर के साथ-साथ वित्त विभाग के पत्रांक 3ए-2 वे०पु०-18/2009 275 वि० दिनांक 08.01.2015 एवं पत्रांक 3ए-2 वे०पु०-8/2017-8928 वि० दिनांक 15.11.2017 द्वारा स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए। तदोपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम रूप से वेतन निर्धारण तत्पश्चात् वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा वेतन सत्यापन अपेक्षित है।

महोदय, इसी प्रकार भण्डारपालों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में सहायक के समकक्ष वेतनमान् रू० 5500-9000 शिक्षा विभाग ने अपने ज्ञापांक 15 एम 1-65/2014-1139 दिनांक 18.06.2014 द्वारा स्वीकृत किया है जिसका प्रतिस्थानी Pay Band एवं Grade Pay तथा वेतन स्तर क्रमशः दिनांक 01.01.2006 एवं 01.01.2016 के प्रभाव से विसंगति निवारण के उपरान्त विश्वविद्यालय सहायक की तरह अनुमान्य होना चाहिए। तत्पश्चात् वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० की भी सुविधा अनुमान्य किया जाना अपेक्षित है। ताकि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त संवर्ग में कार्यरत सभी कर्मियों का वर्ष 2006 से उनके वेतनमान/Pay Band एवं Grade Pay /वेतन स्तर में उत्पन्न भारी वेतन विसंगति का निवारण किया जा सके।

उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान/Pay Band एवं Grade Pay /वेतन स्तर एवं राज्यकर्मियों के लिए राज्य फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर स्वीकृत वेतनमान/Pay Band एवं Grade Pay /वेतन स्तर का तुलनात्मक विवरणी इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ एवं विसंगति निवारणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी संघ के साथ दिनांक 26.04.1989 के समझौते में लिए गये उपर्युक्त रेखांकित निर्णय को दृष्टिपथ रखते हुए यथाशीघ्र वर्ष 2006 से लम्बित वेतन विसंगति का निवारण करना अपेक्षित है। ताकि राज्यकर्मियों के लिए फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत Pay Band एवं Grade Pay /वेतन स्तर के सदृश विश्वविद्यालय के समकक्ष

स्थापित -1982

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिला नगर, चौबन्दी रोड नं०-2,  
पटना-बापचम, पोस्ट-इन्द्रावती, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

बो०.अर०.ए०.बो०.यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

एच.एस.एस. विश्वविद्यालय, उपराना।

मो०- 9939745814

❖

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बो०. कौ० सिंह विश्वविद्यालय, आगा।

मो०- 9931062586

❖

मण्डल पत्र

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह मन्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

निलकामांशी विश्वविद्यालय, पण्डितपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

मण्डल विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 9973358168

❖

पटवना

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271


पत्रांक BSUEP/135/Patna

दिनांक 11/05/2020

कोटि के यथोक्त कर्मियों के लिए प्रभावी तिथि से लागू करने संबंधी शुद्धि पत्र अविलम्ब निर्गत हो सके। तदोपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम रूप से वेतन निर्धारण एवं तत्पश्चात् वेतन सत्यापन की कार्रवाई पूरी की जा सके इसके लिए शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाय।

एतदर्थ बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

विश्वासभाजन

  
11/05/2020  
(राघवेन्द्र कुमार)  
महासचिव

ज्ञापक: BSUEP/135/Patna

दिनांक: 11/05/2020.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय प्रधान सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना,
  2. माननीय प्रधान सचिव महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार सरकार, पटना,
  3. माननीय प्रधान सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना,
  4. माननीय प्रधान सचिव महोदय, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना,
  5. माननीय निदेशक महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना.
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
11/05/2020  
महासचिव

स्थापित -1982

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,  
पटना-बादशाय, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महामंचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

।पत्रकारिता विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

❖

कांयाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आवा।

मो०- 9931062586

❖

संगठन पंजी

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह मन्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकामाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

❖

पटवन्ता

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक. B.SUER/135/Patna

दिनांक 11/05/2020

1. पंचम वेतन पुनरीक्षण के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मियों के वेतन विसंगति निवारणोपरान्त बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान का विवरण (दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी)

क्र० सं०	पदनाम	वेतन विसंगति निवारणोपरान्त स्वीकृत वेतनमान	अभियुक्ति
1	प्रशाखा पदाधिकारी	रु० 6500-10500	माननीय पटना उच्च न्यायालय के एम०जे०सी० सं० 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 का पारित न्याय निर्णय के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 15/बी 1-24/2000उ०शि० 898 दिनांक 07.06.2007 द्वारा स्वीकृत
2	सहायक	रु० 5500-9000	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 15/पी 5-24/2000 अंश - 1328 दिनांक 19.08.2016 द्वारा स्वीकृत।
3	भण्डारपाल	रु० 5500-9000	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 15 एम 1-24/2000-1328 दिनांक 19.08.2016 द्वारा स्वीकृत।

*(Signature)*  
11/05/2020  
श्री राघवेन्द्र कुमार  
महामंचिव

'कर्मचारी संघ जिन्दाबाद'

॥ संधे शक्ति कलयुगी ॥

200

'महासंघ जिन्दाबाद'

स्थापित -1982

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष  
श्री शंकर यादव

पटना-800005 ( बिहार )

महासचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

एल.एन.एस.यू., दरभंगा।  
मो०- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, परिसर नं०-2,  
धान-बाइपास, पोस्ट-इन्द्रगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

मो०-9973358168

पंजीयन -97/82

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

कायाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

वी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आगा।

मो०- 9931062586

समाजक पंजी

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

तिलकागंजी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

मो०- 9973358168

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

प्रचक्ष

श्री गीरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर


मो०- 9123469271

पत्रांक...B&UEP/135/Patna

दिनांक 11/05/2020

2. षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मियों एवं राज्यकर्मियों के लिए स्वीकृत वेतनमान/Pay Band एवं Grade Pay की तुलनात्मक विवरणी (दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी)

क्र. स.	पदनाम	विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए स्वीकृत वेतनमान/ Pay Band एवं Grade Pay		राज्यकर्मियों के लिए राज्य क्विंटेट कमेटी की अनुशंसा पर स्वीकृत वेतनमान/Pay Band एवं Grade Pay		अभियुक्ति
		अपुनरीक्षित	पुनरीक्षित (विसंगतिग्रस्त Pay Band एवं Grade Pay)	अपुनरीक्षित	पुनरीक्षित (Pay Band एवं Grade Pay)	
1	प्रशाखा पदाधिकारी	₹0 6500-10500	₹0 9300-34800 GP ₹0 4200	₹0 6500-10500	Pay Band ₹0 9300-34800 Grade Pay ₹0 4800 एवं चार (04) वर्षों की सेवा उपरान्त PB 3 के साथ GP ₹0 5400	
2		₹0 5500-9000	₹0 5200-20200 GP ₹0 2400	₹0 5500-9000	Pay Band ₹0 9300-34800 Grade Pay ₹0 4600	
3	भण्डारपाल (सहायक के समतक)	₹0 5500-9000	₹0 5200-20200 GP ₹0 2400	₹0 5500-9000	Pay Band ₹0 9300-34800 Grade Pay ₹0 4600	

  
11/05/2020  
(राघवेन्द्र कुमार)  
महासचिव

स्थापित - 1982

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 ( बिहार )

पंजीयन - 97/02

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पारिवर्णी रोड नं०-2,  
भाग-बाहपस, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

बो०आर०ए०बो०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

प्रकाश विश्वविद्यालय, उषा।

मो०- 9939745814

✽

कांसाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

बी० ई० सिंह विश्वविद्यालय, आवा।

मो०- 9931062586

✽

समाज पंजी

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

निलकामांशो विश्वविद्यालय, भागलपुर।

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

बी.आर.ए.बो.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9431413716

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

✽

प्रवक्ता

श्री गीरव

बी.आर.ए.बो.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271


पत्रांक...BSUER/135/Patna

दिनांक...11/05/2020

### 3. सप्तम् वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत

विश्वविद्यालय कर्मियों एवं राज्यकर्मियों के लिए स्वीकृत Pay Level की तुलनात्मक विवरणी  
(दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी)

क्र. सं.	पदनाम	विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए स्वीकृत विसंगतिग्रस्त Pay Band एवं Grade Pay/Pay Level		राज्यकर्मियों के लिए राज्य फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर स्वीकृत Pay Band एवं Grade Pay/Pay Level		अभियुक्ति
		अपुनरीक्षित (विसंगतिग्रस्त Pay Band एवं Grade Pay)	पुनरीक्षित (विसंगतिग्रस्त Pay Level)	अपुनरीक्षित (Pay Band एवं Grade Pay)	पुनरीक्षित (Pay Level)	
1	प्रशाखा पदाधिकारी	Pay Band रु० 9300-34800 GP रु० 4200	Pay Level 6	Pay Band रु० 9300-34800 GP रु० 4800 एवं चार (04) वर्षों की सेवा उपरान्त PB 3 के साथ GP रु० 5400	Pay Level 9	
2	प्रशाखा पदाधिकारी	Pay Band रु० 9300-34800 GP रु० 4200	Pay Level 6	Pay Band रु० 9300-34800 GP रु० 4600	Pay Level 7	
3	भण्डारपाल (सहायक के समकक्ष)	Pay Band रु० 5200-20200 GP रु० 2400	Pay Level 4	Pay Band रु० 9300-34800 GP रु० 4600	Pay Level 7	

  
(राघवेन्द्र कुमार)  
महासचिव





# जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

**JAI PRAKASH UNIVERSITY** 202

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)  
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.- 34/95/R1

Dated:- 15/05/2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- जय प्रकाश विश्वविद्यालय, कर्मचारी (स्थायी) संघ के अध्यक्ष के पत्रांक Pres/02/2020 दिनांक 09.05.2020 का अग्रसारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयाधीन कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्रेषित पत्र की प्राप्त प्रतिलिपि में उद्धृत तथ्यों पर विचारोपरान्त इसे आपके पास आग्रसारित करते हुए कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं० 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के एम.जे.सी. सं० 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 को पारित न्यायादेश के आलोक में विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक को पंचम वेतनमान में उत्पन्न वेतन विसंगति का निवारण करते हुए सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के सदृश क्रमशः रू० 6500-10500 एवं रू० 5500-9000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था किन्तु षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के लिए क्रमशः स्वीकृत पे-बैंड रू० 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू० 4800/- तथा चार वर्ष की सेवा के उपरान्त पे-बैंड-3 के साथ रू० 5400 एवं पे-बैंड रू० 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू० 4600/- के स्थान पर विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अर्थात् दोनों पदों के लिए मात्र पे-बैंड रू० 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू० 4200 ही स्वीकृत किया गया है जिससे विश्वविद्यालय के उक्त दोनों पदों के कर्मियों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो गई है।

इसी तरह सप्तम् वेतन के पुनरीक्षण में भी विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई है। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक को क्रमशः वेतन स्तर-09 एवं 07 स्वीकृत है किन्तु विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अर्थात् दोनों पदों के लिए मात्र वेतन स्तर-06 ही स्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उक्त विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का दावा न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आपकी अति

कृपा होगी।

विश्वासभाजन

Shri Kishu  
कुलसचिव 15/5/2020



जय प्रकाश विश्वविद्यालय  
राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

**JAI PRAKASH UNIVERSITY**

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)  
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

202

Letter No.- 2470/20

Dated:- 15/05/2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- जय प्रकाश विश्वविद्यालय, कर्मचारी (स्थायी) संघ के अध्यक्ष के पत्रांक  
Pres/02/2020 दिनांक 09.05.2020 का अग्रसारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयाधीन कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्रेषित पत्र की प्राप्त प्रतिलिपि में उद्धृत तथ्यों पर विचारोपरान्त इसे आपके पास आग्रसारित करते हुए कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं0 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के एम.जे.सी. सं0 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 को पारित न्यायादेश के आलोक में विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक को पंचम वेतनमान में उत्पन्न वेतन विसंगति का निवारण करते हुए सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के सदृश क्रमशः रू0 6500-10500 एवं रू0 5500-9000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था किन्तु षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के लिए क्रमशः स्वीकृत पे-बैंड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू0 4800/- तथा चार वर्ष की सेवा के उपरान्त पे-बैंड-3 के साथ रू0 5400 एवं पे-बैंड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू0 4600/- के स्थान पर विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अर्थात् दोनों पदों के लिए मात्र पे-बैंड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड-पे रू0 4200 ही स्वीकृत किया गया है जिससे विश्वविद्यालय के उक्त दोनों पदों के कर्मियों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो गई है।

इसी तरह सप्तम् वेतन के पुनरीक्षण में भी विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई है। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक को क्रमशः वेतन स्तर-09 एवं 07 स्वीकृत है किन्तु विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अर्थात् दोनों पदों के लिए मात्र वेतन स्तर-06 ही स्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उक्त विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का दावा न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

होगी।

विश्वासभाजन

Sheik Karim  
कुलसचिव 15/5/2020

जय संघ - जय महासंघ!

संघे शक्ति कलियुगे!!

जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ 206



राहुल सांकृत्यायन नगर,  
छपरा-841301, बिहार (भारत)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध  
स्थापित - 1982 निबन्धन सं० - 97/82

पत्रांक: ~~P. 111~~ 02/2020

दिनांक: 09/05/2020

अध्यक्ष  
राय रणविजय देव  
09110979137

उपाध्यक्ष  
अनिल शरण  
09431454833

महासचिव  
सरोज कुमार सिंह  
09939745814

सं. सचिव  
संजीव गिरि  
17903036144

कोषाध्यक्ष  
रंजन कुमार  
9934633535

5500-9000 एवं विश्वविद्यालय के सहायकों को रू० 4000-6000 के स्थान पर शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 15 पी० 1-24/2000 उ०शि० 898 दिनांक 07.06.2007 एवं पत्रांक 15 पी० 5-24/2000 अंश 1328 दिनांक 19.08.2016 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के सदृश क्रमशः रू० 6500-10500 एवं रू० 5500-9000 का वेतनमान राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है जिसका षष्टम् वेतन पुनरीक्षण में क्रमशः राज्यकर्मि यथा प्रशाखा पदाधिकारी के सदृश विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का Pay Band रू० 9300-34800 एवं Grade Pay रू० 4200 के स्थान पर Grade Pay रू० 4800 एवं इसी ग्रुड में 04 वर्ष की सेवा के उपरान्त Pay Band 3 के साथ रू० 5400 तथा राज्यकर्मि यथा सहायक के सदृश विश्वविद्यालय सहायक को Pay Band रू० 9300-34800 एवं Grade Pay रू० 4200 के स्थान पर Grade Pay रू० 4600 स्वीकृत नहीं करने के कारण वर्ष 2006 से ही वेतन विसंगति उत्पन्न हुई है जिस कारण विश्वविद्यालय के प्रभावित कर्मि यह कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा राज्य कर्मियों के समकक्ष पद धारकों के समान विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों को वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया गया है तथा इसे सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है तो पुनः उसी बिन्दु पर बार बार अगले पुनरीक्षित वेतनमानों यथा षष्टम् एवं सप्तम में विसंगति उत्पन्न करने से कर्मचारी काफी दुःखी हैं तथा यह कहने के लिये बाध्य हो रहे हैं कि इस तरह की विसंगति माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेशों की पूर्णरूप से अवमानना है।

महोदय, जब तक उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में वेतन विसंगति का निराकरण सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक विश्वविद्यालय स्तर पर ही वेतन निर्धारण का मामला अपूर्ण है और जब वेतन निर्धारण ही अपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा कर्मियों का वेतन सत्यापन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

महोदय, वेतन विसंगति का निराकरण नहीं होने के कारण प्रभावित सभी कर्मि घोर आर्थिक क्षति का सामना कर रहे हैं।

महोदय, मैं संक्षेप में उदाहरण स्वरूप आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छठवें वेतनमान में वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय सहायक को रू० 9300-34800 Pay Band और रू० 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया था। सहायक से वरीयतम् पद प्रशाखा पदाधिकारी को भी वही Pay Band और Grade Pay यानि रू० 9300-34800 Pay Band और रू० 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया,

2

Raj Ranvijay Dev  
09/05/2020

# जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ



राहुल सांकृत्यायन नगर,

छपरा-841301, बिहार (भारत)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध  
स्थापित - 1982 निबन्धन सं० - 97/82

207

पत्रांक: P-65/02/2020

दिनांक: 09/05/2020

अध्यक्ष  
राज्य रणविजय देव  
09110979137

उपाध्यक्ष  
अनिल शरण  
09431454833

महासचिव  
सरोज कुमार सिंह  
09939745814

संयुक्त सचिव  
संजीव गिरि  
07903036144

कोषाध्यक्ष  
डॉ. रंजन कुमार  
09934633535

प्रशाखा पदाधिकारी से वरीयतम् पद सहायक कुलसचिव को भी इसी प्रकार वही Pay Band और Grade Pay अर्थात् ₹0 9300-34800 Pay Band और ₹0 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया और सहायक कुलसचिव से वरीयतम् पद उप कुलसचिव को भी वही ₹0 9300-34800 Pay Band और ₹0 4200 Grade Pay स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रथम द्रष्टया ही विसंगति स्पष्ट हो जाती है।

इस विसंगति के कारण सप्तम वेतनमान में भी विसंगति उत्पन्न हो गयी है क्योंकि राज्यकर्मियों यथा प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर 9 स्वीकृत है जबकि विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर 6 स्वीकृत है, इसी तरह राज्य कर्मी यथा सहायक का वेतन स्तर 7 स्वीकृत है एवं विश्वविद्यालय सहायक का वेतन स्तर 6 स्वीकृत है। जिस कारण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रभावित कर्मचारियों को वर्ष 2006 से ही घोर आर्थिक क्षति होती आ रही है तथा ऐसी दशा में राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत वेतन कटौति का आदेश जारी करके कर्मचारियों को पूर्ण रूप से हतोत्साहित एवं निराश कर दिया है जिससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कामकाज पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ना तय है। पूरे इस घटनाक्रम में कर्मचारी किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं और न ही इस तरह की सृजित परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार हैं।

निहित हो कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना उसके वेतन की कटौति नहीं की जा सकती। इस संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा 5 के संबंधित प्रावधान का अवलोकन किया जा सकता है जो निम्नवत् है:-

"Provided that no order for reimbursement shall be made until the authority, officer, servant or the person concerned has been given a reasonable opportunity, of making a representation and the same has been considered by the state government."

उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर मैं नम्रता पूर्वक यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि सरकार का 25% वेतन कटौति का उपर्युक्त आदेश निरस्त होना चाहिए तथा वेतन विसंगति के वर्ष 2006 से लम्बित मामलों का निस्तारण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से वेतन निर्धारण होना चाहिए। तदोपरान्त वेतन सत्यापन अपेक्षित है।

महोदय, विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के षष्ठम् एवं सप्तम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न वेतन विसंगति के निवारण हेतु नाननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील

Raj Ranvijay Dev  
09/05/2020

# जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ



राहुल सांकृत्यायन नगर,  
छपरा-841301, बिहार (भारत)  
बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध  
स्थापित - 1982 निबन्धन सं० - 97/82

208

पत्रांक. P.A.S/02/2020

दिनांक. 23/05/2020

अध्यक्ष  
राय रणविजय देव  
09110979137

संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 1044/1996 में दिनांक 20.07.2000 को पारित न्यायादेश के साथ बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के पत्रांक 14/एम 105/ मा0 674 दिनांक 01.05.1989 के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ एवं सरकार के बीच हुए दिनांक 26.04.1989 के समझौते में क्रम संख्या 01 पर राज्य सरकार द्वारा लिये गए निम्नलिखित निर्णय का अवलोकन करना आवश्यक एवं बाध्यकारी है:-

उपाध्यक्ष  
अनिल शरण  
09431454833

“निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक 123 /सी दिनांक 25.02.1987 के आलोक में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार सहमत है। फिटमेंट समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतनमान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के समकक्ष कोटि के मामले में लागू होगा।”

महासचिव  
सरोज कुमार सिंह  
09939745814

अतः नम्र निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय तथा सरकार के उपर्युक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति का निवारण करते हुए पूर्व की भाँति राज्यकर्मियों यथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के सदृश क्रमशः Pay Band रू0 9300-34800 एवं Grade Pay रू0 4200 के स्थान पर विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों को Grade Pay रू0 4800 तथा चार वर्ष की सेवा के उपरान्त Pay Band 3 के साथ Grade Pay रू0 5400 एवं विश्वविद्यालय के सहायकों का Pay Band रू0 9300-34800 एवं Grade Pay रू0 4200 के स्थान पर Grade Pay रू0 4600 तथा सप्तम् वेतन पुनरीक्षण में उत्पन्न वेतन विसंगति का निवारण करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों का स्वीकृत वेतन स्तर 6 के स्थान पर क्रमशः वेतन स्तर 9 एवं वेतन स्तर 7 राज्यकर्मियों की भाँति स्वीकृत करने हेतु शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाय ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश का अक्षरशः पालन हो सके क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 123/सी दिनांक 23.02.1987 को वैध माना है जिसके आलोक में राज्य सरकार ने दिनांक 23.04.1989 को विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ हुए उपर्युक्त समझौते में रेखांकित निर्णय लिया था। परिणामतः यह भी अनुरोध है कि वेतन विसंगति के निवारणोपरान्त विश्वविद्यालय के प्रशाखा

सु-उत्त सचिव  
संजीव गिरि  
07903036144

कोषाध्यक्ष  
डॉ. रंजन कुमार  
09934633535

Ray Ranvijay dev  
09/05/2020

# जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ



राहुल सांकृत्यायन नगर,

छपरा-841301, बिहार (भारत)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध  
स्थापित - 1982 निबंधन सं० - 97/82

209

पत्रांक: Pres/02/2020

दिनांक: 09/05/2020

अध्यक्ष  
राय रणविजय देव  
09110979137

पदाधिकारियों एवं सहायकों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायकों के सदृश दिनांक 01.01.2006 एवं 01.01.2016 को क्रमशः अनुमान्य उपर्युक्त Pay Band एवं Grade Pay तथा वेतन स्तर के साथ-साथ वित्त विभाग के पत्रांक 3ए-2 वे0पु0-18/2009 275 वि० दिनांक 08.01.2015 एवं पत्रांक 3ए-2 वे0पु0-8/2017-8928 वि० दिनांक 15.11.2017 द्वारा स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए। तदोपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम रूप से वेतन निर्धारण तत्पश्चात् वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा वेतन सत्यापन अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष  
अनिल शरण  
09431454833

इसके लिए जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

विश्वासभाजन

*Ray Ranvijay Dev*  
(राय रणविजय देव)  
अध्यक्ष 09/05/2020

महासचिव  
डॉ. सरोज कुमार सिंह  
09939745814ज्ञापांक: Pres/02/2020  
प्रतिलिपि प्रेषित:

दिनांक: 09/05/2020

- माननीय प्रधान सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना,
- माननीय प्रधान सचिव महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार सरकार, पटना,
- माननीय प्रधान सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना,
- माननीय प्रधान सचिव महोदय, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना,
- माननीय निदेशक महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना,  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Ray Ranvijay Dev*  
अध्यक्ष 09/05/2020

संयुक्त सचिव  
संजीव गिरि  
07903036144ज्ञापांक: Pres/02/2020  
प्रतिलिपि प्रेषित:

दिनांक: 09/05/2020

- माननीय कुलपति महोदय/वित्तीय-परामर्शी/कुलसचिव/वित्त-पदाधिकारी महोदय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Ray Ranvijay Dev*  
अध्यक्ष 09/05/2020

कोषाध्यक्ष  
डॉ. रंजन कुमार  
09934633535

बिहार  
शिक्षा विभाग

ANNEXURE- 17



सेवा में

सतीश चन्द्र झा  
सरकार के विशेष सचिव।

कुलसचिव,  
पटना विश्वविद्यालय, पटना।  
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।  
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।  
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 18.06.2020

विषय:-

विश्वविद्यालय के विभिन्न कोटि के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्यता के संबंध में।

प्रसंग:-

पटना विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक 103 दिनांक 27.01.2020, बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्रांक बी/124 दिनांक 22.01.2020, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के पत्रांक 121/19 दिनांक 18.09.2019 एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक 711 दिनांक 17.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन का पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त किया गया है।

विभागीय स्तर से निर्गत संकल्पों (पत्रांक 2693 दिनांक 27.08.2010 एवं विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019) में विश्वविद्यालय के विभिन्न कोटि के शिक्षकेत्तर कर्मियों को संकल्पों में निहित वेतनमान के आधार पर ही विश्वविद्यालय के निम्नवर्गीय लिपिक, सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक कुलसचिव एवं पी०ए० संवर्ग के वेतन निर्धारण किया जाना उचित है।

विश्वासभाजन,

(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

544

STAMP

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE

AT PATNA

VAKALATNAMA FOR  
PETITIONER/RESPONDENT

CWJC No. \_\_\_\_\_ of 2020

*Bihar Rajya Vishwanidyalaya* Petitioner/Appellant

*Karmachari Mahasamgh*

Versus

*The State of Bihar & others* Respondent/Opposite Party

Know all men by those present by this Vakalatnama  
~~I/We~~

Do hereby  
Appoint the advocates noted below in the margin or any of them as  
my/our lawful Advocate in the above mentioned case for appearing,  
conducting and arguing the same or depositing or withdrawing any  
money in connection therewith or putting in papers, petition etc. on  
my/our behalf or filing or taking back any document or withdrawing  
suit, appeal or application with permission to institute fresh suit etc.  
and make compromise and for referring the case for arbitration and for  
doing all acts that be necessary to be done in connection with the said  
acts. I/We further say that any act done by my/our said Advocates or  
any one of them after accepting this Vakalatnama shall be considered  
of my/our true and lawful acts and shall be binding on me/us.

Mr. ABHINAV SHRIVASTAVA, AOR NO. 01732

Mr.

Mr.

Mr.

To the above effect I/we execute this Vakalatnama


Dated *15* day of *08* 2020

*Handwritten notes and signatures in the right margin, including names like 'K. Pradyumn Chandra' and 'K. Pradyumn Chandra'.*



1. Bihar Rajya Vishwavidyalaya Karamchari Mahasangh, Akhilesh Nagar, West Road No. 2, P.S. -By Pass, P.O.-Jhauganj, District-Patna, Pin Code- 800006 through its General Secretary, Raghvendra Kumar. Male, aged about 37 years, son of Ram Naresh Singh, resident of A-3/30, Brahmpura, Back Side of Sanjay Cinema, P.O.-M.I.T., P.S.- Brahmpura, District- Muzaffarpur, Pin Code-842001
2. Ray Ranvijay Dev, Male, aged about 41 years, son of Ramji Ray, resident of West of Police Naka No.-2/4, Kashi Bazar, Chapra, Saran, District-Chapra, Pin Code-841301
3. Upendra Prasad Singh, Male, aged about 59 years, son of Ramashray Singh, resident of village-Barbigha, P.O.-Subhanpura, P.S.- Barbigha, District- Sheikhpura, Pin Code-811101

Received Vakalatnama through the executants and accepted the same.

  
(Abhinav Shrivastava)

A.O.R. No. 01732

202, Jai Kunj Apartment

Kidwaipuri

Patna - 800001

Mobile: 9939273862/9234875442

कोषांग के द्वारा सुनिश्चित रूप से करा लिया जाय ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सके।

4. इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12.10.2004 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा परन्तु इसमें अंकित अन्य निर्धारित शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक ...20/6/2014

ज्ञापांक:- 15/डी1-10/2011-1163

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/ विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ निदेशक, उच्च शिक्षा/ सम्पर्क पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ उच्च शिक्षा निदेशालय के सभी पदाधिकारी/ महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ/ संबंधित सभी संघ के अध्यक्ष / प्रशाखा पदाधिकारी-14/15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/14

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

19/6

बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक B/1827 मुजफ्फरपुर/दिनांक 14/8/2014

राज्यादेश पत्रांक संख्या- 15/डी1-10/2011-1103 दिनांक 20.06.2014 प्रतिलिपि सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को प्रेषित:-

सुनील कुमार सिंह  
14/8/14

कुलसचिव  
14/8/14